राजस्थान विधान सभा

छब्बीसवीं बैठक, सोमवार, दिनांक–२४ मई, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-भवन, जयपुर, में ५ बज कर १० मिनट
(मध्यान्होत्तर) पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

(श्री अध्यक्ष के पदार्पण पर विरोधी पक्ष के सदस्यों का श्री अध्यक्ष के सम्मानार्थ खड़े न होना)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ६६४

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री गुरुदयालसिंह संधु।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६६५

श्री अध्यक्ष—श्री संधु।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६६६.

श्री अध्यक्ष—जगतसिंह झाला।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६६७

श्री अध्यक्ष—-श्री विश्वम्भरनाथ जोशी।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

Page No.2

प्रश्न संख्या ६६८.

श्री अध्यक्ष--श्री संधु।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६६९.

अजमेर और किशनगढ़ के बीच की मोटर बसेज़ बन्द होना

श्री चाँदमल मेहता--क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के ध्यान में है कि अजमेर और किशनगढ़ के बीच चलने वाली मोटर बसेज़ बन्द हो जाने से यात्रियों को बड़ी कठिनाई हो रही है ?

(ख) उक्त बसेज़ के बन्द होने के क्या कारण हैं ?

श्री रामकरण जोशी (यातायात मंत्री)--(क) हां।

(ख) इन बसेज़ के बन्द होने का कारण यह है कि मोटर वेहिकल्स एक्ट, १९३९ की धारा ६३ के अन्तर्गत जब तक परमिटों पर सम्बन्धित प्रादेशिक यातायात सत्ता के काउन्टरसाइन नहीं हो जायं तब तक एक राज्य की यातायात सवारी दूसरे राज्य में नहीं चला सकती। लेकिन अजमेर के मोटर-चालकों ने इसका पालन नहीं किया। इसी प्रकार इन मोटरों के मालिक अनिवार्य सवारी कर को अदा करना नहीं चाहते, जो दोनों राज्यों के बीच किसी पारस्परिक व्यवस्थान के अभाव में राजस्थान मोटर गाड़ी कर अधिनियम, १९५१ के अन्तर्ग आवश्यक है। १ अप्रेल १९५४ से इस रास्ते पर बसें चलाने का बन्दोबस्त हो जायगा।

श्री चाँदमल मेहता-- क्या यह सही है कि जब यह प्रश्न मंत्री महोदय के पास पहुँचा उस वक्त बसें बन्द थीं ?

श्री रामकरण जोशी--हां, परन्तु उसके पहले इन्तजाम हो चुका था।

श्री चाँदमल मेहता--कितने महीने बसें बन्द रहीं ?

श्री रामकरण जोशी--महीने तो क्या, एक वीक।

श्री वेदपाल त्यागी--इसके बन्द रहने का क्या कारण था ?

श्री रामकरण जोशी--वहां अजमेर की ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटीज अपने यहां के मोटर वालों का बेक आउट करते थे उस झगड़े में वहां बसों को चलना बन्द हो गया था। वे अपनी हद तक

Page No.3

[श्री रामकरण जोशी]

बसें चलाते थे और सवारी को हद पर उतार देते थे। इस तरह अपने यहां के मोटर वाले अपनी हद तक चलाते थे और हद पर सवारियां उतारने लगे थे।

श्री चाँदमल मेहता--क्या यह सही है कि १ महीने तक बसें बन्द होने पर किशनगढ़ की जनता ने आपके पास प्रार्थनापत्र पेश किया था?

श्री रामकरण जोशी--मैंने आपको निवेदन किया कि एक हफ्ते से ज्यादा बन्द नहीं रहीं।

श्री चाँदमल मेहता--क्या यह सही है कि वहां बसें ३ महीने तक बन्द रही थीं?

श्री रामकरण जोशी--मैंने आपसे निवेदन किया है कि इत्तिला मिलने के बाद एक हफ्ते में इन्तजाम हो गया था।

श्री चाँदमल मेहता--क्या इस प्रश्न के मंत्री महोदय को प्राप्त होने के एक हफ्ते के अन्दर इन्तजाम हो गया था, यह मान लिया जाय?

श्री रामकरण जोशी--प्रश्न से इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन ताल्लुक इस बात से है कि शिकायत आने के बाद।

श्री चाँदमल मेहता--क्या यह सही है कि शिकायत एक महीने से पहले आपके पास पहुँची थी?

श्री रामकरण जोशी--इसके बारे में मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६७०

श्री अध्यक्ष--श्री गुरुदयालसिंह

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६७१

टीकावड़ा (ता० किशनगढ़) के खलिहान से श्री रूपसिंह तहसीलदार के समय उड़ाये गये नाज पर कार्यवाही

श्री चाँदमल मेहता--क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

Page No.4

[श्री चाँदमल मेहता]

टीकावड़ा (तहसील किशनगढ़) के खलिहान से श्री रूपसिंह तहसीलदार के वक्त में सरकारी नाज उड़ाया गया उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उस अनाज की कीमत ३४६ रु० १० आ० ६ पा० सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल कर ली गई है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन अधिकारियों ने नाज उड़ाया था उनसे सिर्फ नाज की कीमत ही वसूल की गई है, कोई जुर्माना नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उनकी गलती से नाज का नुकसान हुआ इसलिए ऐसा वसूल कर लिया और उनको सेन्सर्ड किया गया।

श्री चाँदमल मेहता—सेन्सर्ड क्या, सस्पेन्ड किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सेन्सर किया गया।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिस अधिकारी ने जांच की थी उसने नाज की कीमत से १० गुना वसूल करने का हुक्म दिया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अधिकारी के हुक्म को मानने के लिए गवर्नमेंट बाध्य नहीं है। गवर्नमेंट जो उचित समझती है वह करती है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि अधिकारी के हुक्म के खिलाफ अपील हुई तो गवर्नमेंट ने यह दूसरा हुक्म दिया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—गवर्नमेंट के पास जब कागजात आते हैं तो उस पर वह विचार करके निर्णय करती है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि गवर्नमेंट ने कागजात को तीन साल तक दबाये रखा, उसके बाद यह हुक्म दिया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—गवर्नमेंट कोई कागजात दबाती नहीं है; जब कागजात गवर्नमेंट के सामने रखे गये तब यह निर्णय दिया गया।

श्री चाँदमल मेहता—तीन साल तक जिन अधिकारी ने कागजात को दबाये रखा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वह कार्यवाही में थे और कागज बराबर चलते रहे। यदि आप ऐसा मानते हैं कि कागजात दबाये गये और उसकी सूचना देंगे तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है।

Page No.5

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि माननीय राजस्व मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी की डायरी में यह लिखा हुआ है कि कागज दबे हुए हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हो सकता है कि उनकी डायरी में कुछ ऐसा हो। गवर्नमेंट ने केस मंगवाकर जो निर्णय करना था वह कर दिया।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि लटाई करने वाले अफसरों ने जांच करने वाले के सामने बयान दिये हैं कि अनाज उड़ाया गया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—'अनाज उड़ाया गया' शब्द आप कहते हैं। अनाज नहीं उड़ाया गया बल्कि अनाज जांच करने पर कम हुआ तो सरकार ने सरकार के बेचने का भाव जो १३ रु० ५ आ० ४ पा० नियत किया था उस रेट के हिसाब से उनसे कीमत वसूल की है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या आपके जवाब का यह मतलब समझा जाय कि अनाज बेचा गया वह कम उतरा इसलिए यह रकम वसूल की गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां। जब यह मालूम हुआ कि अनाज कम है तो यह रकम वसूल की गई।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मंत्रीजी की जानकारी में है कि अनाज कम नहीं हुआ है, बल्कि उड़ाया गया है और जिन अधिकारी ने जांच की है उनकी इन्क्वायरी से साबित हुआ है कि अनाज उड़ाया गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि क्या वे इस इन्क्वायरी के कागजात सदन की मेज पर रखने को तैयार हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप सदन के अन्दर सूचना दे रहे हैं, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सदन में इस तरह से प्रश्न आने के बाद भी आप जानकारी चाहेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे तो जानकारी नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या अलग-अलग मंत्री महोदयों को अलग-अलग जानकारी होना आवश्यक है या डिपार्टमेंट को जानकारी होना आवश्यक है।

(घंटी)

श्री भोगीलाल पंड्या—आप......

प्रश्न संख्या ६७२ तथा ६७३

श्री अध्यक्ष--श्री विश्वम्भरनाथ जोशी।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६७४

श्री अध्यक्ष--श्री तेजपाल।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६७५

रामगंज मंडी के म्युनिसिपल बोर्ड के पिछले निर्वाचन

श्री हरिकृष्ण व्यास---Will the Minister-in-charge for Local Self Government be pleased to answer :--

(a) When were elections to the Municipal Board Ramganj Mandi held last ?

(b) What was the total nnmber of members declared elected ?

(c) Is it a fact that the members of the Board have passed motion of non-confidence against the President of the Board ?

(d) If the answer to (c) is in the affirmative, what action has been taken by the Government to respect the wish of the majority of members of the Boar[d]

(e) When will the life of the present Board expire ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)--(क) चुनाव ता० ३-७-५१ को हुए।

(ख) दस।

(ग) बोर्ड की सभा में अध्यक्ष के विरुद्ध एक अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था लेकिन सदस्यों ने नियमानुसार प्रस्ताव पास नहीं किया।

(घ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ।

(ङ) १४-१०-५४।

Page No.7

श्री वेदपाल त्यागी--क्या यह वाका सही है कि अध्यक्ष महोदय ने ३ सदस्यों को अपने अधिकार से बाहर निकाल दिया था ?

श्री रामकरण जोशी--ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--कौन से नियमानुसार वह प्रस्ताव पास नहीं हुआ ?

श्री रामकरण जोशी--मेजोरिटी, जिसके अन्तर्गत अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है उतनी नहीं थी इसलिए वह पास नहीं हो सका।

श्री हरिकृष्ण व्यास--उसके हक में कितने मत प्राप्त हुए ?

श्री रामकरण जोशी--प्रारम्भ में २१३ होने चाहिए, वे नहीं हुए थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास--प्रारम्भ और अन्त से क्या तात्पर्य है ? जब मत हुआ तब कितने मत प्राप्त हुए ?

श्री रामकरण जोशी--२१३ होने चाहिए थे, वे नहीं हुए थे।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६७६

पटवारियों द्वारा गिरदावरी के समय गलत इन्द्राज

श्री चाँदमल मेहता--क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मंत्री महोदय इस बात से परिचित हैं कि पटवारी लोग गश्त गिरदावरी के वक्त बिना किसी से पूछे व सम्बन्धित व्यक्ति को सूचित किये जमीनों के सम्बन्ध में जान-बूझकर गलत इन्द्राज कर लेते हैं जिनसे जमीनों के सम्बन्ध में ज्यादा डिसप्यूट्स पैदा हो गये हैं और काश्तकारों को सरकारी रेकॉर्ड में गलत इन्द्राज की वजह से न्याय नहीं मिलता ?

(ख) क्या यह सही है कि कन्नी, ललता आदि ढोलनों के नाम सरगांव किशनगढ़ में काफी जमीनें गश्त गिरदावरी में दर्ज हैं और वे काश्त नहीं कर रही हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)--(क) गश्त गिरदावरी मौके पर जाकर की जाती है। सब अधिकारियों को कड़े आदेश दिये गये हैं कि वे दौरे करके पटवारियों द्वारा की गई गश्त गिरदावरी की जांच करें और कहीं गलती हो तो सम्बन्धित पटवारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(ख) श्रीमती ललिता के नाम पर सरगांव में काफी जमीन है। श्रीमती बन्नी के नाम कोई जमीन नहीं है।

श्री चांदमल मेहता--जो आदेश दिये गये हैं क्या उनकी तामील हो रही है?

श्री भोगीलाल पंड्या--अवश्य। आदेश तामील के लिए ही दिये जाते हैं और उनकी तामील होती है।

श्री चाँदमल मेहता--क्या माननीय मन्त्री महोदय को जानकारी में है कि पटवारियों ने गश्त गिरदावरी में जो ऐतराज दर्ज किये हैं उनकी जांच के लिए नायब तहसीलदार और तहसीलदार द्वारा जांच के लिए आदेश हैं लेकिन वह जांच नहीं की जाती है?

श्री **भोगीलाल पंड्या**--यह आप नई सूचना दे रहे हैं। बराबर जांच होती है और आप ऐसा कहते हैं तो अगर आप लिखकर देंगे तो जांच करने की कोशिश की जायगी।

श्री चांदमल मेहता--क्या मन्त्री महोदय इस प्रश्न के आधार पर यह जांच करने की कृपा करेंगे कि क्या कभी इस तरह की जॉच हुई है?

श्री भोगीलाल पंड्या—प्रश्न का मैंने आपको जवाब दे दिया है। जांच उन पर नहीं हो सकती है। आप नई सूचना दे रहे हैं उसके लिए सोचा जायगा।

प्रश्न संख्या ६७७

मियाँपुर (त० परबतसर) के ग्रामीणों द्वारा मकान व मवेशियों के लिये भूमि की मांग

श्री **चांदमल मेहता** क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मियांपुर (परवतसर तहसील) के अधिकांश व्यक्ति रहने के लिये मकान और मवेशियों के बाड़े के लिये जमीन की मांग वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जमीन नहीं दी जा रही है?

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

(ग) क्या यह सही है कि कुछ आदमियों को, जिन्हें मवेशियों के बाड़े के लिये जमीन नहीं मिली गांव छोड़कर दूसरी जगह आबाद होना पड़ा?

[श्री चाँदमल मेहता]

(घ) क्या यह भी सही है कि इस गांव के कुछ आदमी जिनके मवेशियों के लिये बाड़े हैं उन्हें भी उठाने के लिये सरकारी आदेश जारी हुए हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)--(क) मियांपुर में मकान व बाड़ों की जमीन देने के लिए किसी भी व्यक्ति ने प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किया है। कुछ व्यक्तियों (राजपूतों) द्वारा खालसा की जमीन पर अनाधिकार कब्जा कर बाड़े बनाने पर ऐसे बाड़े हटवाने की कार्यवाही तहसील परबतसर में चल रही है। मियांपुर में कृषक लोग अधिकतर उनके कुओं पर ही रहते हैं जहां पर उनके मकान व बाड़े हैं।

(ख) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) नहीं।

(घ) अनुमातः नौ-दस व्यक्तियों ने, जिनमें अधिकांश राजपूत हैं, मियांपुर में तालाब के पास रास्ते पर व उसके पार्श्व की खालसा भूमि पर बिना आज्ञा अनाधिकार रूप से कब्जा कर बाड़े बना लेने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

श्री चांदमल मेहता--क्या यह सही है कि मीयापुर में ही नहीं, बल्कि और भी ५-६ तालाबों के बारे में प्रार्थना-पत्र दे चुके। विधान सभा में भी कट मोशन रखा गया था इस सम्बन्ध में, क्या माननीय मन्त्री महोदय के वह ध्यान में है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--मैं जवाब दे चुका हूँ। आप बारबार नई जानकारी देते हैं तो मैं आपको बताऊँ कि जितनी बात गवर्नमेंट की जानकारी में थी उसका जवाब दे दिया गया है।

श्री चांदमल मेहता--जवाब जरूर दिया गया है लेकिन क्या इस तरह की दरख्वास्तें पेश नहीं हुई हैं कि क्या मन्त्री महोदय इसकी जांच करने के लिए तैयार हैं कि कलेक्टर नागौर के पास कितनी दरख्वास्तें दी गई हैं और उन्होंने उन पर कार्यवाही की है या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या--मेरे पास जो सूचना थी वह आपको दी गई है कि इस तरह के कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आये हैं। कलेक्टर के पास आये हों, तो कैसे मालूम हों। आप सूचना देंगे, अलग से जानकारी देंगे तो सूचना प्राप्त की जायगी।

श्री चाँदमल मेहता--क्या माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि कलेक्टर के यहां प्रार्थना-पत्र जो दिये हैं उनको जमीन देने की व्यवस्था नहीं हुई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--उनका कर्तव्य है कि उचित कार्यवाही करें। वे (कार्यवाही)

[श्री भोगीलाल पंड्या]

करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। उसमें किसी प्रकार की खामी हो तो आप और सूचना देंगे तो उसका पालन किया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या सूचना देने के लिए यह प्रश्न काफी नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सूचना गलत दी है, इसका क्या कर सकते हैं ? जो वाजिब बात थी वह मैंने कह दी।

श्री चाँदमल मेहता—मैंने सूचना दी है वह गलत है या माननीय मन्त्री महोदय ने सूचना दी है वह गलत है। मैं इसके लिए जांच करवाने के लिए तैयार हूँ कि जो सूचना माननीय मन्त्री महोदय ने दी है वह गलत है या मैंने जो सूचना दी है वह गलत है।

श्री भोगीलाल पंड्या—प्रश्न के पूछने से उसको सूचना कैसे मान लिया जाय। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से जो उत्तर दिया गया है वह बिल्कुल सही दिया गया है।

प्रश्न संख्या ६७८

श्री अध्यक्ष—श्री रघुवीरसिंह।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६७९

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह संधु।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६८०

जयपुर स्थित नेशनल बॉलबियरिंग फैक्ट्री के प्रबन्धकों द्वारा सन् १९५२ में घोषित तालाबन्दी

श्री हरिकृष्ण व्यास--Will the Minister for Labour be pleased to answer :—

(a) Is it a fact that a Lock-out was declared by the management of the National Ball Bearing Co. of Jaipur in 1952 ?

(b) Is it a fact that conciliation proceedings were commenced by the Labour Department in that dispute ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(c) Has the report of the Conciliation Officer been forwarded to the Government ?

(d) Did the Government refer the dispute for adjudication ?

(e) If not, why not ?

(f) What steps does the Government now propose to take in the matter ?

श्री रामकरण जोशी (श्रम मंत्री)—(क) हां ।

(ख) हां ।

(ग) नहीं ।

(घ) इसके बारे में कम्पनी से दूसरे नेगोशियेशन्स चल रहे थे कि कम्पनी में प्रोफिट नहीं हो रहा है ।

(ङ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री हरिकृष्ण व्यास —इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के मातहत क्या यह शर्त है कि जो मुनाफे में चलने वाली कम्पनीज़ होती है उनके केसेज़ डिस्प्यूट के रेफर किये जायं ।

श्री रामकरण जोशी—उस वक्त उद्योग विभाग ने बीच में पड़कर; यानी मजदूरों और कम्पनी के बीच में पड़कर इसको कर दिया था और इसलिए उसकी आगे कार्यवाही नहीं कराई गई थी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मंत्री महोदय के यह बात ध्यान में है कि कम्पनी चालू होने के साथ-साथ जिन मजदूरों को निकाला था उनको वापिस नहीं लिया गया ?

श्री रामकरण जोशी—उनमें से कुछ मजदूरों को ले लिया गया था जिनको कि कम्पनी एब्ज़ोर्ब कर सकती थी और जिनको नहीं ले सकते थे उनको नही लिया गया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह बतायेंगे कि कंसीलियेशन ऑफिसर की रिपोर्ट क्या थी ?

श्री रामकरण जोशी—कंसीलियेशन ऑफिसर की रिपोर्ट यह थी कि समझौता असफल रहा, कंसीलियेशन नहीं कर सके ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब समझौता असफल रहा तो डिस्प्यूट को तय करने के लिये आगे क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामकरण जोशी—इसके साथ-साथ मेनेजमेन्ट और मजदूर मिल को चलाने में यदि राजी हो जाते हैं तो इस प्रश्न को आगे चलाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिये मजदूरों की इच्छा पर कारखाने को पुनः चालू करवाया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसके बाद जो मजदूर बाहर रखे गये उनके मामले को उद्योग अदालत में क्यों नहीं दिया गया ?

श्री रामकरण जोशी—मजदूरों की सलाह से मिल चालू की गई थी और जिनको इन्जोर्ड किया जा सकता था उनको किया गया था इसलिये इसकी जरूरत नहीं समझी गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या लगातार सरकार के पास इस आशय की अर्जियें पेश हुई थीं कि इस मामले को औद्योगिक-अदालत के सुपुर्द किया जाय ?

श्री रामकरण जोशी—अर्जियें जरूर आती रही हैं। वह मामला खत्म होता गया, उसके बाद कार्यवाही करना जरूरी नहीं समझा गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने यूनियन को अदालती कार्यवाही नहीं करने की सूचना दी थी ?

श्री रामकरण जोशी—यह अलग सवाल है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही नहीं है कि इस प्रकार की सूचना देना आवश्यक है ?

श्री रामकरण जोशी—सूचना देना जरूरी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सच नहीं है कि इस प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा एक प्रश्न और है।

इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल के सामने मजदूरों का मामला नहीं भेजा गया, इसका मतलब यह है कि मिल मालिकों का ध्यान सरकार ज्यादा रखती है; यह क्यों है ?

श्री रामकरण जोशी—मजदूरों के हित में मिल चालू कराने का सवाल सरकार के सामने ज्यादा महत्व रखता है।

प्रश्न संख्या ६८१

जयपुर में स्थित नेशनल बॉल बियरिंग फेक्ट्री के स्वामियों तथा कर्मचारियों के मध्य सन् १९५४ में श्रम विभाग द्वारा कॉन्सिलियेशन कार्यवाहियाँ

श्री हरिकृष्ण व्यास— Will the Minister for Labour be pleased to answer :-

(a) Did the Labour Department commence any conciliation proceedings between the Employees and the Employers of the National Ball Bearing Co, Jaipur in 1954 ?

(b) If so, with what results ?

(c) Has the report of the Conciliation Officer been forwarded to the Government ?

(d) Is the Government aware that twenty-one workers have been illegally discharged from the above concern during the pendency of the conciliation proceedings ?

(e) What action has the Government taken against the management of the said concern for having committed this illegal act ?

श्री रामकरण जोशी (श्रम मन्त्री)—(अ) नहीं।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

(स) प्रश्न नहीं उठता।

(द) जो समझौता कार्यवाही तारीख २१ सितम्बर, ५३ को शुरु हुई उसके मध्य तक १ जनवरी, ५४ को कुछ मजदूरों को कम कर दिया गया था।

(ई) प्रबन्ध-कर्ताओं को कहा गया कि उनको वापिस काम पर रखें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रबन्धकों ने जो अनुचित काम किया उसके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामकरण जोशी—उनको हिदायत की गई कि मजदूरों को वापिस जल्दी से जल्दी काम पर रखें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही नहीं है कि श्रम विभाग की ओर से यूनियन को कंसीलियेशन कार्य के लिये आने का नोटिस दिया गया है ?

श्री रामकरण जोशी—मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही नहीं है कि तीन-चार बार कंसीलियेशन के नोटिस विभाग की ओर से मजदूरों और मालिकों को दिये गये ?

श्री रामकरण जोशी—मालिकों को स्पष्ट आदेश दिया गया कि मजदूरों को तुरन्त काम दिया जाय। यदि उनको काम पर नहीं लगा सकेंगे तो मालिकों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा सप्लीमेन्ट्री प्रश्न यह है कि क्या यह सही नहीं है कि तीन-चार बार इस मामले में नोटिस दिये गये और कंसीलियेशन के लिये लेबरर्स और मालिकों को बुलाया गया ?

श्री रामकरण जोशी—मैं अपनी सूचना के आधार पर बताता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार जाँच करायेगी कि ये नोटिस दिये गये थे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री हरिकृष्ण व्यास—और यदि मेरी उपरोक्त सूचना सही निकली तो क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या ६८२

परबतसर तहसील के एक्स सर्विसमैन को कृषि हेतु भूमि

श्री चाँदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

एक्स-सर्विसमेन को काश्त के लिए जमीनें देने की आज्ञा हुई है उसके अन्तर्गत परबतसर तहसील में कितने व्यक्तियों को जमीने दी गईं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—परबतसर तहसील में ऐसी कोई जमीन नहीं दी गई।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि कई आदमियों की दरख्वास्तें पेश होने के बाद और गवर्नमेंट का सर्क्युलर एक्स सर्विसमेन को जमीनें देने के लिए होते हुए भी जमीनें नहीं दी गईं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिनके आवेदन-पत्र आये उनके लिये उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री चाँदमल मेहता—यह काम कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सर्कुलर निकला तब से शुरू हुआ और ज्यों-ज्यों केसेज़ तैयार होंगे त्यों-त्यों समाप्त होगा।

श्री चाँदमल मेहता—सर्क्युलर निकलने के बाद जो प्रार्थना-पत्र आये हैं और जो अब तक पड़े हैं उनके निस्बत क्या अवधि निश्चित की गई है कि इतने समय के अन्दर उन पर निर्णय हो जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अधिकारी समय पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कहीं देरी हो रही होगी तो भी जल्दी निकालने का प्रयत्न करेंगे।

श्री चाँदमल मेहता—यह सर्कुलर कब निकला और कितना अरसा हुआ ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उसकी तारीख मुझे मालूम नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—माननीय मन्त्रीजी को मालूम होना चाहिये कि यह सर्कुलर सन् १९५२ में निकला है और उसके बाद अब तक प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई, क्या इसकी जाँच करवायेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिनके प्रार्थना-पत्र आये हैं उन पर उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या उचित कार्यवाही की जा रही है ? इसके बारे में और देरी क्यों की जा रही है इसकी जाँच करने से मेरा मतलब है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—देरी होगी तो जल्दी करवाने का प्रयत्न किया जायगा।

प्रश्न संख्या ६८३

श्री अध्यक्ष—श्री तेजपाल।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६८४

सन् १९५३-५४ में सरकार द्वारा खरीदी गई शराब

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—क्या पृथक रजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३-५४ में कहाँ से कितने रुपये की कितनी गैलन शराब सरकार द्वारा खरीदी गई ?

Page No.16

[श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)

(ख) इस शराब में कितने गैलन कितने रुपयों की शराब ठेकेदारों को दी गई ?

(ग) ठेकेदारों को फी गैलन कितना कमीशन मिलता है और उस कमीशन के हिसाब से ठेकेदारों को दी गई शराब का कितना कमीशन होता है ?

(घ) इस वर्ष शराब की बिक्री के लिये कुल कितने रुपये का ठेका हुआ है ?

(ङ) ठेका से आने वाली रकम व ठेकेदारों को मिलने वाले कमीशन में कितना अन्तर है ?

(च) उपरोक्त प्रश्नावली के अनुसार सन् १९५२-५३ व ५१-५२ में कितना अन्तर रहा है ?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मन्त्री)—(क) १९५३-५४ में भिन्न-भिन्न सप्लाई ठेकेदारों के द्वारा करीब ५ लाख एल० पी० गैलन शराब करीब १३ लाख रुपयों में खरीदी गई।

(ख) पाँच लाख गैलन शराब तीस लाख रुपये में दुकानदारों को बेची गई।

(ग) ठेकेदारों (दुकानदारों) को करीब ३ रु० प्रति गैलन कमीशन मिलता है और इस हिसाब से १५ लाख रुपया कमीशन होता है।

(घ) इस वर्ष शराब की बिक्री के लिये कुल २८ लाख रुपयों का ठेका हुआ।

(ङ) ठेकों से आनेवाली रकम व ठेकेदारों को मिलनेवाले कमीशन में १४ लाख का अन्तर है।

(च) उपरोक्त प्रश्नावली के अनुसार सन् १९५२-५३ में १८ लाख व ५१-५२ में १६ लाख रुपयों का अन्तर रहा।

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—कमीशन की रकम और ठेके की रकम में इतना अन्तर होने का क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ—बोली लगाते होंगे ज्यादा।

श्री भैरूँसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि ठेकेदार ज्यादा बोली इसलिये लगाते हैं क्योंकि ज्यादा बोली वाले को ठेका मिलता है, लेकिन ठेका मिलने के बाद नाजायज शराब की बिक्री करते हैं और उसके जरिये ठेके की कमी की पूर्ति करते हैं और कमीशन से भी ज्यादा लाभ इससे होता है ?

श्री भोलानाथ—ऐसी कार्यवाही करने वालों को सजा दी जायगी।

श्री भैरूँसिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि राजस्थान में एक साल में ठेके की बोली और कमीशन में १४ लाख रुपयों का अन्तर रहा, तो क्या यह सच नहीं है कि ठेकेदारों ने अपनी कमी को पूरा करने के लिये शराब में पानी मिलाकर बिक्री की ? गत वर्ष ऐसे कितने केसेज़ पकड़े गये और कितने ठेकेदारों को सजा दी गई ?

श्री भोलानाथ—इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये नोटिस चाहिये।

श्री भैरूँसिंह—ठेके की रकम और कमीशन की रकम में इतना अन्तर रखना क्या सरकार के लिये शोभा की बात है ?

श्री भोलानाथ—और कोई रास्ता नहीं है।

श्री भैरूँसिंह—क्या सरकार हमेशा यह महसूस करती रहेगी कि इस तरह शराब की जो बोलियें मिलती हैं वे ठीक हैं और रकम में इतना अन्तर रहता है तो कोई हर्ज नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! Next Question.

प्रश्न संख्या ६८५

सन् १९५३-५४ में सरकार द्वारा राष्ट्रीय भाषा हिन्दी के प्रचारार्थ कार्यवाही

श्री भैरूँसिंह (दाँता रामगढ़)—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में सन् १९५३-५४ में सरकार ने राष्ट्र भाषा हिन्दी के प्रचारार्थ क्या कार्यवाही की है ?

(ख) इस कार्य हेतु किस-किस संस्था को कितनी-कितनी किस-किस रूप में सहायता दी गई और नहीं तो क्यों नहीं ? इस सहायता के फलस्वरूप क्या-क्या कार्य हुए हैं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—क. १. तारीख ५-११-५३ की एक राजाज्ञा द्वारा बहुत से राज विभागों में नागरी लिपी में लिखित हिन्दी में राजकार्य करना अनिवार्य कर दिया गया।

२. विज्ञप्ति द्वारा राजस्थान राज्यभाषा अधिनियम (नं० २७, सन् १९५२) को तारीख २६-१-१९५४ से व्यवहारशील कर दिया।

३. हिन्दी का शिक्षण और प्रचार करने वाली विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी गई।

ख.. सहायता पानेवाली संस्थाओं की सूची इस प्रकार है। इस सहायता के फल स्वरूप राजस्थान के सहस्त्रों छात्र विभिन्न हिन्दी परीक्षाओं में बैठे और उत्तीर्ण हुए।

[श्री भोलानाथ]

१.	भारतीय विद्या मन्दिर, बीकानेर ।	——	६६१७ रु०
२.	संयुक्त राजस्थान लोक शिक्षण संघ, उदयपुर	——	२००० रु०
३.	विद्या मन्दिर, जैसलमेर	——	८८० रु०
४.	राष्ट्रीय विद्यालय, लाडनू	——	६७८ रु०
५.	हिन्दी साहित्य समिति, भरतपुर	——	१५६० रु०
६.	ओरियेन्टल कॉलेज, जोधपुर	——	२००० रु०
७.	राजस्थान ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम, रतनगढ़	——	३२१० रु०
८.	सरस्वती विद्यापीठ, कोटा	——	१४४० रु०
९.	राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर	——	४५५४२ रु०

श्री हरिकृष्ण व्यास—१८५४ कौनसी तारीख है ?

श्री भोलानाथ—समझा नहीं, फिर से फरमाइये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपने अभी फरमाया था कि १८५४ ।

श्री भोलानाथ—२६ जनवरी, १९५४ ।

श्री भैरूँसिंह—क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस विज्ञप्ति के निकालने के बाद में सरकारी कर्मचारी हिन्दी में काम करने लग गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६८६

सन् १९५३-५४ में चुनाव सम्पन्न हुई नगरपालिकाएँ

श्री भैरूँसिंह (दाँता रामगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३-५४ में किन-किन नगरपालिकाओं के किस-किस तारीख को चुनाव सम्पन्न हुए ?

(ख) इन नगरपालिकाओं के सफल उम्मीदवारों के नाम राजस्थान राज-पत्र में किस-किस तारीख को प्रकाशित हुए ?

(ग) किन-किन नगरपालिकाओं के सफल उम्मीदवारों के नाम मत-गणना के एक माह पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित हुए ?

Page No.19

[श्री भैरू सिंह]

(घ) इन नगरपालिकाओं में किस नगरपालिका के सफल उम्मीदवारों के नाम सबसे कम समय में और किस नगरपालिका के सफल उम्मीदवारों के नाम सबसे अधिक समय में राज-पत्र में प्रकाशित हुए ?

(ङ) यदि यह अन्तर १५ दिन से अधिक है तो उसका क्या कारण है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क, ख) जिन नगरपालिकाओं के चुनाव सन् १९५३-५४ में सम्पन्न हुए उनकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(घ) भीनमाल और बाढ़मेर नगरपालिकाओं की सबसे कम समय में हुई और बैराठ नगरपालिका की सबसे देर में हुई।

(ङ) इसका कारण यह है कि बैराठ नगरपालिका के चुनाव का नतीजा सम्बन्धित जिलाधीश ने ही दिनांक २८-१२ ५३ को भेजा और मनोनीत सदस्यों की सूची तारीख १८-१-५४ को भेजी थी। इस विलम्ब के लिये उसे भविष्य में सावधान रहने के लिये लिख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरू सिंह (दाँता रामगढ़)—नगरपालिकाओं के चुनाव होने के पश्चात् सफल उम्मीदवारों के नाम राजस्थान राज पत्र में प्रकाशित होने में कम से कम कितना समय लगता है ?

श्री रामकरण जोशी—जिस प्रणाली में होकर नाम आते हैं उसमें देर हो जाय उसी के मुताबिक समय लगता है।

श्री भैरू सिंह (दाँता रामगढ़)—इसके लिये कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना समय पर्याप्त समझा जाय ?

श्री रामकरण जोशी—कम से कम १ महीने और ज्याद भी लग सकता है; और ज्यादा से ज्यादा ६ महीने भी लग सकते हैं।

श्री भैरू सिंह (दाँता रामगढ़)—क्या यह सही है कि कई नगरपालिकाओं के चुनाव सम्पन्न होने के पश्चात् सफल उम्मीदवारों के नाम ६ महीनों के बाद राजपत्र में प्रकाशित किये गये ?

श्री रामकरण जोशी—कोई पर्टिक्युलर नाम बतायें तो कहा जा सकता है।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—तिजारा, बाँदीकुई, नापासर और चाकसू: इन नगरपालिकाओं के सफल उम्मीदवारों के नाम क्या ६ महीनों के बाद प्रकाशित किये गये ? क्या यह सही है ?

श्री रामकरण जोशी—यह तो आपको सूची में देखने पर आप ही प्रकट हो जायगा ।

श्री भैरूंसिंह—उसी सूची के आधार पर मैं पूछ रहा हूँ ।

श्री रामकरण जोशी—जो सूची में दर्ज है वह सही है ।

श्री भैरूंसिंह—क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी जिनके कारण इस प्रकार नाम प्रकाशित करने में देर हुई है ?

श्री रामकरण जोशी—उन्हें आगे सावधान रहने की हिदायत कर दी गई है ।

श्री भैरूंसिंह—क्या उनके पीछे के कुसूर माफ कर दिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६८७

जोबनेर [जिला जयपुर] नगरपालिका को समाप्त कर ग्राम पंचायत बनाना

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जोबनेर (जिला जयपुर) की नगरपालिका को भंग किया जाकर ग्राम पंचायत स्थापित करने का क्या कारण है ?

(ख) क्या नगरपालिका भंग करने से पूर्व वहाँ की जनता को अपनी कठिनाइयाँ सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था ?

श्री रामकरण जोशी—(क) नगरपालिका भंग नहीं की गई ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री भैरूंसिंह—इस नगरपालिका को भंग करने के सम्बन्ध में क्या गजट में सूचना प्रकाशित की गई थी ?

श्री रामकरण जोशी—लोगों की राय जानने के लिये गजट में सूचना प्रकाशित की गई थी ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या और भी किसी नगरपालिका के सम्बन्ध में इस प्रकार की सूचना गजट में प्रकाशित की गई है ?

श्री रामकरण जोशी—वहाँ के रहने वाले लोग जैसा आवेदन करते हैं उसी प्रकार कार्यवाही की जाती है।

श्री भैंरूसिंह—इस प्रकार की राय जानने की सरकार ने आवश्यकता क्यों समझी ?

श्री रामकरण जोशी—वहाँ के रहने वाले पंचायत बनाना चाहते हैं नगरपालिका के स्थान पर। इसलिए पंचायत बनाने के बजाय वहाँ के लोगों की राय जानने के लिये गजट में नोटीफाई कर दिया है।

श्री भैंरूसिंह—नगरपालिका का क्षेत्र होने के बाद भी क्या सरकार नगरपालिका को भंग करके वहाँ पंचायत बना सकती है।

श्री रामकरण जोशी—अगर लोगों की माँग हो और इस तरह के हालात हों कि वहाँ नगरपालिका के बजाय पंचायत बनाना ज्यादा अच्छा है तो वहाँ पंचायत बनाई जा सकती है।

श्री भैंरूसिंह—क्या टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ एक्ट में कहीं इस प्रकार का प्रोविजन है कि नगरपालिका को पंचायत के रूप में परिणत कर दे।

श्री रामकरण जोशी—हाँ, टाउन म्युनिसिपेलिटीज एक्ट, फोर्मर जयपुर स्टेट में यह बात है कि जिस जगह नगरपालिका चलाना असंभव हो और नगरपालिका की सूची में आती हो उसे भंग किया जा सकता है और जो नगरपालिका उस सूची में नहीं आती हो उसके लिये कोई पाबन्दी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६८८

सन १९५३ में जिला भीलवाड़ा [तहसील बनेड़ा] में कूओं को गहरे करने हेतु तकावी

श्री कस्तूरचन्द—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला भीलवाड़ा, तहसील बनेड़ा में सन् १९५३ में कूए गहरे कराने बाबत कितनी तकावी दी गई ?

[श्री कस्तूरचन्द]

(ख) ऊपर दी गई तकावी किन-किन को दी गई ?

(ग) यहाँ पर तकावी की माँग इस वक्त कितने रुपये की और है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—(क) तहसील बनेड़ा में १६५३ में कुआ गहरा करने के बाबत ३,५००) रु० तकाबी के दिये गये ।

(ख) यह तकावी निम्नलिखित व्यक्तियों को दी गई :

१.	बून्दा गूजर, साकिन कजलोदा	४०० रु०
२.	रघुवीरसिंह राजपूत, बनेड़ा	३०० रु०
३.	झुझार खारोल, सा. बालापुरा	२०० रु०
४.	केशर बेग, सा. बनेड़ा	२०० रु०
५.	अशरफ खाँ, सा. बनेड़ा	४०० रु०
६.	मानसिंह, सा. बनेड़ा	७०० रु०
७.	ओंकार, सा. डाबला	२०० रु०
८.	कालू, सा. देवपुरा	२०० रु०
६.	रूपा खारोला, सा. खारोला खेड़ा	१०० रु०
१०.	रावतमल कोठारी	८०० रु०
	कुल—	३,५०० रु०

(ग) करीब १००००) रुपये की माँग और है ।

प्रश्न संख्या ६८६

श्री अध्यक्ष—श्री छीतरसिंह ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६६० तथा ६६१

श्री अध्यक्ष—श्री महादेवप्रसाद ।

[प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये]

प्रश्न संख्या ६६२

नगरपालिकाओं द्वारा आमदनी की मदों को वसूल करना व खर्च करना

श्री भैरूंसिंह (दाँता रामगढ़)—क्या स्वायत्त शासन निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

(क) सरकारी निश्चय के अनुसार सरकार के किन-किन आमदनी के मदों को नगरपालिका वसूल व खर्च कर सकती हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि इन निश्चित मदों में से अधिकतर मद सरकार ने अपने कब्जे में कर रखे हैं ?

(ग) यह मद कौन-कौन से हैं और उनको नगरपालिका को न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) सरकारी निश्चय के अनुसार जिन मदों की आमदनी नगरपालिका वसूल कर सकती है वे सेक्शन ५९ आर. टी. एल. एक्ट में दी हुई हैं।

(ख) नहीं।

(ग) यह मद वही हैं जो सेक्शन ५९ में दर्ज हैं और नगरपालिकाओं को वसूल करने का पूरा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६६३

जयपुर के लिये नगर विकास समिति के व्यक्ति

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Will the Minister for the Local-Self Government please state :

What are the personnel of the Urban Improvement Board for the City of Jaipur ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—१. श्री रामकिशोर व्यास चेयरमेन

२. श्री हरिचन्द्र शास्त्री	सदस्य
३. श्री गुलाबचन्द कासलीवाल	सदस्य
४. एडमिनिस्ट्रेटर, नगरपालिका, जयपुर	सदस्य
५. सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर, जयपुर सिटी	सदस्य
६. श्री बी. एन. कॉक	सदस्य
७. सचिव, नगर विकास-मंडली, जयपुर	सचिव

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—ये सदस्य कब नियुक्त किये गये थे।

श्री रामकरण जोशी—मेरे खयाल से गये महीने में।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या उन्होंने कार्य प्रारम्भ कर दिया है ?

श्री रामकरण जोशी—इसका जवाब वही देंगे ।

कुँ० श्री **जसवन्तसिंह**—क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी जो नाम आपने सुनाये हैं व्यक्ति एक ही पोलिटिकल पार्टी के हैं, या और भी दूसरी पोलिटिकल पार्टीज़ के आदमियों को इसमें लिया गया है ।

श्री रामकरण जोशी—जो नाम आपने सुने हैं उन्हीं से आपको मलूम हो गया होगा ।

कुँ० श्री **जसवन्तसिंह**—नाम पर क्या पार्टी का नाम लिखा हुआ होता है ?

श्री रामकरण जोशी—कुछ नाम ऐसे हैं जिनसे मालूम हो सकता है ।

कुँ० श्री **जसवन्तसिंह**—क्यों, क्या विशेषता है उन नामों में जिनसे मालूम हो जाता है ?

श्री रामकरण जोशी—हालात को देखते हुए, निगाह खोल के देखते हैं तो मालूम हो सकता है ।

कुँ० **श्री जसवन्तसिंह**—अगर आप यह बता दें कि कौन-कौनसी पार्टी के व्यक्ति हैं तो क्या आपको कोई कष्ट होगा ?

श्री रामकरण जोशी—जयपुर के नागरिकों में से नाम लिए गये हैं, इसमें कोई पोलिटिकल मकसद नहीं हैं ।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—इस बोर्ड की वैधानिक स्थिति क्या है ?

श्री रामकरण जोशी—(अश्रव्य) ।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—इसके कर्त्तव्य और अधिकार क्या हैं ?

श्री रामकरण जोशी—इसको डिटेल्स में पूछने के लिए अलग सवाल रखिये । आप खुद इसके मेम्बर हैं ।

विरोधी पक्ष की ओर से एक सदस्य—खुद सदस्य हैं इससे क्या हुआ ?

श्री भैरूँसिंह—क्या इस बोर्ड के डिसीज़न फाइनल होंगे ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६६४

वे जिले जहाँ ग्राम-सुधार विभाग का कार्य चलता है

श्री धूलजी भाई—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

[श्री धूलजी भाई]

(क) ग्राम-सुधार विभाग का कार्य किन-किन जिलों में चल रहा है और उसके कार्य से क्या सरकार को संतोष है ?

(ख) बाँसवाड़े जिले में ग्राम सुधार विभाग का कार्य कब से चल रहा है ?

(ग) इस विभाग की ओर से आरम्भ से अब तक किन-किन गाँवों में क्या-क्या सुधार-कार्य किये और आरम्भ से अब तक कितनी धन-राशि बाँसवाड़े जिले में इस विभाग पर खर्च की गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इस प्रश्न का सम्बन्ध मुझसे नहीं है। सम्बन्धित मन्त्री अपनी बारी से जवाब देंगे ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६६५

वर्तमान डाइरेक्टर ऑफ एग्रिकल्चर को कृषि संबन्धी ज्ञान न होने के विषय में

श्री भैरूँ सिंह (दांता रामगढ़)—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सही है कि वर्तमान डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर को कृषि विषयक कोई विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं है ?

(ख) यदि हाँ, तो उन्होंने इस सम्बन्ध में कहाँ शिक्षा प्राप्त की है ?

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि उनकी अनभिज्ञता के कारण कृषि विभाग का कार्य डाँवाडोल हो रहा है ?

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि अध्यक्ष के कार्य में अनभिज्ञता होने के कारण अभी इस विभाग के कुछ कर्मचारियों ने सरकारी रकम का गबन किया है जिनको मुअत्तिल किया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इस प्रश्न का संबन्ध मुझसे नहीं है । संबन्धित मन्त्री अपनी बारी से जवाब देंगे ।

श्री भैरूँ सिंह—जब यह प्रश्न एडमिट कर लिया गया तो मैं समझता हूँ कि इसका उत्तर दिया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्टटर्न पर इसका जवाब दे दिया जावेगा । नेक्स्ट ।

Page No.26

प्रश्न संख्या ६६६

चित्तौड़ जिले के बेगूं मिडिल स्कूल भवन-विस्तार कार्य

श्री सुगनचन्द जैन—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) चित्तौड़ जिले के बेगूं मिडिल स्कूल में कितने विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं?

(ख) क्या इन विद्यार्थियों के बैठने के लिए वहाँ पर्याप्त स्थान है?

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार की उस स्थान को बढ़ाने की कोई योजना है और वह कब तक पूरी हो जायगी?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) चित्तौड़ जिले के बेगूं मिडिल स्कूल में इस समय ४१६ विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं।

(ख) विद्यार्थियों के बैठने के लिए स्कूल में स्थान अपर्याप्त होने के कारण स्कूल को दो शिफ्ट्स में चलाया जा रहा है।

(ग) स्कूल के अधिक कमरे बनवाने के लिए ग्रामवासियों को चाहिये कि वे चन्दा इकट्ठा करके इस कार्य में सहायता दें। यदि वे ऐसा करेंगे तो सरकार भी बाकी सहायता देने के प्रश्न पर आर्थिक स्थिति तथा आवश्यकतानुसार अवश्य विचार करेगी।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह कर्त्तव्य नगरवासियों का है या सरकार का है कि अगर कहीं स्थान अपर्याप्त हो तो उसकी पूर्ति करे।

श्री भोलानाथ—दोनों का ही कर्त्तव्य है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—फिर सरकार किस काम की है? सरकार किसकी है?

श्री भोलानाथ—सरकार तनख्वाह दे रही है।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—सरकार पब्लिक की है तो फिर पब्लिक के कष्ट को दूर क्यों नहीं करती?

श्री भोलानाथ—जनता के ४१६ लड़के पढ़ रहे हैं।

एक सदस्य—जनता जितना पैसा इकट्ठा करेगी उतना ही यानि ५०-५० प्रतिशत सरकार देगी।

श्री भोलानाथ—लोकल development fund से संस्थाओं को सहायता मिलती है।

एक माननीय सदस्य—वह किसका पैसा है।

श्री भोलानाथ—सरकार का ही पैसा है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६६७

श्री अध्यक्ष—श्री नारायणलाल

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थिति-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६६२

चित्तौगढ़ जिले की पंचायतें तथा उनमें हरिजन सदस्य

श्री जयचन्द्र मोहिल—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) चित्तौड़गढ़ जिले में कुल कितनी पंचायतें हैं? किस-किस तहसील में कितनी कितनी?

(ख) किस-किस पंचायत में हरिजन सदस्य है और किस किस में नहीं? जो हरिजन सदस्य हैं वह नामजद किया गया है या चुनाव में आया है।

श्री रामकरण जोशी—(स्वायत्त शासन मन्त्री)—

(क) चित्तौड़गढ़ जिले में १०२ ग्राम-पंचायतें हैं। हर तहसील की पंचायतोंकी संख्या निम्न हैं:—

क्र०सं०	नाम तहसील	सं०
१.	चित्तौड़गढ़	७
२.	गंगरार	८
३.	भैंसरोड़गढ़	७
४.	कनेरा	१
५.	निम्बाहेड़ा	३
६.	सादड़ी खुर्द	७
७.	डूंगला	५
८.	भदेसर	१०
९.	कपासन	८
१०.	राशमी	७
११.	प्रतापगढ़	१८
१२.	सादड़ी कलां	७
१३.	अचनेरा	८
१४.	बेगूं	६
	योग	१०२

[श्री रामकरण जोशी]

(ख) किस पंचायत में कितने हरिजन सदस्य हैं; यह आँकड़े ज्ञात नहीं है क्योंकि चुनाव पत्रों में जातियें अंकित करने का नियम नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६६६

सन् १९५३ में चित्तौड़ जिले में पंचायत बोर्ड की ओर से पाठशालाएँ खोली जाना

श्री जयचन्द्र मोहिल—क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) चित्तौड़ जिले में पंचायत बोर्ड की ओर से कितने स्कूल सन् ५३ में खोले गये हैं और कहां-कहां ?

(ख) क्या इन स्कूलों के खोले जाने से सन् ५३ का कोटा पूरा हो जाता है ?

(ग) यदि नहीं, तो बाकी स्कूल क्यों नहीं खोले गये ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत शासन मन्त्री)—(क) चित्तौड़गढ़ जिले में पंचायतों की ओर से १९५३ में २१ स्कूल्स निम्न स्थानों पर खोले गये;

क०सं०	नाम स्थान जहाँ स्कूल खोला गया		
१.	अलोदिया	१२.	जावदा
२.	अचलपुरा	१३.	लकाड़िया
३.	सेमाड़ा	१४.	मेघपुरा
४.	उमन्ड	१५.	पुठोली
५.	बगेड़ा	१६.	सिगोली
६.	सुदरी	१७.	ऊंचा
७.	नारेला	१८.	आलोद
८.	बिनाक्या	१९.	पालोद
९.	पारसोली	२०.	भाटड़ी
१०.	मुरोली	२१.	बोलायानी
११.	उपरेड़ा		

हर जिले में पंचायतों द्वारा पाठशालायें खोले जाने का कोई खास कोटा निश्चित नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ७००

श्री अध्यक्ष—श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री ।

[प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित]

प्रश्न संख्या ७०१

सिवाणा तहसील के अकाल ग्रसित घोषित ग्राम

श्री मोटाराम चौधरी—क्या अकाल सहायता मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;—

(क) सिवाणा तहसील के कितने गाँवों को अकाल ग्रसित घोषित किया गया है ?

(ख) क्या सरकार को मालूम यह है कि सिवाणा तहसील के तीस गाँवों की जनता की माली हालत अकाल की वजह से बहुत गिर गई है और उनके जीवन-निर्वाह का कोई जरिया नहीं रहा है ?

(ग) अब सरकार इस ओर क्या कदम उठाने की सोच रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—(क) सिवाना तहसील के ३४ गाँवों को अभाव ग्रसित क्षेत्र घोषित किया गया है ।

(ख) इसका जवाब (क) में आ जाता है ।

(ग) इन गाँवों के लिये सहायता कार्य (relief works) खोलने के लिये कलेक्टर के पास रुपया भेज दिया गया है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस कार्य के लिये कितना रुपया खर्च किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह तो मुझे मालूम नहीं कि अलग-अलग जगहों के लिये कितना रुपया मन्जूर किया गया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कितना रुपया खर्च किया गया ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ७०२

हाई स्कूलों को कॉलेज के स्तर पर लाने के लिये नियम

श्री भवानी सहाय शर्मा—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

[श्री भवानीसहाय शर्मा]

(क) क्या सरकार ने किसी हाई स्कूल को कॉलेज के स्तर पर लाने के लिये कोई खास नियम बना रखे हैं ?

(ख) पिछले दो वर्ष में सरकार ने किस हाई स्कूल को कॉलेज बनाया ?

(ग) जिन-जिन हाई स्कूलों को कॉलेज के स्तर पर लाया गया उनकी छात्र संख्या क्या थी ?

(घ) २ वर्ष में जो कॉलेज बने हैं उनकी छात्र संख्या आज-कल कितनी है ?

(ङ) राजगढ़ जिला अलवर में क्या कोई हाई स्कूल है ? यदि हाँ, तो इसकी छात्र संख्या कितनी है ?

(च) यह स्कूल किस सन् में हाई स्कूल के स्तर पर लाया गया और अब कब तक इसको इन्टर कॉलेज के स्तर पर लाया जायगा ?

(छ) क्या यह सही है कि राजगढ़ के नागरिकों ने कई बार इसको इन्टर कॉलेज बनाने के लिए माँग की है ?

श्री भोलानाथ—(क) किसी हाई स्कूल को कॉलेज के स्तर पर लाने के लिये कोई खास नियम नहीं बनाये गये है। लेकिन इसके लिये जन-संख्या छात्र-संख्या जनता की, ओर से भवन की सुविधा, आर्थिक स्थिति तथा आवश्यकता आदि बातों पर ध्यान रखा जाता है।

(ख) गत दो वर्षों में निम्नलिखित हाई स्कूल इन्टर कॉलेज बनाये गये हैं :—

१. इन्टर कॉलेज, सिरोही।
२. इन्टर कॉलेज, टोंक.

(ग) उपरोक्त हाई स्कूलों की छात्र संख्या निम्नलिखित थी :

१. इन्टर कॉलेज, सिरोही	४०७
२. इन्टर कॉलेज, टोंक	३३०

(घ) इन कॉलेजों में आज कल छात्र संख्या निम्न प्रकार है :

१. सिरोही	५५०
२. टोंक	३७०

(ङ) राजगढ़, जिला अलवर में एक हाई स्कूल है जिसकी छात्र संख्या ४२१ है।

(च) राजगढ़ में हाई स्कूल में १६२८ खोला गया था। यहाँ इन्टर कॉलेज खोलने के प्रश्न पर अन्य ऐसे ही हाई स्कूलों को इन्टर कॉलेज बनाने के साथ-साथ आर्थिक स्थिति तथा आवश्यकतानुसार विचार किया जावेगा।

Page No.31

श्री भवानी सहाय—जो आपके पास रेकर्ड है उससे यह साबित होता है कि सारी स्थिति इन्टर कॉलेज खोलने के लिये मौजूद है। वहाँ की जन-संख्या भी पूरी है, बिल्डिंग भी है और दूसरे सब साधन भी मौजूद हैं, फिर भी सरकार की ओर से इस पर ध्यान अभी तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री भोलानाथ—इसी प्रकार के अन्य स्थानों के साथ-साथ इस पर भी विचार किया जावेगा।

श्री भवानी सहाय—यह खोलने का समय कब तक आवेगा ?

श्री भोलानाथ—जब पैसा होगा।

श्री भवानी सहाय—पैसा कब आवेगा ?

श्री भोलानाथ—दिनों-दिन आ रहा है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—कहाँ से बरस रहा है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७०३

श्री अध्यक्ष—श्री अर्जुनसिंह।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७०४

तहसील पचपदरा की वे पंचायतें जिनको पेयजल हेतु आर्थिक सहायता

श्री मोटाराम चौधरी—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) तहसील पचपदरा की किन-किन पंचायतों को सरकार की ओर से पीने के पानी की समस्या को हल करने हेतु रुपये गतवर्ष में मिल गये हैं ?

(ख) यदि नहीं मिले, तो क्यों नहीं ?

(ग) क्या सरकार को यह मालूम है कि तहसील पचपदरा में जनता को पानी की बड़ी कठिनाई है ? यदि हाँ, तो अब सरकार इस ओर क्या कदम उठाने के विषय में सोच रही है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) गतवर्ष तहसील पचपदरा की किसी पंचायत को पीने के जल की समस्या को हल करने के लिये रकम नहीं मिली।

[श्री रामकरण जोशी]

(ख) गतवर्ष में जो सहायता दिलाई गई वह भारत सरकार के आदेश से केवल अकाल ग्रस्त क्षेत्रों को मिली ।

(ग) हाँ। आगामी वर्ष में इस तहसील के क्षेत्र की जल की समस्या को हल करने के लिये सहायता उस समस्त योजना में निहित है, जो सरकार के विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ७०५

झालावाड़ जिले की पंचायतों को पिछले वर्ष सहायता

श्री भगवानसिंह तरंगी—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) झालावाड़ जिले की पंचायतों को पिछले वर्ष कितनी सहायता प्रदान की गई ?

(ख) इस वर्ष सरकार कितनी सहायता देगी ?

श्री रामकरण जोशी—(क) गत वर्ष विभागीय बजट से रु०-३,२२४।०।०

(ख) इस वर्ष ४,०३०।०।०.

श्री भगवानसिंह तरंगी—(अश्रव्य) क्या यह सहायता पर्याप्त है ?

श्री रामकरण जोशी—सारे राजस्थान के लिये १ लाख रुपया मिला है ।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार इस विषय में अधिक पानों की कमी देख कर इस पर विचार करेगी ?

श्री रामकरण जोशी—इसको दूना कर दिया गया है ।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या पिछली बार यह कह दिया गया था कि फॉर्म भर कर नहीं भेजे, वैसा तो नहीं किया जाएगा ?

श्री रामकरण जोशी—फॉर्म तो भर कर भेजने ही पड़ेंगे ।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या इसके लिये गवर्नमेंट का यह फर्ज नहीं है कि अपने ऑफिस से यह कार्य करावे ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

Page No.33

प्रश्न संख्या ७०६

सन् १९५२-५३ के अकाल निवारणार्थ राजस्थान के दो मन्त्रियों द्वारा राजस्थान के बाहर चन्दे हेतु दौरा

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Will the Revenue Minister be pleased to state:—

(a) Whether two Ministers of Rajasthan, viz. Shri Kumbha Ram Arya and Shri Ram Karan Joshi went to collect funds from Rajasthanis living outside Rajasthan in connection with the Famine of 1952-53 ?

(b) To what places they went ?

(c) Total amount of fund they collected ?

(d) The amount of money donated by each donor ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—(क) हाँ, राजस्थान में अकाल के सम्बन्ध में बम्बई के गैर सरकारी संस्थाओं से धन माँगने और सहयोग प्राप्त करने के लिये गये थे।

(२) बम्बई।

(३) पैसा इकट्ठा किया गया और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा खर्च किया गया।

(४) इससे सरकार को कोई सम्बन्ध नहीं है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—कितनी रकम दी गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह तो संस्था वाले बता सकते हैं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या कोई सरकारी मेम्बर गये थे। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि पब्लिक के रुपयों को पब्लिश करे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—संस्था अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगी।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—वे कौन सी संस्था की तरफ से गये थे।

श्री भोगीलाल पंड्या—वे राजस्थान रिलीफ सोसाइटी की तरफ से गये थे। सब व्यापारियों को इकट्ठा किया था। हर एक आदमी का कर्तव्य है और.....(अश्रव्य)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—यह जानकारी पूछी है कि अगर सरकार के मिनिस्टर जाकर रुपया इकट्ठा करें तो यह जरूरी होता है कि पब्लिक का रुपया कितना इकट्ठा हुआ, यह बताया जावे।

श्री भोगीलाल पंड्या—बाकायदा कितना रुपया इकट्ठा हुआ, कितना रुपया किस-किस कार्य में हुआ, यह सब बातें सोसाइटी अपनी रिपोर्ट में बतावेगी, जिसे वह प्रकाशित करेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सोसाइटी रजिस्टर्ड है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, यह टेम्परेरी बनी थी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उसकी शुरूआत किस वक्त हुई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब अकाल पड़ा।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या वह केवल बम्बई गई ?

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय मन्त्री गण बम्बई गये, उसका खर्चा सरकार से लिया या संस्था ने दिया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके लिये अलग प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर दिया जावेगा।

श्री कानसिंह— (अश्रव्य)।

श्री भोगीलाल पंड्या—सोसाइटी वालों से पूछ कर बता सकता हूँ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—प्रश्न के पार्ट ४ का क्या जवाब दिया ? आप फिर से पढ़ कर सुना दें तो ठीक होगा।

श्री भोगीलाल पंड्या—इसका सरकार से सम्बन्ध नहीं है इसलिये कुछ बताने में असमर्थ हूँ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मैंने यह पूछा है कि किस व्यक्ति ने कितना रुपया दिया ?

श्री भोगीलाल पंडया—मैंने पहले ही बता दिया है कि जब सोसाइटी की रिपोर्ट प्रकाशित होगी तब सब बता दिया जावेगा। वह तो रिपोर्ट अपने आप प्रकाशित होगी।

श्री कानसिंह— (अश्रव्य)।

श्री भोगीलाल पंड्या—बम्बई में आसानी से रुपया नहीं मिलता है। प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन पर पब्लिक को विश्वास होता है उसी को रुपया मिलता है।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या इस प्रकार की दूसरी सोसाइटी भी उन्हें प्रार्थना करे तो वे चलने के लिये तैयार हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब उनकी प्रार्थना आवेगी उस समय उस पर विचार किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष—On a request being made.

श्री सन्तोषसिंह—इस यात्रा में कितना धन लगा ?

श्री भोगीलाल पंडया—मैं इसका पहले ही उत्तर दे चुका हूँ।

श्री सन्तोषसिंह—यह प्राइवेट विज़ीट थी या ऑफीशियल ?

श्री अध्यक्ष—The same question was asked by one Honbl'e Member from different constituency and he has replied.

प्रश्न संख्या ७०७

केजड़ ग्राम (त० सराटा) में तालाब बनाने के कारण डूबी हुई भूमि

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) उदयपुर जिले में सराटा तहसील के केजड़ ग्राम में तालाब बनाने से कितनी जमीन पानी में डूबी है ?

(ख) क्या यह सच है कि कई काश्तकारों से जिनकी तालाब के पानी से जमीन डूब गई और जिस वजह से खेती नही कर सके थे जबरन गत खरीफ का लगान वसूल किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—(क) केजड़ के तालाब में इस वक्त पानी भरा हुआ है। जैसे जैसे पानी खाली होता जा रहा है वैसे ही इसकी सर्वे करने की कार्यवाही की जा रही है। जब तक सारे तालाब की सर्वे नहीं हो जांय तब तक यह अर्ज नहीं किया जा सकता कि कितनी जमीन पानी में डूबी हुई है।

(ख) किसी भी काश्तकार से इस तालाब में डूबी हुई भूमि की खरीफ की फसल का लगान वसूल नहीं किया गया है।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या सरकार जांच करवायेगी कि दरअसल वसूली हुई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जांच के बाद ही कहा गया है। यदि आपको मालूम हो तो आप बता दीजिये कि किससे वसूली हुई है ताकि उस सम्बन्ध में और जाँच करवा ली जावेगी।

कर्नल श्री दिलीपसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि महाराणा प्रताप की छतरी उसमें डूब गई है ?

श्री भोगीलाल पंडया—यह ठीक बात है कि उस तालाब में पानी इतना आया कि महाराणा प्रताप की छतरी में पानी आ गया था।

कर्नल श्री दिलीपसिंह—तो इसका क्या किया जा रहा है ?

श्री भोगीलाल पंडया—कार्यवाही की जा रही है कि छतरी को ऊँचा उठाया जाय।

Page No.36

कर्नल श्री दिलीपसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि इस तालाब के भरने के बाद भी इतनी ही सिंचाई होगी जो कि जयसमुद्र के पानी से भी हो सकती थी; तो फिर तालाब क्यों बनवाया गया और खर्चा क्यों किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या--आपका खयाल ठीक नहीं है। जयसमुद्र का पानी तो नीचे से जाकर मिल सकता है और यह जमीन ऊपर है। अतः इसका उपयोग समझ कर ही इसको बनवाया गया है।

कर्नल श्री दिलीपसिंह—तो क्या सरकार हाउस की टेबिल पर इन्जिनियर्स की रिपोर्ट रखने के लिए तैयार है ?

श्री भोगीलाल पंडया—अवश्य, दुबारा प्रश्न करेंगे तो रख दी जायगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७०८

सूरखंड खेड़े ग्राम (तहसील सराड़ा) की प्राथमिक पाठशाला में अध्यापकों की कमी

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) उदयपुर जिले की सराड़ा तहसील में सूरखंड खेड़े ग्राम की प्राथमिक पाठशाला में कितने समय से कोई अध्यापक नहीं है ?

(ख) उदयपुर जिले के शिक्षा विभाग के इन्स्पेक्टर के दफ्तर में कितने अध्यापक क्लर्क की जगह कार्य कर रहे हैं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) उदयपुर जिले की सराड़ाँ तहसील में सूरखंड खेड़े ग्राम की प्राथमिक पाठशाला में ८-८-५३ से कोई अध्यापक नहीं है।

(ख) उदयपुर जिले के शिक्षा विभाग के इन्सपेक्टर के कार्यालय में इस समय ५ अध्यापक लेखकों के स्थान पर कार्य कर रहे हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर—कितने अर्से से वहाँ कोई अध्यापक नहीं है ?

श्री भोलानाथ—अध्यापक मर गया था उसकी जगह दूसरा रिक्रूट(भर्ती) नहीं हुआ।

श्री सोहनलाल भटनागर—जब इन्स्पेक्टर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ कोई अध्यापक काम क्यों नहीं कर रहा है ?

श्री भोलानाथ—वे तो अपना काम कर रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के दफ्तर में नोर्मल कागजों की स्ट्रेन्थ कितने ऊपर की रखी गई है ?

श्री भोलानाथ—यह अलग प्रश्न है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पाँच आदमी जो वहां दफ्तर में काम कर रहे थे तो क्या वे सरप्लस थे ?

श्री भोलानाथ—अधिक काम था इसलिए उनको रखा गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब से सरप्लस थे तो उनमें से क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या इन्स्पेक्टर ऑफ स्कुल्स में काम करना अधिक आवश्यकता थी या पाठशाला में एक अध्यापक रखना आवश्यकता था ?

श्री भोलानाथ—दोनों जगह आवश्यक हैं। वहाँ अध्यापक भेजने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि वह अध्यापक न होने से विद्यार्थियों का जीवन एक साल के लिए खराब होगया ?

श्री भोलानाथ—मालूम है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मालूम होने पर उचित कार्यवाही समय पर होनी चाहिए, यह क्या माननीय मन्त्रीजी को मालूम नहीं था ?

श्री भोलानाथ—उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चाँदमल मेहता ?

प्रश्न संख्या ७०६

रीड ग्रामवासियों द्वारा अपने व्यय से पाठशाला बनाना

श्री चाँदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

क्या मन्त्री महोदय इस बात से परिचित हैं कि रीड ग्रामवासी अपने खर्च से स्कूल की बिल्डिंग बनाकर शिक्षा विभाग के सुपुर्द करना चाहते हैं लेकिन स्कूल के लिए सरकार की तरफ से जमीन देने में विलम्ब हो रहा है।

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—रीड ग्रामवासियों की ओर से स्कूल भवन बनवाने के लिए जमीन दिलाने हेतु इस विभाग में ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र अभी तक नहीं आया है। हाँ, यदि ग्रामवासियों ने इस विषय में कोई प्रार्थना पत्र भेजा है तो उस पर अवश्य सहायता की जाकर जमीन दिला दी जाएगी।

श्री चाँदमल मेहता—प्रार्थना पत्र करीब एक साल से विचाराधीन है। उसके कई रिमाइन्डर्स भी दिये गये। तो क्या माननीय मन्त्रीजी सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश देंगे कि भवन निर्माण के लिए जमीन की व्यवस्था कर दें।

श्री भोलानाथ—क्या आप बतावेंगे कि किस समय, किसके पास और किस विभाग में प्रार्थना-पत्र दिये गये?

श्री चाँदमल मेहता—नागोर में डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, कलेक्टर और एस. डी. ओ. परबतसर को प्रार्थना-पत्र दिए गए और उस सम्बन्ध में उनको रिमाइन्डर भी दिये गए।

श्री भोलानाथ—किसको दिया गया, एस. डी. ओ. बतायें आपने।

श्री चाँदमल मेहता—डिप्टी इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स और एस. डी. ओ. के लिए मैंने आपको कहा है। कलेक्टर नागोर को भी प्रार्थना पत्र दिया गया।

श्री भोलानाथ—ये दोनों ही अलग अलग विभाग हैं।

श्री चाँदमल मेहता—डिप्टी इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स को दिया गया था; या माननीय मन्त्री महोदय डिप्टी इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल को शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नहीं समझते? क्या आयन्दा मन्त्री महोदय को ही प्रार्थना पत्र दिया जाय?

श्री भोलानाथ—एस. डी. ओ. जमीन एक्वायर करता है। डिप्टी इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पास दी हुई दरख्वास्त की जाँच कर ली जायगी।

प्रश्न संख्या ७१०

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री महादेव प्रसाद।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थिति-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ७११

बालोतरा से आसोतरा मेली व खांडप तक मोटर सर्विस के लिए आवेदन

श्री मोटाराम चौधरी—क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या बालोतरा से आसोतरा मेली व खांडप तक मोटर सर्विस के लिए किसी व्यक्ति ने कोई अर्जी दी है?

(ख) यदि हाँ, तो उसे अब तक भी परमिट न मिलने का क्या कारण है?

Page No.39

श्री रामकरण जोशी (यातायत मन्त्री)—(क) हाँ।

(ख) प्रार्थी और उन लोगों की सुनवाई, जिन्होंने एतराज पेश किये हैं ट्रान्सपोर्ट ओथोरिटी जोधपुर में होने को थी। दो बार मिटिंग बुलाई गई। प्रार्थी दो बार गैर हाजिर रहा। आखिर इसको जारी रखना अनिवार्य हो चुका।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्रीमती यशोदा देवी।

प्रश्न संख्या ७१२

बाँसवाड़ा जिले में काश्तकारों को सन् १९५१-५२ में लगान में छः आने छूट

श्रीमती यशोदा देवी—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) बाँसवाड़े जिले में काश्तकारों को सन् १९५१-५२ में लगान में जो छः आना छूट दी गई थी उस छूट के आदेश होते हुए भी क्या किसानों से पूरा लगान जबरन ले लिया गया था ?

(ख) क्या छूट का पैसा उन किसानों को वापिस लौटाया जायेगा अथवा अगले वर्ष के लगान में जमा कर लिया जावेगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—(क) छूट के आदेश प्राप्त होने के पश्चात् बाँसवाड़ा जिले में पूरा लगान जबरन वसूल नहीं किया गया।

(ख) छूट का आदेश प्राप्त होने के पहले जो पूरा लगान वसूल कर लिया गया था उसमें से छूट की गई लगान की रकम अगले वर्ष लगान में भर ली जायगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७१३

बाँसवाड़ा जिले में काश्तकारों को अवैधानिक नोटिस देकर लगान वसूली

श्रीमती यशोदा देवी—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) बाँसवाड़ा तहसील में कितने काश्तकारों को अवैधानिक नोटिस देकर लगान वसूल किया गया है ?

(ख) पातेला, पाड़ा, मजरा, ओडवाड़ा, तहसील गढ़ी जिला बाँसवाड़ा में कालिया वल्द सरकार को लगान देने के लिए किस तारीख को नोटिस दिया गया और नोटिस के कितने दिन पश्चात् उसका माल कुर्क कर लिया गया।

श्री भोगीलाल पंडया (रसद मन्त्री)—(क) बाँसवाड़ा तहसील में अवैधानिक नोटिस द्वारा लगान वसूल नहीं किया गया ।

(ख) पातेला पाड़ा में ८ जनवरी को २ आम नोटिस लगान वसूली के लिए दिये गये । श्री कालिया को ६ जनवरी को नोटिस दिया गया । उसके लगान नहीं देने पर १६ जनवरी को उसकी मालियत नियमानुसार कुर्क की गई ।

श्री अध्यक्ष—श्री कासलीवाल ।

प्रश्न संख्या ७१४

जयपुर शहर में प्राथमिक एवं माध्यमिक पाठशालाएं

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Will the Minister for Education please state—

(a) What is the number of primary and secondary schools at present running in Jaipur City ?

(b) Out of these how many are run by the Government entirely on its own expenditure ?

(c) What is the total number of pupils now reading in the primary and secondary schools in Jaipur City and out of them how many are reading in schools run by the Government ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—

(अ)	प्राइमरी	१०३
	सेकेन्डरी	४५
		१४८
(ब)	प्राइमरी	८३
	सेकेन्डरी	१६
		१०२

(स) १. प्राइमरी और सेकेन्डरी स्कूल्स में समस्त विद्यार्थी २८,२५३ ।
२. राजकीय प्राइमरी तथा सेकेन्डरी पाठशालाओं में विद्यार्थी १८,०११ ।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—क्या माननीय मन्त्री महोदय जयपुर शहर के लिए इस संख्या को पर्याप्त समझते हैं ।

श्री भोलानाथ—करीब-करीब 'पर्याप्त' के लिए यह जो औसत मानी गई है उसके नजदीक है ।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—इस वर्ष में और खोले जावेंगे या नहीं ?

श्री भोलानाथ—खोले जावेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—'पर्याप्त' के लिए क्या औसत मानी गई है ?

श्री भोलानाथ—ऐसा माना जाता है कि चौदह वर्ष तक के लड़के को स्कूल गोइंग एज (school going age) पर मानना चाहिये और वह संख्या १४ परसेन्ट तक आ जानी चाहिये।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—मनुष्य-गणना के आधार पर जयपुर शहर में ६० हजार बच्चे होने चाहिये। इसमें केवल ३० हजार बच्चों के लिए स्कूल हैं, बाकी के बच्चों के लिए स्कूल कितने खुलेंगे।

श्री भोलानाथ—इसका उत्तर ७१५ के सवाल के जवाब में दूंगा।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—७१५ का उत्तर भी दे दीजिये।

(हँसी)

श्री भोलानाथ—प्रश्न कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न कर लिया।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ७१५

राजस्थान राज्य के निर्माण के पश्चात जयपुर नगर में खोली गई प्राथमिक तथा माध्यमिक पाठशालायें

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Will the Minister for Education please state :—

(a) How many primary and Secondary schools have been opened by the Goverment in Jaipur City since the formation of Rajasthan ?

(b) Does the Government consider it sufficient in compliance of Article 45 of the Constitution of India ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) १६ प्राइमरी स्कूल्स, ४ मिडल स्कूल्स, तथा १ हाई स्कूल।

(ख) काँस्टिट्युशन के आर्टिकल ४५ के मुताबिक ठीक समझा जा रहा है क्योंकि यहाँ की पोपुलेशन ३ लाख ५० हजार मानी गई है; १० पर्सेन्ट की पोपुलेशन के लिये हिसाब से ३५ हजार होते हैं और ऑलरेड़ी २८ हजार बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—पाँच वर्ष में १६ स्कूलें खोली गयी हैं तो आयन्दा तो क्या आशा की जा सकती है ?

श्री भोलानाथ—आपने देखा नहीं कि ३५ हजार की संख्या १० प्रतिशत के हिसाब से है और उसमें से २८ हजार तक की संख्या पर स्कूल खुल चुके हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पॉपुलेशन के फिगर्स कौनसे वर्ष के हैं या मियरली एप्रोक्सीमेंट हैं ?

श्री भोलानाथ—पॉपुलेशन की गणना ५१ के ऊपर आधारित है और उसी को एस्टीमेट किया गया है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—क्या माननीय मन्त्री महोदय सन् १९५१ की मनुष्य-गणना के आधार पर मानने के लिए तैयार हैं कि जयपुर शहर में ६० हजार बच्चे ही होने चाहिए।

श्री भोलानाथ—स्कूल गोइंग एज के बच्चों को १० पर्सेन्ट के हिसाब से ही केल्कुलेट करके बताया जाता है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—क्या यह इसलिए कि कुछ बच्चों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए।

श्री भोलानाथ—फ्री और कंपलसरी प्राइमरी शिक्षा का सवाल है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ये १० पर्सेन्ट के आँकड़े कहाँ से निश्चित किये ?

श्री भोलानाथ—एवरेज केल्कुलेशन है, जो कि डिपार्टमेन्ट द्वारा आवश्यक समझा गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या किसी स्टेटिस्टिकल एक्स्पर्ट ने इसके लिए राय दी है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७१६

राजस्थान सरकार द्वारा भूतपूर्व राजधानियों के म्यु० बोर्डों को आर्थिक सहायता

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या राजस्थान सरकार द्वारा भूतपूर्व राजधानियों की म्यु० बोर्ड आदि स्वायत्त शासन संस्थाओं को सन् ५२-५३ व ५३-५४ में कोई धनराशि दी गई है ?

Page No.43

[श्री कंवरलाल जेलिया]

(ख) यदि हाँ, तो वह किन-किन शहरों को और कितनी-कितनी दी गई ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) हाँ।

(ख) भूतपूर्व राजधानियों की नगरपालिकाओं की आमदनी आबादी और व्यय को देखते हुए निम्न प्रकार की धनराशि दी गई है।

(विराम)

(श्री जेलिया को संकेत करते हुए) आप कहें तो सूची टेबल पर रख दूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रश्नों के जवाब आपके सामने उपस्थित होते हैं या सदस्य के सामने।

श्री अध्यक्ष—आप सूची पढ़ दें।

श्री रामकरण जोशी—भिन्न-भिन्न नगरपालिकाओं को निम्न प्रकार की धनराशि दी गई है :

	नाम	१९५२-१९५३ साधारण	१९५२-१९५३ असाधारण	१९५३-५४ साधारण	१९५३-५४ असाधारण	
१.	जयपुर	२,५०,०००		२,०० ०००	५०,०००	
२.	जोधपुर	२,००,०००		२,००,०००		
३.	बीकानेर	२,००,०००		२,००,०००		
४.	उदयपुर	१,००,०००		१,००,०००		
५.	कोटा	१०,०००		१०,०००		
६.	अलवर	३०,०००		३०,०००		
७.	भरतपुर	१८,६६०		१८,६६०		
८.	धोलपुर	१०,३२५	२६,०९९	१०,३२५	२७,०००	
९.	करौली	९,०००		९,०००		
१०.	टोंक	२१,४१६		२१,४१६		
११.	शाहपुरा	५,८०४		५,८०४		
१२	झालावाड़	६,५६३	३,८००	५,२७५	१८,०००	
१३.	सिरोही	५,९७८	१६,३६०	५,९७८	३०,०००	
१४.	जैसलमेर	४,०१३		४,०१३		
१५.	कुशलगढ़	२,३११		२,३११		
१६.	बाँसवाड़ा	७,७५०		७,७५०		
१७.	प्रतापगढ़	७,२९३		७,२९३		
१८.	डूंगरपुर	४.९८१	५,०००	४,९८१		
१९.	बूंदी	११,३४८		११,३४८	११,६४०	शिक्षा विभाग द्वारा
२०.	किशनगढ़	१२,९९८		१२,९९८		धनराशि प्राप्त
		९१८,४७०	५४,२५९	८७८,७९२	१,४०,०००	

श्री कंवरलाल जेलिया—कोटा डिवीजन का हैडक्वार्टर है उसके लिये १० हजार की धन-राशि और अन्य डिवीजन के हैडक्वार्टरों को २,२ लाख रुपाया, यह भिन्नता क्यों ?

श्री रामकरण जोशी—आबादी, आमदनी और खर्च को देखते हुए इस प्रकार की सहायता दी गई। आगे की साल से आबादी के अनुपात के हिसाब से सहायता में वृद्धि की जायगी। अब कोटा के लिये कुल सहायता मिला कर बहुत बड़ी धनराशि मिलेगी। आबादी के प्रति व्यक्ति १२ आने के हिसाब से सबसिडी मिलेगी। अब की दफा ऐसे नियम बनाये हुए हैं, सिटी और टाउन्स के लिये अलग-अलग तौर से रकम निर्धारित की है। सिटीज़ में १२ आना प्रति व्यक्ति, अदर टाउन्स, जो सिटीज़ की तवारीख में नहीं आते हैं वहाँ आठ आना प्रति व्यक्ति के हिसाब से सबसिडी दी जायगी।

कु० श्री जसवन्तसिंह—सुनने में ऐसा आया है कि अलवर में ३० हजार रुपये दिये गये हैं और कोटा को १० हजार, तो क्या अलवर की आमदनी कोटा से ज्यादा है ?

श्री रामकरण जोशी—इसमें तीन बातें देखी जाती हैं; आबादी, आमदनी, और व्यय को देखते हुए रकम दी जाती है। यह सब पुराने जमाने से चला आ रहा है, अब यह इस प्रकार नहीं है।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या कोटा में खर्च कम था ?

श्री रामकरण जोशी—कोटा का खर्च उसकी आमदनी के हिसाब से बहुत अधिक है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या उसको जो क्षति हुई है वह पूरी कर दी ?

श्री रामकरण जोशी—क्षति पूरा करने का सवाल नहीं, यह तो सबसिडी का सवाल है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या जिन म्युनिसिपेलिटियों के आधीन प्राइमरी शिक्षा भी है उनके द्वारा क्या ज्यादा रकम के लिये तलब किया गया है ?

श्री रामकरण जोशी—प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग से सबसिडी मिल जाती है।

श्री श्रीदास गोयल—सिटी म्युनिसिपेलिटी और टाउन म्युनिसिपेलिटी में भेद क्यों रखा गया है ?

Page No.45

श्री रामकरण जोशी—यह भेद शुरू से चला आ रहा है, पहले सारा का सारा शहर म्युनिसिपेलिटी का खर्चा सरकार उठाती थी। उसके बाद धीरे-धीरे टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ को निगलेक्ट किया गया। कहीं आधा खर्च दिया गया। इस तरह धीरे धीरे स्टैंडर्ड कायम करते करते अब १२ आना प्रति व्यक्ति और आठ आना प्रति व्यक्ति किया गया और धीरे धीरे यह भेद भी समाप्त हो जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—क्या आप इस भेदभाव को मिटाना चाहते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—अवश्य मिटना चाहिये ।

प्रश्न संख्या ७१७

बाड़मेर नगरपालिका को विद्युत् योजना के लिए कर्ज

श्री तनसिंह—बाडमेर नगरपालिका ने क्या सरकार से स्थानीय विद्युत् योजना के लिए दो लाख रुपये कर्ज माँगने की प्रार्थना की है ?

(ख) इस वर्ष कितने रुपये मिल जाने की संभावना है और कब तक ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) हाँ ।

(ख) विस्तृत विद्युत योजना बन रही है । तैयार होने पर ऋण देने की व्यवस्था पर विचार किया जावेगा

प्रश्न संख्या ७१८

श्री अध्यक्ष—श्री महादेव प्रसाद ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७१९

श्री अध्यक्ष—श्री शम्भूसिंह ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ७२०

समदड़ी की जनता द्वारा स्कूल बनाने के लिए दस हजार रुपये दिया जाना

श्री मोटाराम चौधरी—(क) समदड़ी तहसील सिवाणा की जनता द्वारा क्या वहाँ पर मिडिल स्कूल बनाये जाने के लिए सरकार को १०,०००) रुपया दिया गया था ?

[श्री मोटाराम चोधरी]

(ख) क्या वहाँ के स्कूल की बिल्डिंग वहाँ की जनता द्वारा ही बना दी गई है ? यदि हाँ, तो वह १०,००० रुपया वापिस क्यों नहीं दिया गया है ?

(ग) यदि दिया जावेगा तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) हाँ ।

(ख) हाँ, १०,०००) रुपया वापिस कर दिया गया है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व में सदस्यों को सूचित करता हूँ कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिए जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है :

श्री धर्मचन्द दिनाँक १८ मई से ३ जून, १९५४ तक ।

श्री अर्जुनसिंह १८ मई से २१ मई, १९५४ तक ।

श्री रघुराजसिंह २४ मई से २५ जून, १९५४ तक ।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(आज्ञा प्रदान हुई)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री कानसिंह—अर्जुनसिंहजी तो उपस्थित हैं ।

श्री सन्धु के सम्बन्ध में गृह मन्त्री के वक्तव्य पर विशेषाधिकार प्रस्ताव

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, सभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले आप इन दो मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी । शुक्रवार को श्री एच. के. व्यास ने एक प्रिविलेज मोशन उपस्थित किया था । प्रिविलेज मोशन ऐसी चीज होती है जो कार्यवाही शुरू होने से पहले ली जानी चाहिये ।

दूसरा मैं यह जानना चाहता हूँ, जैसा कि अभी आपने आदेश किया कि शुक्रवार की जो कार्यवाही बिना हाउस के एडजोर्न हुए स्थगित हो गई उसके लिए अमेण्डमेंट भेजे गए हैं जो करीब

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

१०, १५ हैं। क्या उनको आज लिया जायगा या उसके लिए और कोई दिन नियुक्त किया जायगा ? इन दो विषयों पर रोशनी डालने की कृपा करेंगे तो बड़ी महरबानी होगी।

श्री अध्यक्ष—प्रिविलेज मोशन के बारे में कल मुझे पता चला, जिस वक्त में हाउस में आ रहा था, कि श्री एच. के. व्यास ने प्रिविलेज मोशन दिया है। प्रिविलेज मोशन के बारे में ऐसी परम्परा है कि प्रिविलेज मोशन खासतौर से महत्वपूर्ण होता है; इसके लिए एग्ज़ामिन कर लिया जाता है, उसके बाद प्रिविलेज कमेटी को दिया जाता है। मैं समझता हूँ कल श्री उपाध्यक्ष यहां थे, मुझको पता नहीं। शायद श्री उपाध्यक्ष को पता नहीं था कि प्रिविलेज मोशन आया है या नहीं, इसलिए वे उस पर निर्णय देने की स्थिति में थे नहीं। इसलिए मैंने देखा कि सम्बन्धित सदस्य मेरे चेम्बर में आ जायं और मेरे सामने इसको पेश करने के रीज़न्स रखें। उसके बाद में फैसला हो जाने पर हाउस के सामने आ जायगा।

लेकिन सम्भवतः या तो उनको मेरे चेम्बर से जो समन गया है वह उन्हें मिला नहीं या वे बिज़ी थे, इसलिए आज नहीं आ सके। तो अब कभी व आ जावें तो यह मुझ से डिस्कस करलें।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा थोड़ा बहुत पार्लियामेंट का अनुभव रहा है। ज्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत जो तजुर्बा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि चाहे चेयरमैन हों, चाहे डिप्टी स्पीकर हों, कोई हों, जब एक बार यह आदेश दे देते हैं कि यह सवाल अमुक दिन या अमुक समय पर लिया जावेगा तो लिया जाना चाहिए। उन्हें कन्सेन्ट देने का अधिकार है और जहाँ तक रूल्स ऑफ प्रोसीजर का ताल्लुक है उसमें भी यह कहीं नहीं लिखा है कि उस पर प्राइवेटली स्पीकर के साथ बात करके पहले यह देख लिया जावेगा कि यह प्रिविलेज मोशन लाया जाने योग्य है या नहीं और फिर सदन के सामने लाया जावेगा या नहीं लाया जावेगा। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में जो कुछ लिखा है वह यह है कि सेक्रेटरी को मोशन ऑफ प्रिविलेज दे दिया जावेगा और उस पर हाउस में, अध्यक्ष की कन्सेन्ट होने के बाद में, मूव करने की इजाजत दी जावेगी।

तो, फिर किस तरह से और कैसे यह सवाल पैदा हुआ कि माननीय सदस्य को माननीय अध्यक्ष के पास जाकर प्राइवेटली पहले बहस करनी चाहिए और फिर कन्सेन्ट हो सकती है या नहीं और स्पेश्यली तब, जब कि माननीय उपाध्यक्ष ने यह साफ सदन से कह दिया है कि यह सवाल निश्चय रूप से सोमवार को लिया जावेगा और जिस समय माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया था, तो जहाँ तक मुझे याद है, कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय से एक दफा नहीं दो दफा खुलासा किया, और माननीय उपाध्यक्ष ने कहा था कि सोमवार को लिया जावेगा। उस वक्त डेफिनिटली, साफ तौर पर यह कहा था कि सोमवार को लिया जावेगा। फिर यह सवाल, मुझे मालूम नहीं, कैसे पैदा हो गया माननीय अध्यक्ष जी कि पहले जाकर माननीय अध्यक्ष जी से सवाल पर बातचीत करें

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

और इसके बाद में सदन के सामने लाया जावे। यह समझ में नहीं आया कि यह सवाल कैसे आया है? इस बात-चीत के लिए सदस्य पहुँचे या न पहुँचे, यह सवाल पैदा नहीं होता। मैं आशा करता हूँ कि माननीय अध्यक्ष महोदय इस पर रोशनी डालेंगे।

श्री अध्यक्ष—If you (Shri JaswantSingh) have patience, he (Shri H. K. Vyas) would express whether the summons have reached or not.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, सूचना तो मेरे पास पहुँची थी और मैंने उसी समय यह कह दिया था कि मुझे यह प्रस्तुत करने की इजाजत मिल चुकी है। अतएव अब उस सिलसिले में और क्या आवश्यक कार्यवाही करने की आवश्यकता है; यह मुझे समझ में नहीं आता, यह उत्तर भी मैंने उसी समय दे दिया था।

मैं सूचना के लिए बता दूँ कि उस दिन न सिर्फ इस तरह की बात ही हुई, जैसा कि अभी विरोधी दल के नेता ने कहा है; बल्कि मैंने स्पष्टतया पूछा था माननीय उपाध्यक्ष को कि, "हैव आई योवर कन्सेन्ट टू रेज दिस ओन मन्डे (Have I your consent to raise this on Monday ?)" तो उन्होंने कहा "yes" और यह भी कहा था कि चूंकि सम्बन्धित मन्त्री यहाँ नहीं हैं, इसलिए आज तो मैं तुम्हें इस पर कहने की इजाजत नहीं देता। यह सब सदन के सामने उन्होंने फरमाया था और मैं समझता हूँ कि उनकी कन्सेन्ट इस पर हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष—Let me see the proceedings.

(अल्प विराम के अनन्तर)

जो बात माननीय सदस्य (बीकानेर) ने कही है उसके बारे में यह कह दूँ कि जितने भी पार्लियामेन्टरी कन्वेंशन्स हैं और जितनी भी ओथोरिटीज़ हैं उनके लिए आवश्यक है कि ऐसे जितने भी इम्पोर्टेन्ट मोशन्स होते हैं उनको चेम्बर में डिसकस किया जावे और स्पीकर को उसके लिए जो भी पोइन्ट्स होते हैं उससे अवगत कराया जावे और कनविन्स कराया जावे और इस पर, अगर वह लिया जा सकता हो तो वह लिया जाना चाहिए। इसके लिए उनको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए कि क्यों जावें और कैसे जावें। अगर यही बात आपने मुझको कह दी होती तो I would have seen the papers.

तो मैंने प्रोसीडिंग्स देखीं। मैं उसके मेरिट्स पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं साफ बतला दूँ कि प्रिविलेज मोशन बहुत महत्त्व के प्रश्न होते हैं। वे जल्दी में तय नहीं किये जा सकते हैं और जल्दी में तय करने से मुमकिन है कि हम कहीं गलती कर बैठें। इसलिए वे पहले ऑफिस से थोरोली एग्ज़ामिन होते हैं, यह देखा जाता है कि प्राइमा फेसी बात इसमें है या नहीं? इसके बाद कन्सेन्ट मिलती है

[श्री अध्यक्ष]

और इस कन्सेन्ट के मिलने के बाद ही वह आ सकता है। इसलिए वह आज की लिस्ट ऑफ बिजनेस में नहीं आ सका।

Anyhow, यदि माननीय सदस्य इतना फील करें तो मैं इसे अलाऊ करता हूँ कि वे मूव करें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं निम्नलिखित प्रिविलेज मोशन सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ :—

"That this House do discuss the breach of privilege committed by Shri Tika Ram Paliwal in having intentionally misinformed the House regarding the detail of the hunger-strike and removal of Shri Gurudial Singh from Bikaner."

माननीय अध्यक्ष, कुछ दिन पहले इस सदन में एक स्थगन प्रस्ताव के सिलसिले में बोलते हुए माननीय श्री इर्रिगेशन मन्त्रीजी ने यह फरमाया था कि इस सदन के एक सदस्य श्री गुरुदयालसिंह सन्धु जब जेल में तथाकथित भूख हड़ताल कर रहे थे तब वे पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज़ का सेवन कर रहे थे।

उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें बीकानेर में छोड़ने के बजाय पुलिस हिरासत में ही अपने गाँव ले जाकर वहाँ छोड़ने की व्यवस्था की गई और किसी भी प्रकार का उन पर फोर्स इस्तेमाल नहीं किया गया।

यह समाचार समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ तो इसके बाद तारीख ३१ को एक तार श्री गुरुदयालसिंह सन्धु का मेरे पास आया है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि—

"Statement of Irrigation Minister regarding Adjournment Motion false. Government forcibly removed me from Bikaner to Ganganagar. Taking Glucose during hunger strike down-right lie"

श्री गुरुदयालसिंह के इस तार से ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी निस्बत जो दोनों सूचनाएं दी गईं इस सदन में वे दोनों सूचनाएं हकीकत से विपरीत मालूम होती हैं। यदि सदन के किसी सदस्य के बारे में इस प्रकार से जान-बूझकर गलत सूचना सदन को दी जावे और इससे उस सदस्य के प्रति सदन के दिमाग में गलत प्रभाव डालने का प्रयत्न किया जाये तो मैं यह मानता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय ने सदन को इन्टेन्शनल मिस-इन्फोर्मेशन दी; जिससे इस किस्म का कन्डक्ट

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हो और इस किस्म के कन्डक्ट को कॉन्टेम्प्ट के अन्दर शुमार किया गया है, इसे ब्रीच ऑफ प्रीविलेज में शुमार किया गया है। इसलिए सदन का ज्यादा समय न लेते हुए मैं यह प्रश्न सदन के सामने प्रस्तुत करूँगा इन शब्दों के साथ कि आज हमारे सामने इस सदन के दो माननीय सदस्यों का सम्बन्ध है। एक कहते हैं कि ग्लुकोज़ लिया और दूसरे कहते हैं कि ग्लकोज़ नहीं लिया, एक कहते हैं कि जबर्दस्ती ले जाया गया और दूसरे कहते हैं कि जबर्दस्ती नहीं ले जाया गया। मैं समझता हूँ कि किसी एक विशेष सदस्य की बात के ऊपर ज्यादा कद्र करना सदन के लिए ठीक नहीं होगा। अतः इसकी जांच के लिए और यह पता लगाने के लिए कि किसने गलत सूचना सरकार को दी है यह प्रश्न प्रिविलेज कमेटी के सामने सुपुर्द किया जावे, जैसा हमारा कायदा हो और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ।

(श्री टीकाराम पालीवाल बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री जसवन्तसिंह—On a point of information, Sir, क्या यहां पर कोई प्रिविलेज मोशन के लीव के मामले में अध्यक्ष महोदय से मन्जूरी मिलनी चाहिए कि जो स्टेटमेंट दिया है वह असत्य दिया है। उसके रिप्लाई में कोई प्रवचन आपको देना चाहिए, तो फिर मंत्री महोदय इसका जवाब देने के लिए कौन से रूल के तहत खड़े हुए हैं?

श्री अध्यक्ष—Rule 51 (2). He is objecting. First the Hon'ble Member should have patience to hear and then......

कुं० श्री जसवन्तसिंह—That is all right.

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन हाउस के सामने जो एक स्टेटमेंट दिया था उसके बारे में यह मोशन लाया गया है कि उस स्टेटमेंट को चेलेन्ज करते हुए कोई इन्फॉर्मेशन आई है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—On a point of order, Sir, whether the Hon'ble Minister is making a speech or is objecting to the motion?

श्री टीकाराम पालीवाल—I am objecting to the motion.

(अपना पूर्व भाषण जारी रखते हुए) मोशन का आधार यह बताया जाता है कि मैंने उस दिन जो कुछ कहा उसके विपरीत कुछ सूचना मिली है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह होगा, मैं आगे चलकर बताऊँगा कि मैंने जो कुछ कहा वह सब्स्टेन्शियली सही है, लेकिन वह सब कुछ कहने के पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सदन के सम्मुख कोई सब्स्टेन्शियल चीज, कोई तथ्य ऐसा नहीं है जिस पर मैंने जो कुछ कहा उस पर सन्देह किया जा सकता है। बतलाया जाता है कि कोई तार आया है श्री गुरुदयालसिंह जी के नाम से। यह नहीं कहा जा सकता

Page No.51

[श्री टीकाराम पालीवाल]

है कि वह तार सचमुच उन्हीं के नाम से दिया हुआ है या और किसी का दिया हुआ है। वह स्वयं जो यहां स्टेटमेंट दिया गया है उसको चेलेन्ज करते हैं, यह स्वीकार करते हैं इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है।

श्री वेदपाल त्यागी—On a point of order, Sir, is he challenging the telegram that it has not been sent by Shri Guru Dayal Singh ?

श्री टीकाराम पालीवाल—There is nothing to believe that it is sent by Shri Guru Dayal Singh. It might have been sent by someone else.

कु० श्री जसवन्तसिंह—This is a matter of opinion. We feel that he has sent. He has sent to me also.

श्री टीकाराम पालीवाल—Telegrams are after all telegrams. कोई भी आदमी दूसरे के नाम से दे सकता है।

श्री अध्यक्ष—This office has also received one.

श्री टीकाराम पालीवाल—That's all right. मैं नहीं कहता हूं; मेरा कहना यह है टेलीग्राम आया है, टेलीग्राम आ सकता है, लेकिन उनके नाम से दूसरा आदमी भी टेलीग्राम दे सकता है और जब तक यह आधार पूर्ण तय नहीं हो कि वह उनका टेलीग्राम है कोई ठीक बात नहीं कही जा सकती। मैंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। जब तक सदन के सामने सफीशियन्ट मेटीरियल (sufficient material) नहीं हो मेरे स्टेटमेंट को गलत कहने के लिए तब तक उस पर विचार नहीं हो सकता है। यह तो एक चीज है।

श्री वेदपाल त्यागी—Does he withdraw that the telegram has not been sent by him.

श्री अध्यक्ष—Order please ! Let him say.

श्री टीकाराम पालीवाल—यह एक चीज है। मैंने एक स्टेटमेंट दिया, सदन के सामने उपस्थित होकर दिया और निश्चित सूचनाओं के आधार पर दिया। उसके बारे में सन्देह प्रकट करने के लिए उतनी ही कोई चीज होनी चाहिए। वह कुछ नहीं है। कोई भी दूसरा आदमी टेलीग्राम दे सकता है, उस पर एक मोशन ला दिया है। इससे सदन का समय व्यर्थ नष्ट करना होगा।

दूसरी बात सदन की सूचना के लिए कहता हूँ कि मेरे स्टेटमेंट में दो चीजें थीं। एक तो यह कहा था कि जो यह कहा गया था स्थगन प्रस्ताव में कि उनको जबरदस्ती ले आया गया तो मैंने वह बतलाया था कि उस तरह की कोई चीज नहीं थी और वह सही भी है, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट यह था कि उनके रिलीज़ की तारीख १६ होती थी और १६ तारीख से पहले ही गवर्नमेंट ने यह

Page No.52

[श्री टीकाराम पालीवाल]

निश्चय किया कि उनको बीकानेर में छोड़ देने के बजाय उनको उनके घर ले जाकर छोड़ा जाय। इसलिए while he was under Custody he was taken अर्थात् 'कस्टडी' के मतलब जो कुछ हैं सो हैं। he was still under Custody तो फोसिब्ली का सवाल कहा। फोसिब्ली का सवाल तो उस समय पैदा होता है कि उनको रिलीज़ कर दिया जाता और ऑफ्टर रिलीज़ ले जाते तो जबरदस्ती होती। He was still under Custody उनका टाइम एक्स्पायर (expire) नहीं हुआ था। टाइम एक्स्पायर होने से पहले ही उनको वहां ले जाया गया। यह ठीक है कि वहां ले जाकर, उन्होंने रायसिंह नगर पहुँचने पर यह इच्छा प्रकट की कि वे अपने घर नहीं जायेंगे गंगानगर जायेंगे इसलिए उनको गंगानगर ले जाया गया।

दूसरी बात मैंने यह कही थी कि उनको ग्लूकोज़ वाटर दिया गया, पानी दिया गया। अब इस तार में, जो कि इमेजिनरी (काल्पनिक) है कि गुरुदयालसिंह जी का भेजा हुआ है, यह कहा जाता है कि यह स्टेटमेंट गलत है; सदन के माननीय सदस्य ही सोच सकते हैं कि ३२ दिन तक कोई सज्जन, साधारण तन्दुरुस्ती का साधारण व्यक्ति ३२ दिन तक केवल पानी के अलावा कुछ और नहीं लें। तो क्या आप यह मानेंगे कि ३२ दिन के बाद वह व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान हो सकता है कि वह इतनी लम्बी जर्नी (Journey), रेल की जर्नी भी नहीं, कार की जर्नी सही सलामत तय करले और शाम को पब्लिक मीटिंग भी एड्रेस कर ले?........

(श्री गुरुदयालसिंह के सदन में आने पर विपक्ष की ओर से 'हियर, हियर' की ध्वनि)

कु० श्री जसवन्तसिंह—On a point of Order, Sir ....

श्री अध्यक्ष—Have patience.

एक माननीय सदस्य—The Hon'ble Member is also here.

('हियर हियर' की ध्वनि)

श्री अध्यक्ष—That has been noted by the whole House. He has the right to be here in spite of his leave.

श्री टीकाराम पालीवाल—मुझे बहुत खुशी हुई है कि ३२ दिन से ज्यादा की भूख-हड़ताल के बाद वे स्वस्थ हैं और इस सदन में आ गये हैं। I am very glad, I welcome him.

कु० श्री जसवन्तसिंह—आपने पास तो किया था......That was because the Goverment was kind to him.

Page No.53

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं निवेदन यह कर रहा था कि ३२ दिन के बाद वह कोई पब्लिक मीटिंग एड्रेस कर सकते हैं, यह भी इस बात का द्योतक है कि उनको कोई न कोई चीज दी जाती थी।

श्री अध्यक्ष—Not in detail. It is not required in detail.

श्री टीकाराम पालीवाल—That's all right इसलिए मैंने जो वक्तव्य दिया था वह सब्स्टेन्शयली करेक्ट (substantially correct) था और उसको चेलेन्ज करने के लिए अब तक कोई चीज नहीं थी कि इस मोशन को मूव करने की जरूरत पड़े।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अब आ गई है।

श्री टीकाराम पालीवाल—अब क्या मानें कि वह आई या नहीं।

(श्री गुरुदयालसिंह बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—Order ! Order ! जरा आप बैठिये। Now under Rule 51 (2), I will request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places.

(विरोधी दल के सदस्य खड़े हुए)

More than 15 ? (विराम) Yes.

Now Rule 52 will apply.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—Sir, under rule 52 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly, I beg to move for leave that the question raised by Shri H. K. Vyas regarding privilege be referred to the Privilege Committee.

(विरोधी दल द्वारा हर्ष-ध्वनि)

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House ?

(स्वीकृत)

The leave is granted.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Now, sir, my second question has to be decided.

श्री अध्यक्ष—We come to the business of the day.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—That is also business because the business is in continuation........

श्री अध्यक्ष—That was of the previous day, not of the day.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—We presume that it will be taken some day.

श्री अध्यक्ष—You better, in this respect, do not put in embarrassing position.

(एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

Order, please ! The Hon'ble Members who are so keen about the thing should first look into the proceedings of the day and if he has certain objections to that proceedings then I will request him, nay as many members who have objection to those proceedings they must please see, I request them personally. Then after that even if they are not satisfied, I will find out some way for satisfying them.

(विराम)

We come to the business of the day. विधान कार्य

राजस्थान सामान्य खण्ड विधेयक, १९५४ (प्रवर समिति को)

Bill for reference to Select Committee-Motion.

श्री टीकाराम पालीवाल (विधि मन्त्री)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Bill to provide and facilitate interpretation of Rajasthan laws and make other provisions relating thereto be referred to a Select Committee consisting of the following. This Committee will present its report before the end of the next session.

Shall I read out the names ?

श्री अध्यक्ष—Names should be read.

श्री टीकाराम पालीवाल—1. The Minister Concerned.

2. Shri Ram kishore Vyas.

3. Shri Mathura Das Mathur.

Page No.55

[श्री टीकाराम पालीवाल]

4. Shri Gulab Chand Kasliwal.
5. Shri Nathu Ram Mirdha.
6. Shri Triveni Shyam Sharma.
7. Shri Tej Mal Bapna.
8. Shri Sri-Das Goel.
9. Shri Kapil Deo.
10. Shri Damodar Vyas.
11. Shri Gopi Lal Yadav.
12. Shri Brij Sunder.
13. Shri Dwarka Das Purohit.
14. Shri Hari Dutt.
15. Shri Vedpal Tyagi.
16. Shri Jawan Singh.
17. Shri Shyam Lal Goel.
18. The Advocate General.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House ? The motion is that the Bill be referred to the Select Committee.

(स्वीकृत)

The motion is adopted.

(विराम)

Now, we come to the next item on the agenda. Shri Tika Ram Paliwal.

राजस्थान सिंचाई तथा जलोत्सारण विधेयक, १९५३.

श्री टीकाराम पालीवाल—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Bill to regulate irrigation and drainage in Rajasthan, as reported by the Select Committee, be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—Motion moved. The question is that the Rajasthan Irrigation and Drainage Bill, 1953, be taken into consideration.

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

The motion is adopted.

Now, we proceed to consider the Bill clause by clause.

We come to Clause 2, (विराम) or we can take clause 2 afterwards ?

(विराम)

We come to Clause 3. There are several amendments on Clause 3 and Clause 2 relates only to commencement. We can take it afterwards.

(विराम)

The Motion is that clause 3 be accepted.

श्री चाँदमल मेहता—What about my amendment, Sir.

श्री अध्यक्ष—This is only the motion. There are some amendments by Shri Chand Mal Mehta.

श्री चाँदमल मेहता—माननीय अध्यक्षजी, मेरा अमेन्डमेंट इस प्रकार है—

"The following definition be added to the clause :—

'Channel in use' includes those channels also which are fit for use though not in use due to scarcity of water."

माननीय अध्यक्ष, राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है और जिस साल वर्षा होती है वर्षा की एक-एक बूँद इकट्ठी करके लोग छोटे-छोटे तालाब, बांध आदि में इस काम के लिये वे लेते हैं, जल इकट्ठा करके उसका उपयोग किया करते हैं। कई बार ऐसा भी मौका आता है जब दो-तीन साल तक लगातार वर्षा नहीं होती और जब वर्षा नहीं होती तो उन छोटे तालाबों व बांधों में पानी नहीं रहता। इस अमेंडमेंट को रखने का मेरा तात्पर्य यह है कि जिस वक्त तालाबों या बंधों को लेने के लिये सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन निकले उस समय इन छोटे-छोटे बन्धों और तालाबों का उपयोग न होता हो, वर्षा न होने के कारण पानी न होने से और उनमें आने वाले पानी से बड़े तालाब रुक जाते हों तो ऐसे तालाबों के लिये भी मुआवजा दिलाया जाना चाहिये। क्लॉज़ ८ में जहां इसकी चर्चा की गई उसको देखने के बाद यह साफ हो जायगा।

"8 (e) Stoppage or diminution of supply of water through any natural channel to any defined artificial channel, whether above or under ground, in use at the date of the said notification." नोटिफिकेशन की तारीख से उपयोग में है या काम में आता हो तो मुआवजा पाने का हकदार है, ऐसा इसमें है। मेरे अमेंडमेंट की मंशा यह है कि ऐसे तालाब या बंध हों जहां वर्षा न होने के कारण दो साल से पानी नहीं आया, उनको काम में आता

Page No.57

[श्री चाँदमल मेहता]

हुआ मान लेना चाहिये। इस लिहाज से मैंने यह अमेंडमेंट रखा है। मैं आशा करता हूँ माननीय मन्त्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूँसिंह।

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—इस क्लाज़ में मेरा कोई अमेंडमेंट नहीं है।

श्री अध्यक्ष--I am soory. Any other member who wants to support this or wants to speak on this.

(विराम)

Shri Paliwal to give reply.

श्री टीकाराम पालीवाल—यह बिल नदर्न इंडियन केनल्स एन्ड ड्रेनेज एक्ट, १८७३ के आधार पर बनाया गया है। इस तरह के अमेंडमेंट को स्वीकार करने से कंपेन्सेशन के क्लॉज के स्कोप को अन्नेसेसरिली वाइड (unnecessarily wide) किया जायगा जो उचित नहीं होगा। इसलिये गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट (स्वीकार) नहीं कर सकती।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

श्री चाँदमल मेहता--माननीय मन्त्रीजी ने जो कुछ, मैंने जो निवेदन किया उसका जवाब न देते हुए यह बताने की कोशिश की कि यह बिल नदर्न इंडियन केनल्स एंड ड्रेनेज एक्ट के आधार पर बनाया गया है इसलिये इसमें तरमीम नहीं की जा सकती। अच्छा तो यह होता कि जिस आधार पर यह बिल बनाया गया है उस (आधार) के अलावा राजस्थान की स्थिति को भी देखा होता। उन प्रान्तों में तो लगातार वर्षा होती होगी और तालाब व बांध लगातार उपयोग में आते होंगे लेकिन राजस्थान की स्थिति उससे भिन्न है। मैं चाहूँगा कि यहां के गरीब किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, जिनकी कि लगी हुई पूँजी इससे बेकार जायगी, माननीय मन्त्रीजी इस पर फिर से गौर करें।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह अटरू)—क्या आप अपना अमेंडमेंट वापिस लेना चाहते हैं?

श्री चाँदमल मेहता—जी नहीं।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह अटरू)—श्री चाँदमल मेहता का क्लॉज ३ पर जो अमेंडमेंट है उस पर वोट लिये जायेंगे। जो 'हां' के पक्ष में हैं वे 'हां' कहेंगे और जो अमेंडमेंट के खिलाफ हैं वे 'ना' कहेंगे।

(मत-दान के पश्चात्)

आवाज तो हां पक्ष जीतने की मालूम होती है।

श्री टीकाराम पालीवाल—नो सर, नोज़ हेव इट।

कुछ सदस्य—हां पक्ष जीता।

श्री सभापति—(श्री टीकाराम पालीवाल से) Do you claim Division ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Any body may claim Division. I claim Division.

(विभाजन घण्टी बजने के पश्चात्)

श्री चाँदमल मेहता—मैं मेरे अमेंडमेंट को वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)—मोशन मूव हो गया है तो फिर वापिस नहीं लिया जा सकता।

श्री विशम्भरनाथ जोशी—It can be withdrawn at any stage.

एक माननीय सदस्य—पहले रूल्स पढ़िये।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह अटरू)—क्या हाउस की इच्छा है कि श्री चाँदमल को उनका अमेंडमेंट वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(राज्य पक्ष की ओर से 'हां' की आवाज)

जो विपक्ष में हों 'ना' कहें।

(विरोधी पक्ष की ओर से 'ना' की आवाज)

अमेंडमेंट वापिस लेने की इजाजत दी गई।

(सदन में आवाजें : "Noes have it. Ayes have it.")

श्री सभापति—Noes have it.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Yes sir, 'Noes' have it.

श्री सभापति—I meant otherwise. 'Ayes have it.'

(विराम)

[श्री सभापति]

Permission to withdraw the amendment has been given.

श्री चांदमल मेहता—I withdraw.

Clause 3 of the Bill पर अब वोट्स लिये जायेंगे ।

(मतदात के पश्चात् स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग स्वीकृत हुआ ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमैन, उन्हें अनुमति तो मिल गई पर अपना अमेंडमेंट उन्होंने वापिस नहीं लिया ।

एक माननीय सदस्य—वापिस ले लिया, आपने सुना नहीं ।

श्री सभापति—क्लॉज़ ४ ।

(विराम)

क्लॉज़ ४ पर कोई अमेंडमेंट नहीं है इसलिये इसको बिल का पार्ट करने के लिये वोट लिये जायेंगे ।

(मत-दान के पश्चात् स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ ५, श्री भैरूँसिंह ।

श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the amendment that the word "three;' be substituted by "six" occurring in line 9th of this clause.'

चेयरमैन महोदय, इस क्लॉज़ के अन्दर राजस्थान सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह राजस्थान राज-पत्र में किसी भी चैनल के लिये, किसी भी झील के लिये या कुदरत से पानी इकट्ठे होने वाले देह के स्थान के लिये, जहाँ पानी काफी इकट्ठा होता हो, जिनसे सिंचाई होती हो या सिंचाई के उपयोग में आ सकता हो इस प्रकार के पानी को सरकार राजपत्र में प्रकाशित कर सकेगी कि इस प्रकार की चैनल पर, झील पर या तालाब पर सरकार का नियन्त्रण रहेगा और उस

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

नियन्त्रण के निर्धारण के लिये अवधि निकाली है तीन महीने की। तीन महीने बाद इस प्रकार की चैनल, झील या तालाब के पानी को अपना प्रबन्ध लगा कर या अपने नियन्त्रण में लेकर उसमें किसी प्रकार की रुकावट हो तो दूर कर सकती है, सिंचाई हो उसको रोक सकती है, या कहीं दूसरी जगह पानी ले जाना हो ले जा सकती है। इसके लिये तीन महीने की अवधि निर्धारित की है।

माननीय चेयरमैन, कहीं जब किसी प्रकार की अवधि मुकर्रर की जाती है तो उन कारणों को जिनसे कि वह अवधि मुकर्रर की जाती है उनको बतलाया जाता है। पर यहाँ जो ३ महीनों की अवधि रखी है इसके पीछे कोई कारण नहीं है तो यह अवधि १ महीने की भी रखी जा सकती है, १० दिन की और ६ महीने की भी हो सकती है। पर इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि इस प्रकार की चैनल, झील या तालाब से, जिनसे कि दूसरे लोगों को सिंचाई न करने के लिये जो पाबन्दी लगाई जाय उससे जो नुकसान उन लोगों को होने वाला हो वह न हो। यह निश्चित अवधि इस बात के लिये निर्धारित है कि वह उस पानी के भरोसे न रहे, अपना कोई और प्रबन्ध करे।

भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। चैनल से, झील से या तालाब से जहाँ पानी इकट्ठा होता हो वहाँ से पानी लेकर खेतों की सिंचाई करते हैं, खेत बोने से पहले लगातार दो-तीन महीनों तक उस खेत को तैयार करने में लग जाते हैं। यदि इस अवधि में किसी मालिक या काश्तकार को नोटिस दिया गया कि ३ महीने बाद उस झील से, चैनल से, तालाब या अन्य चीज़ से अपने खेत की सिंचाई नहीं कर सकता तो वैसी हालत में उसके लिये यह तीन महीने की अवधि काफी नहीं, छः महीने की अवधि होनी चाहिये। ६ महीने की अवधि भी काफी नहीं, राजस्थान में मुख्यतः दो फसलें होती हैं, रबी और खरीफ की। रबी और खरीफ की फसलों में, हर एक फसल के पकने में कम से कम ६ महीने का समय लगता है। ६ महीने में भी हम उतना नहीं कर सकते। आज किसी की काश्त है, ६ महीने तक पका कर वह खरीफ तैयार करने में लगा रहता है, उस पानी के जरिये सिंचाई करके। राजस्थान सरकार को अधिकार होगा कि वह इस बीच में ही उसको ३ महीने का नोटिस दे दे और तीन महीने की अवधि समाप्त होते ही उस चैनल को रोक दे, झील से या तालाब से पानी को रोक दे या रुकावट लगा दे; तो ऐसी सूरत में काश्तकार सिंचाई का दूसरा प्रबन्ध नहीं कर सकेगा और उसकी फसल बर्बाद हो जायगी।

इसलिये आवश्यक है कि नोटिस ६ महीने का दिया जाय। वैसे देखा जाय तो ६ महीने का भी नोटिस काफी नहीं है क्योंकि काश्तकार खाद डालता है, खेत को तैयार करता है; यदि उसी वक्त उसको इत्तला दे दी जाय तो उचित होगा। यदि इस प्रकार की अवधि मुकर्रर करने के लिये सरकार तैयार नहीं है तो निश्चित समय जो उसे उस फसल को पकाने में लगेगा वह तो अवधि निश्चित करनी ही चाहिये ताकि ६ महीने में तैयारी की जाय कि उसे निश्चित तौर से दूसरा सिंचाई का आधार, दूसरा सिंचाई का जरिया बनाना है। ऐसी अवधि मुकर्रर करने पर वह दूसरे खेतों की जुताई नहीं करेगा और जेरबार नहीं होगा। इसलिये माननीय चेयरमैन, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से अपील करूँगा कि यदि किसी को इससे फायदा पहुँचाने के लिये यह बिल लाया गया है तो इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री हरिकृष्ण व्यास--Mr. Chairman, I beg to move the following amendment:—

"At the end of the clause, the following proviso may be added:—

"Provided that in case the land likely to be so affected is under occupation, it shall be necessary for the State Government to give individnal notices to the occupiers and/or tenants of the land so likely to be affected."

अभी मेरे एक माननीय मित्र ने जो एमेन्डमेंट रखा है मैं समझता हूँ कि उनका वह एमेन्डमेंट और मेरा एमेंडमेंट एक ही सोर्स से (spring) होता है और वह यह कि इस प्रकार के क्लॉज़ेज़ ४, ५ और ६ जो हैं इसके मुताबिक यह बहुत मुमकिन है कि राज्य सरकार गजट में एक ऐलान कर दे और मेरा खयाल है और सम्बन्धित मन्त्री इस बात को मानेंगे कि देहातों में इस प्रकार का गजट पहुँचता है या नहीं अथवा इस प्रकार का ऐसा नोटिस, जिसको दूसरे लोग पढ़ने वाले होते हैं, वहाँ राजपत्र पहुँचते हैं या नहीं और उस पर अमल होते हैं या नहीं। इसमें सख्ती होनी चाहिये।

अब आपने नोटिस तो राज्यपत्र में निकाल दिया और उसके बाद यदि आपने उसकी सूचना सम्बन्धित व्यक्ति को नहीं दी तो उस व्यक्ति के लिए ऐसी बात होगी कि अचानक उन लोगों के सामने एक बिडम्बना खड़ी हो जावेगी, उन लोगों के सामने अचानक एक समस्या खड़ी हो जायेगी और फिर इस बहाने स्थानीय अधिकारियों को ज्यादती करने तथा भ्रष्टाचार करने का तथा लोगों को अनायास ही तंग करने का मौका मिलेगा और यदि इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की जावे तो जल्दी में उन लोगों को अपने कारोबार हटाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सच तो यह है कि वर्तमान स्थिति में कुछ करना आवश्यक है और मेरे एमेन्डमेंट का तात्पर्य यह है कि अगर उस जमीन में कोई काश्तकार है अथवा और किसी के रहने के या दूसरे काम में वह जमीन आती है तो राज्य सरकार के लिये केवल इतना ही काफी नहीं होगा कि राज पत्र में वे निकाल दें कि जिनको जमीन के संबन्ध में कोई विरोध हो वे अपना विरोध जाहिर करें कि हमारी अमुक-अमुक योजना है। होना यह चाहिये कि जिन-जिन लोगों की जमीनें हों और जिन-जिन लोगों पर असर पड़ने वाला हो उनको व्यक्तिगत नोटिस दिया जावे। पर्सनली नोटिस देने का एमेन्डमेंट रखने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि आगे जा कर राज्य-सरकार के कार्य से किसी को नुकसान अथवा किसी प्रकार की आवाज उठाने का मौका न आवेगा उसको समय पर सूचना मिल जावेगी और यदि समय पर सूचना न मिल सकी तो कानून के मुताबिक उसको कुछ न कुछ राहत मिल जावेगी। यही आशय है मेरे निवेदन करने का और मुझे आशा है कि किसी को उजाड़ने या जगह छुड़ाने के पहले अथवा किसी को पानी में डुबाने का वक्त आने से पहले उसको यदि सूचना मिल जावे तो ठीक होगा ताकि वह अपना कुछ न कुछ प्रबन्ध कर सके। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का एमेन्डमेंट मानने में सरकार को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये। यही मानकर मैंने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और सरकार को मन्जूर करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री टीकाराम पालीवाल—चेयरमेन महोदय, मुझे नहीं मालूम कि वास्तव में दोनों एमेन्डमेंट्स का जैसा कि अभी मेरे माननीय मित्र ने बताया है, उद्देश्य एक ही है या नहीं, यह तो दूसरे सदस्य भली-भाँति जानते होंगे क उनका उद्देश्य है, लेकिन एक बात जरूर मुझे लगती है कि दोनों के परिणाम एक निकलते हैं और वह परिणाम है अनावश्यक देरी करना, काम में रुकावट आना और जो डेपलपमेंट का काम जल्दी होना चाहिये उसका न होना और उसमें देरी हो, यह परिणाम अवश्य निकलता है; उद्देश्य एक है या नहीं।

मैं दूसरे एमेंडमेंट के बारे में बोलता हूँ। यह सहज ही समझा जाता है कि कई दफा प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे सामने, जिनमें सैकड़ों व्यक्ति संबन्धित होते हैं। कई व्यक्तियों की जमीनें प्रोजेक्टस में आती हैं, किसी की खेती के रूप में, किसी की मकानों के रूप में, किसी की किसी रूप में और किसी की किसी रूप में। इस प्रकार सैकड़ों संबन्धित व्यक्ति होते हैं और उन व्यक्तियों की संख्या बहुत बड़ी होती है। उन व्यक्तियों की जमीन को काम में लिया जा सके इसके पहले उनको नोटिस देने का मुनासिब समय ३ महीनों के बजाय आपने ६ महीनों का कहा है। वहाँ शायद उनको नोटिस देने में ६ वर्ष भी लग सकते हैं अगर हम हर एक व्यक्ति को इन्डीविजुअल नोटिस दें तो। यह सबको अनुभव है। कई दफा नोटिस को न लेना, उसकी तामील नहीं होना और तामील को जानबूझ कर एवोइड करने में कई रोज लग जाते हैं। इसलिए ऐसा करने के माने यह होंगे कि एक तरफ हम अपने देश के विकास आदि के कार्य तेजी से करना चाहते हैं और उसके बारे में कई दफा माँग इस हाउस में भी हुई है और लोग अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि विकास के कार्य तेजी से होने चाहिये, काश्तकारी तेजी से होनीं चाहिए; एक तरफ तो यह कहा जाता है और दूसरी तरफ जो काम किया जाता है उसमें सुझाव ऐसे रखे जाते हैं कि जिसमें काम बड़ी देरी से हो और उनमें रुकावट पैदा हो। ये दोनों मेल नहीं खाते। इसलिए इस प्रकार से नोटिस इन्डीवीजुअल को देना जरूरी नहीं है। दूसरी जगह भी लोगों को व्यक्तिगत नोटिस देना जरूरी नहीं माना गया है, जहाँ पर पहले से ऐसे लेजिस्लेशन हैं उनमें भी ऐसा करना जरूरी नहीं माना गया है, इसलिए सरकार इसे स्वीकार नहीं कर सकती है।

ऐसा लगता है कि यह प्रिज़्यूम (presume)किया जाता है कि व्यक्तिगत नोटिस नहीं देने की सूरत में भारी गोलमाल किया जावेगा और सरकारी अधिकारी बिना किसी कारण के उन लोगों को तंग करेंगे। यह एक ऐसा प्रिज़म्पशन है जिसको कोई भी व्यक्ति मानने के लिए और कहने के लिए तैयार नहीं होगा।

इसी प्रकार दूसरा एमेन्डमेंट तीन महिनों के बजाय ६ महीनों की अवधि रखने के सम्बन्ध में है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें भी ऐसी शंका मालूम होती है जैसे तीन महीनों की अवधि है तो निश्चित रूप से वह काम तीन महीनों के बाद शुरू कर दिया जावेगा। यह तो तीन महीनों की अवधि रखी गई है। उनकी डेट ४ महीनी की रखी जा सकती है, ६ महीनों के बाद की रखी जा सकती है। लेकिन अगर ६ महीनों का एमेन्डमेंट स्वीकार कर लिया जाता है तो ६ महीनों तक तो इन्तजार करना ही पडेगा। तीन महीनों की अवधि में जैसा मैंने कहा ४-६ महीने की तारीख रखी जा सकती है, मगर ६ महीनों की अवधि कायम करने के बाद तो ६ महीनों तक ठहरना ही पड़ेगा।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

इसलिए दोनों ही एमेंडमेंटस जरूरी नहीं हैं और मैं यह कहूँगा कि इन दोनों एमेन्डमेंटस के बगैर काम ठीक चल सकता है और उनको स्वीकार करने से काम में बाधा पड़ेगी और जो काम जल्दी से करने चाहिए उसमें देर लगेगी। इसलिए दोनों एमेन्डमेंट्स को मानने में मैं असमर्थ हूँ। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से कहूँगा कि वे अपने अपने अमेन्डमेंट्स को वापिस ले लें तो अच्छा होगा।

श्री भैरूं सिंह (१६)—माननीय चेयरमेन महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने जिस प्रकार इन दोनों संशोधनों का एक गलत परिणाम निकाला, इसी प्रकार जवाब से जो सही परिणाम निकलता है वह यह है कि दूसरे प्रान्तों में जिस प्रकार के कानून हैं उसी प्रकार के कानून राजस्थान में भी लागू किये जावें, राजस्थान की क्या परिस्थिति है और दूसरे प्रान्तों की क्या परिस्थिति है इस पर विचार न किया जाय। राजस्थान में इरिगेशन और ड्रेनेज की क्या स्थिति है, राजस्थान में किस प्रकार की फसलें होती हैं, कितना समय लगता है, इस बात पर कोई विचार नहीं किया गया बल्कि महज इसलिये कि दूसरी जगह इस प्रकार के कानून बने हैं उसे यहाँ राजस्थान में भी उसी प्रकार के कानून बना दिये जावें। इसलिये वे महज यह इलजाम कि इसमें समय लगाने की मंशा है और कोई दूसरी बात नहीं......

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने यह नहीं कहा कि मंशा नहीं। मैंने तो कहा कि मंशा का परिणाम है।

श्री भैरूं सिंह—आपने मंशा का परिणाम कहा, यह तो उससे भी खराब। मेरे तो ख्याल में यह आता है कि यह आपकी एक प्रकार की जिद है कि अपोज़िशन की तरफ से कितनी भी अच्छी बात क्यों न कही जावे उसको मन्जूर नहीं किया जावे।

लेकिन खैर, उनकी जिद है और हमारा उनसे निवेदन है कि राजस्थान की परिस्थितियों को देखकर किसी भी कानून को बनाने के लिए यदि वे आगे आवेंगे तो राजस्थान की जनता उनका स्वागत करेगी, लेकिन अगर आपने जिद के आधार पर, चाहे वह उचित हो या अनुचित हो, और चूंकि यह विरोधी दल की आवाज है इस चीज़ को मानकर इन बातों को नामन्जूर करेंगे तो आप निश्चित समझिये कि राजस्थान की जनता इस तरह के कानूनों का स्वागत करने के लिए कदापि तैयार नहीं हो सकती।

मेरे संशोधन के उत्तर में माननीय मन्त्रीजी ने फरमाया कि एक तरफ तो लोग रट लगाते हैं कि विकास के कार्य जल्दी हों और दूसरी तरफ जो ये सुझाव दिये गये हैं उनसे विकास कार्यों में ढिलाई होती है। लेकिन चेयरमेन महोदय, विकास का मतलब यह नहीं होता है कि जिस व्यक्ति के पास किसी प्रकार के साधन हैं, जो आज खेती करता है, उसको उजाड़ दिया जाय और फिर विकास का प्रोग्राम उसके सामने लाया जाय। हो सकता है ऐसा कि किसी प्रकार का विकास का कार्य एक दूसरी जगह एक व्यक्ति को रहेबीलिटेट करने में आवश्यक हो लेकिन उसको मौजूदा जगह से हटाने के

[श्री भैरूँसिंह]

पहले सोचना पड़ेगा कि इस खेती पर, इस चेनल पर, इस लेक पर क्या हो सकता है; इनके जरिये से उस व्यक्ति को कितना फायदा होता है ? यदि उसको उस जगह से शिफ्ट किया जाता है तो उसके सामने कितनी कठिनाइयाँ आती हैं ? इन दोनों चीज़ों को सामने रख कर सोचना पड़ेगा जिससे कि उस व्यक्ति को, कम से कम नुकसान हो, सरकार को कम से कम कम्पेन्शेसन देना पड़े और विकास की योजना सफलीभूत हो; यदि इस प्रकार की बात होगी तो मैं समझता हूँ कि लोगों को कम तकलीफ होगी और विकास की चीज़ भी सफल होगी । माननीय मन्त्री महोदय का कहना है कि यदि छः महीने की अवधि निश्चित कर दी गई तो जिनमें छः महीने का समय नहीं लगेगा उनमें भी छः महीने का समय लगाना पड़ेगा । माननीय चेयरमेन, यदि उनको यह दलील है कि किसी जगह पर एक महीने की अवधि हो सकती है और किसी जगह पर दो महीने की अवधि हो सकती है तो इसमें अमेन्डमेंट आ सकता है और उनकी फीलिंग्स की कद्र की जा सकती है । लेकिन यदि छः महीने की अवधि स्वीकर कर ली जाय तो राजस्थान सरकार को अधिकार हो सकता है कि चाहे जिस जगह नुक्सान होने का आन्देशा हो उस स्थान पर वह कार्यवाही एक महीने और उससे भी कम १५. या २० दिन में हो सकती है । इसीलिए माननीय चेयरमेन, मैं निवेदन करूंगा कि छः महीने की अवधि निश्चत करने का मेरा संशोधन वाजिब है और उसको स्वीकार किया जाना चाहिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, एक नया तरीका मुझे आज सीखने को मिला है और वह यह है कि नीयत की तरफ देखने के बजाय परिणाम की ओर देखना श्रेयस्कर होगा । अतएव जो अमेन्डमेंट रखा है उसके सिलसिले में मुझे अनुभव प्राप्त हुआ और उन्हीं अनुभवों पर मैं यह सूझ यहाँ लागू करूंगा । कहा यह गया है माननीय चेयरमेन, कि ऐसा कभी हो सकता है कि कोई जुल्म नहीं करेगा, कोई ज्यादती नहीं करेगा, कोई दुर्भिक्ष नहीं होगा और ऐसा मानकर क्यों चलें इसलिए मैंने शुरू में कहा कि पुराना अनुभव इस बात को साबित करता है और अभी-अभी हमारे सामने सबसे ताजा मिसाल है और वह है जवाई स्कीम की, जहाँ एक गाँव है जिसका नाम है दूदनी। पिछले साल उसके पानी की समस्या को लेकर संघर्ष होने का अन्देशा था किन्तु वह तो किसी प्रकार टला । पिछले साल खूब कोशिश करने के बाद केवल कम्पेन्सेशन का मामला तय हुआ । किस जगह उनको बसाना चाहिए, आज तक वह मामला तय नहीं हुआ ? एक साल से गाँवों के लोग चिल्ला-चिल्ला कर और घूम-घूम कर कह रहे हैं लेकिन उनके बसाने का मामला अभी तक जेरतजवीज है और सेक्रेटेरियेट की फाइलों में घूम रहा है । वह रास्ता, जिसके बारे में एक दिन माननीय मन्त्री महोदय कह रहे थे कि यह रास्ता मीलों लम्बा है, वह मीलों लम्बा रास्ता अभी तक तय नहीं हुआ है । दूसरे और भी गाँव हैं । कहा यह गया कि जुलाई के अन्त तक बरसात होती है । कोई नहीं कह सकता कि किस दिन बरसात हो जायगी । कम समय रहने के बावजूद भी उन गाँवों के सेटलमेंट के बारे में मामला इधर-उधर लटक रहा है और वह कब, जब कि इस विधान सभा के सदस्य लोग रोज चक्कर लगाते हैं सेक्रेटेरियेट का और तब यह हाल है । अगर इस तरह की बात न हो तो सालों बीत जाँय उनको तय करने में; यह बात है कि काम में देर लग जाती है और साल लग जाते हैं और इसीलिए मैंने यह संशोधन रखा है । यदि काम में देरी होगी तो आप चाहेंगे कि क्यों देरी हुई ? अगर राहत नहीं होगी तो राहत मिलेगी और उसके लिए इन्तजाम किया जाय ।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

यह कहा गया कि करप्शन नहीं होता? उस दूदनी गाँव का, जिसका मैंने जिक्र किया; पिछले साल का वाकया है कि राजस्थान सरकार के कोलोनाइजेशन ऑफिसर बाँटने के लिए गये तो उन्होंने कहा कि यह कम्पेन्सेशन की रकम तब बाँटेंगे कि १००-५० सनाख्तगिया देंगे। किसान सभा से दरियाफ्त कर लें, काफी कहना-सुनना हुआ, झगड़ा हुआ और हाथा-पाई तक की नौबत आ गई थी। किसान सभा के किसी आदमी ने कहा कि पैसा देकर सनाख्तगी हो सकती है। आखिर सनाख्तगी की गई। उस ऑफिसर ने क्या किया, क्या नहीं किया; अगर पूरी फाइल माननीय मन्त्री मंगाकर चाहें तो देख सकते हैं। पूरा वाकया जो हुआ उसका मैं जिक्र यहाँ इस समय नहीं करना चाहता। लेकिन इस करप्शन की उसमें कहाँ तक गुन्जाइश है यह आपको इससे विदित हो सकता है। अन्त में माननीय चेयरमेन, मैं कहूँगा कि मोहल्ले के मामले को भी पाँच साल हो गये है। तो मैं कह रहा था कि राज्य में किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं जिसका अन्दाजा आप और हम लगायें। राजस्थान राज-पत्र में शाया हो जाना ही काफी गिना जाय तो मैं अर्ज करूं कि राजस्थान राज-पत्र में विधान सभा के सम्बन्ध में भी कई ऐलान शाया हुए हैं। आप दूसरी जगहों की बातें तो जाने दें किन्तु विधान सभा के सम्बन्ध में भी खयाल नहीं आता है। इस विधान सभा की शुरूआत में महारावल संग्रामसिंहजी के लिए राजप्रमुख ने ऐलान किया कि उनको शपथ दिलाने का अधिकार है और उसके बाद कोई एलान नहीं हुआ। उसके बाद यह नोटिफिकेशन निकला कि यह अधिकार जिस दिन से विधान सभा का अधिवेशन शुरू हुआ है उसी दिन से माननीय अध्यक्ष को दिया जाता है। इतना कानून समझने वाली विधान सभा का और हमारा यह हाल है तो देहात की जनता के लिए केवल राजपत्र में शाया हो जाने से ही कार्य शुरू हो जायगा, यह समझना कठिन है। यदि हमारी यही इच्छा हो कि काम कैसा भी हो और जैसा भी हो किन्तु जल्दी हो और गलत हो, तो दूसरी बात है। यह तो आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी योजना कार्यान्वित हो और उसके सम्बन्ध में लोगों को मालूम ही न हो। यदि यह कहा जाय कि लोगों को मालूम नहीं रहता है तो मकानों पर इश्तहार चस्पा कर दिया जाय और इसीलिए मैंने यह अमेन्डमेंट रखा है कि जो जिस जमीन को ऑक्युपाई (Occupy) करता है, जो टिनेन्ट हो या जो उस जमीन पर रहता हो, या उसका वहाँ कोई झोंपड़ा हो, उस पर इश्तिहार चिपकाया जा सकता है। इन्डीविजुअल के मकान, जमीन आदि पर चस्पा करना इसलिए जरूरी है कि इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। अनुभव से मैंने यह समझा और देखा कि यह संशोधन देरी करने के लिए ही रखा गया है, ऐसा समझा जा रहा है; किन्तु इसका तात्पर्य यह होगा और मुझे यह नतीजा निकालना पड़ेगा कि मन्त्री महोदय की इच्छा होते हुए भी अगर वे इस पर गौर नहीं करेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि कुछ गाँवों को जवाई के पानी में डूबना पड़ेगा। अगर वे इसका इतना खयाल रख कर चलें तो ठीक है और मेरी इच्छा है कि इस संशोधन को मान लें; नहीं तो बहुमत तो उधर है हीं।

श्री सभापति—क्लॉज ५ में श्री भैरूँसिंहजी, डि. नं. १६, का अमेन्डमेंट है, क्या सदन की इस पर स्वीकृति है?

(अस्वीकृत)
संशोधन गिर गया।
(विराम)

[श्री सभापति]

अब सदन के सामने क्लॉज ५ श्री हरिकृष्ण व्यास का जो संशोधन है। वह मत दान के लिये प्रस्तुत है। क्या सदन इसे स्वीकार करता है?

(अस्वीकृत)

श्री हरिकृष्ण व्यास का अमेन्टमंट गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ को बिल का अंग माना जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५ विधेयक का अंग स्वीकृत हुआ।

(विराम)

क्लॉज नं० ६

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to clause 6 :—

"Clause 6—Line 3; After the word 'may' insert the following :—

"after due notice to the occupier and/or the tenant"

माननीय चेयरमेन, मैं इस अमेन्डमेन्ट पर सदन का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता क्योंकि इसकी आधारभूत बातें तो मैं पहले क्लॉज़ पांच के सिलसिले में कह चुका हूँ। केवल एक विशेष बात है और वह यह है कि हम एक सरकारी अधिकारी को यह कानूनन हक देते हैं कि किसी के खेत में जायें किसी की जमीन पर जांय और कार्यवाही करे। कम से कम उस पर इतना तो बन्धन अवश्य रखना चाहिये कि वह किसी के खेत पर या किसी के जमीन पर जाने से पहले उसको नोटिस दे दे। नोटिस का फोर्म क्या हो, उसका रूप क्या होगा, यह आप रूल्स में प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन कम से कम एक्ट में इतना तो अवश्य रहना चाहिये "after due notice"; नहीं तो मनमानी करने को अधिकारी को मौका मिल जायगा। कभी कभी ऐसा मुमकिन होता है कि उस समय घर में या खेत में काम करने वाले लोग हैं, मनुष्य है वे दूसरी जगह चले जाते हैं काम करने के लिए और घर की देखभाल के लिये कोई नहीं होता, केवल बच्चे रह जाते हैं, ऐसी परिस्थिति से कुछ समझ-बूझ रखने वाले हैड ऑफ दी फेमिली हाजिर रह सकें इतना तो मौका परिवार को मिलना चाहिये। यह मौका तभी मिल पायगा जब किसी खेत पर, घर पर, या जमीन पर पहुँचने से पहले नोटिस देना आवश्यक हो। मैं सदन का ज्यादा समय न लेता हुआ अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत करता हूँ, इस उम्मेद से कि यह मान लिया जायगा।

श्री भैरूँसिंह (डि० नं० १६)—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to clause 6 :—

[श्री भैरूँसिंह (डि० नं० १६)]

"The following proviso should be added to this clause :—

"Provided that no action which may affect the standing crops shall be taken under this section"

माननीय चेयरमेन, अभी माननीय मन्त्री ने जैसा कि फरमाया था कि संशोधन रखने वालों का मूल उद्देश्य सदन की कार्यवाही में देरी करने का है, लेकिन यह संशोधन इस प्रकार का है कि जिससे यह स्पष्ट मालूम हो जायगा कि संशोधन रखने का कारण देरी करने का है या सन्शोधन मन्जूर न करने का कारण माननीय मन्त्री की जिद है। इन दोनों चीजों का इम्तिहान मेरे इस प्रकार के संशोधन में है। माननीय मन्त्री ने फरमाया था कि अगर तीन महीने की अवधि के स्थान पर छः महीने की अवधि निर्धारित की जाती है तो विकास योजनाओं में शिथिलता होती है; इस तीन महीने की अवधि में सरकार यह बात देखेगी कि लोगों को कम से कम नुकसान हो और यह भी तीन महीने के बाद उस स्थान के ऊपर किसी न किसी तरह की विकास-योजनाओं की कार्यवाही करे। इन दोनों चीजों को दृष्टि में रखते हुए सरकार इस तरह की चीज रखती है क्लॉज़ ६ के मातहत कि जब इस प्रकार का नोटिफिकेशन गजट में निकलता है, किसी भी इरिगेशन ऑफिसर को अधिकार होगा कि वह जमीन के अन्दर घुस जाय, किसी के खेत में घुस जाय, वहाँ पर रहने वालों के झोंपड़े फेंक दें। "Any other thing nacessary" में अगर उसके खेत में फसल पकी हुई हो तो उसको कटवा सकता है, उसने जमीन किसी प्रकार जोती हो, उसमें कितना ही बहुमूल्य खाद गिरवाया हो, इन सारी चीजों का ध्यान न रखते हुए इरिगेशन ऑफिसर अपनी मनमानी कार्यवाही करेगा, यह निहित है। वह यह कभी ध्यान नहीं करेगा कि इससे किसी को नुकसान हो रहा है। क्योंकि कानून उसको इस बात का अधिकार देता है कि वह तीन महीने की अवधि में चाहे जिस प्रकार की कार्यवाही करे। इस प्रकार की कार्यवाही करने के बाद फसल को कटवा कर जो भी कुछ उसको कम्पेन्सेशन देने का कायदा है उसके लिये बेचारे उस व्यक्ति को जिसका घर, खेत या जमीन उजाड़ दी गई है कम्पेन्सेशन के लिए कलेक्टर के ऑफिस में दर-दर भटकना पड़ेगा। अगर यह इरिगेशन ऑफिसर क्लॉज़ ५ के मातहत किसी जमीन पर अधिकार करता है तो उसे मेरे इस अमेन्डमेन्ट के तहत अपनी कार्यवाही सीमित रखनी पड़ती है और वह इस प्रकार की कार्यवाही न कर सकेगा जिससे खड़ी फसल को नुकसान हो। आपका कहना है कि हम उस नुकसान के लिये कम्पेन्सेशन दे देंगे, इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि आज जो लोग इस प्रकार के कम्पेन्सेशन के शिकार हुए हैं वे अच्छी तरह से महसूस करते हैं कि उनको अपने कम्पेन्सेशन की रकम पांच साल तक नहीं मिली। एक दफा फसल काट दी गई और फिर कम्पेन्सेशन के लिये छोटे-छोटे कर्मचारियों के शिकार होते हैं, दरख्वास्तें दी जाती है, डेपुटेशन के रूप में मिला जाता है; किन्तु किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती। इस सारे आशय को लेकर मैंने यह संशोधन रखा है। यह एक ऐसा संशोधन है जिससे उन सारे काश्तकारों को राहत मिलती है, जिन काश्तकारों की जमीन या फसल काटी गई हो और जिन्होंने अपने जीवन-निर्वाह का साधन केवल खेती ही अपना रखा है। यदि इस प्रकार का प्रोविज़ो जोड़ दिया जायगा तो उनको सहूलियत मिलेगी। मैंने जो संशोधन रखा है उसका आशय यह है कि कोई भी इरिगेशन ऑफिसर जो कुछ कार्यवाही करना चाहता है वह खड़ी फसल पर लागू न होगा ताकि उसकी खड़ी फसल को नुकसान न हो सके। माननीय मन्त्री से निवेदन

[श्री भैरूँसिंह (डि० नं० १६)]

करूँगा कि वे अपनी जिद्द को छोड़कर काश्तकारों को किस प्रकार राहत मिलती है इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे इस संशोधन को बिना हिचकिचाहट के मन्जूर करें।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय चेयरमेन, अभी माननीय दो सदस्यों ने जो अमेन्डमेंट रखे वे देखने से उचित से प्रतीत होते हैं और हरेक यह चाहता है कि स्टेंडिंग क्रोप किसी भी तरह बरबाद न की जाय, यहाँ तक कि जब लड़ाई के जमाने में सेनायें भी जब पास होती थीं उस समय यह ध्यान रखा जाता था कि खड़ी फसल को किसी भी प्रकार नुकसान न पहुँचे। जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है, जहाँ तक हो सके विकास के लिए अधिक से अधिक भूमि ली जाय। इस बिल में हम देखते हैं कि क्लाज ५ में तीन महीने का समय रखा गया उससे ज्यादा समय देना सरकार के डिस्क्रिशन पर है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे भी खेत हो सकते हैं जहां पर एक बीघा जमीन में गेहूँ की खेती हो रही हो और वर्ष भर खेती होती हो, वर्ष भर गन्ना खड़ा रहता हो अगर ऐसी जमीन को विकास योजनाओं के लिये लिया जाता है जहाँ पर पाँच हजार बीघा जितना डेवलप हो सकता हो ऐसी परिस्थिति में यह अमेन्डमेंट जो रखा गया है वह देखने में और सुनने में बड़ा सुहावना नजर आता है। अगर इसको मन्जूर कर लिया जाता है तो विकास योजनाओं को पूरी करने की गुंजाइश नहीं रहेगी और एक दायरे तक ही सीमित रहेगी। जब कि क्लाज ५ तीन महीने का समय है, साथ में क्लाज ७ में कम्पेन्सेशन देने के लिए प्रोवीजन है। अगर किसी खेत में दो चार बीघा खेती हो और उसको लेने से हजारों गुना या सेकड़ों गुना फायदा होता हो तो उसे करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिये। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस क्लॉज़ को बदस्तूर रखा जाय और इसमें किसी प्रकार की बाधा न डाली जावे।

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय,......

श्री हंसराज आर्य—माननीय अध्यक्षजी, सदन का कोरम है

(विराम)

श्री सभापति—है।

श्री टीकाराम पालीवाल—सभापति महोदय, मुझे खेद है कि मैंने जो कुछ कहा उसका थोड़ा सा गलत अर्थ लगाया गया। मैंने यह पहले नहीं कहा कि उद्देश्य सही नहीं है। उद्देश्य सही हो सकता है पर मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि इसका परिणाम जो होगा उससे इसमें देर लगेगी।

यदि इन तीनों क्लॉज़ों को साथ-साथ पढ़ा जाता तो शायद कोई अमेन्डमेंट लाने की जरूरत ही नहीं मालूम होती। पाँचवाँ, छठा और इनके आगे सातवाँ क्लाज भी ठीक से पढ़ लिया होता तो पाँच और छ क्लॉज़ जिन दृष्टियों से पेश किये गये हैं वे ठीक लगाते। अब मैं सातवाँ क्लाज आपके सामने पढ़ कर सुना देता हूँ :

[श्री टीकाराम पालीवाल]

"As soon as is practicable after the issue of such notification, the Collector shall cause public notice to be given at convenient places, stating that the State Government intends to suply or use the said water as aforesaid, and that claims for compensation in respect of the matters mentioned in section 8 may be made before him." तो इससे यह प्रतीत होगा कि जहाँ तक नोटिस की बात है उनको प्रोपर नोटिस होना चाहिये। नोटिफिकेशन तो कोई पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, तो इससे यह कोई चीज नहीं रहती। नोटिफिकेशन होने के बाद भी कलेक्टर द्वारा नोटिस दिये जावें और वह कन्वीनियेन्ट प्लेसेज़ पर जहाँ-जहाँ जरूरत होगी, देगा। वह गाँवों में, चौपालों में, खेतों पर, कोर्ट व कोर्टों के इम्पोर्टेन्ट बोर्डों पर, म्युनिसिपल ऑफिसर्स के बोर्डों पर, जहाँ-जहाँ अच्छे कन्वीनियेन्ट प्लेसेज़ (Convenient places) हों वहाँ इस प्रकार के नोटिस चिपकाये जावेंगे। जरूरत होने पर जो मुनादी कराई जाती है ढोल से, वह भी करवाई जावेगी। पूरा नोटिस कराया जावेगा, इसका ध्यान रखना चाहते हैं और जिन लोगों को कोई भी अगर क्लेम पुट अप करना है तो वह क्लेम पुट करे, इसके लिए काफी नोटिस की गुंजाइश कर दी गई है। इसलिए यह जो शिकायत और आशंका है कि लोगों को नोटिफिकेशन की मालूम नहीं पड़ेगी और अचानक फैसला हो जावेगा और अपने घरबार को छोड़ने के लिए उसे जबरन मजबूर होना पड़ेगा, ऐसी शंकाओं की अब कोई गुंजाइश नहीं है, इस सैक्शन को अच्छी तरह से पढ़ लिया जावे तो।

अब यह, जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा वैसे बहुत सही मालूम पड़ता है कि किसी की स्टैंडिंग क्रोप्स हैं तो कोई काम ऐसा नहीं किया जावे कि जो स्टेन्डिंग क्रोप्स पर एडवर्स इफेक्ट डालना हो, पर जब लार्जेस्ट इन्टरेस्ट में कोई काम करना होता है तो आप इस बात को भूलें नहीं कि जहाँ बहुत से लोगों को सुभीता होता हो वहाँ उनके सुभीते में एक आदमी रुकावट न डाल सके। सब लोग एक सी आदत के नहीं होते। मेरे पास ऐसी खबरें आई है कि जिन्हें माननीय सदस्य से बहुत जिम्मेदार एक सदस्य ने बतलाया कि जहाँ श्रमदान से नहर या सड़क कराने का आयोजन किया गया, बहुत ज्यादा लोग जिनकी जमीनों में से होकर वह काम होने वाला था वे सब उसके लिए रजामन्द हो गये, पर आखिर में वह काम उन्हें इसलिए छोड़ना पड़ा कि एक-दो व्यक्ति उनमें से रजामन्द नहीं हुए। तो इन एक-दो आदमियों ने सामूहिक हित के कार्य को सम्पादन नहीं होने दिया। इन एक-दो की गड़बड़ी से सब के लाभ का काम नहीं हो सका। इसी प्रकार से जहाँ बहुत से लोगों के हित का सम्बन्ध है वहाँ अगर थोड़े से लोग भी यह तय कर लें कि इस काम को रोकना है और इसमें अड़चन लगानी है तो अगर यह अमेंडमेंट स्वीकार कर लिया जावे कि स्टेंडिंग क्रोप्स के बारे में कोई भी काम ऐसा नहीं किया जावेगा तो ऐसे लोग सचमुच ऐसी अड़चन की कार्यवाही कर सकते हैं। इन्टर कल्टीवेशन ऑफ क्रोप्स भी होती है। गन्ने की खेती खड़ी है, अब यह गन्ने की खेती पके उससे पहले ही कोई दूसरी फसल लगा दे, अरहर खड़ी है और दूसरी चीज लगा दी जावे तो इस तरह का अरेन्जमेंट वह अड़ंगा लगाने वाला आदमी कर सकता है कि उस जमीन में क्रॉप्स खतम ही न हो और परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति आ सकती है कि काम ही रुक जावे।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

इसलिए इन चीजों को देखते प्रोवाइड यह किया गया है कि जरूरत हो तो स्टेन्डिंग क्रोप्स को भी काटा जा सकता है, पर इसके लिए बाद में पूरा कम्पेसेशन दिया जा सकता है। इसके बाद कोई ऐसी चीज नहीं रह जाती जिसकी आशंका करनी चाहिए।

इसलिए यह अर्ज करना है कि यह प्रोवीज़ो जो रखा गया है स्टेन्डिग क्रोप को इफेक्ट न करने का वह कुछ ठीक नहीं होगा, इसका कोई सुपरिणाम नहीं निकलेगा, ऊपर से दिखने में भले ही यह अच्छा दिखता हो और मैं मानता हूँ कि माननीय सदस्यों ने इसे यद्यपि अच्छी नीयत से रखा है, पर परिणाम के बारे में मुझे आशंका है कि अच्छा नहीं निकलेगा। कई लोग जो गलत धारणाओं से चलते हैं, गलत इन्टेन्शन लेकर चलते हैं उनकी तरफ से पैदा की जाने वाली बाधाओं को रोकने के लिए यह संशोधन मुझे मान्य नहीं होगा और इसलिए मैं आशा करूँगा कि माननीय सदस्य, जो कुछ मैंने कहा है उसको दृष्टि में रखते हुए इसे वापिस ले लेंगे।

इसी प्रकार जो पहला अमेन्डमेन्ट है कि:—

"After due notice to the occupier and/or the tenant"

इसके बारे में मैं पहले निवेदन कर चुका कि आगे आने वाला क्लॉज़ ७ जो है उसको दृष्टि में रखते हुए मैं इस संशोधन को भी मानने में असमर्थ हूँ क्योंकि नोटिस दिया ही जावेगा और नोटिफिकेशन की पब्लिसिटी भी वाइड की जावेगी। इस तरह इन दोनों संशोधनों को मैं मानने में असमर्थ हूँ, इसलिए नहीं कि कोई जिद्द है नहीं मानने की, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, पर इसलिए कि जो हमें कानून बनाना है वह केवल बौद्धिक ही नहीं हो बल्कि व्यावहारिक उद्देश्य की पूर्ति करने वाल भी हो। इसलिए इनको अस्वीकार करता हूँ, इसमें जिद्द का लेश-मात्र भी सवाल नहीं है।

श्री भैंरूसिंह—माननीय चेयरमैन महोदय, मुझे इस बात की तो खुशी है कि मेरे इस संशोधन से जिस प्रकार की नीयत समझी जाती थी उसमें तो संशोधन हुआ।

श्री टीकाराम पालीवाल—ऐसी कोई बात समझी ही नहीं, शुरू में ही।

श्री भैंरोंसिंह--(जारी) पर मैं समझ गया था कि ऐसी मानकर चल रहे हैं, तो खैर आपकी नियत में संशोधन हुआ।

चैयरमैन महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने जो यह फरमाया और मेरे पूर्व वक्ता ने भी फरमाया कि ये संशोधन देखने में सुन्दर मालूम पड़ते हैं लेकिन इनको मानने में बड़ी दुविधा होती है। तो जब देखने में सुन्दर मालूम होता है तो यह मान ही लेना चाहिए कि इस संशोधन में जरूर कुछ न कुछ सुन्दरता है, इस संशोधन में कुछ न कुछ तथ्य है। इसको यह मानकर नहीं छोड़ा जा सकता कि यह बिल्कुल तथ्यहीन है और जब यह मानकर नहीं छोड़ा जा सकता कि यह बिल्कुल तथ्यहीन

[श्री भैरूँसिंह]

है और जब यह मानकर नहीं छोड़ा जा सकता तो यह भी मानना पड़ेगा कि यदि इस प्रकार की चीज, इस प्रकार का संशोधन या इस प्रकार का कोई रूप यदि इस क्लॉज़ में नहीं रहेगा तो कोई बड़ा नुकसान काश्तकार को हो सकता है यदि काश्तकार को इस प्रकार का नुकसान होने की सम्भावना नहीं होती और यदि सरकार के अफसरों से सद्भावनाओं की आशा की जा सकती तो इस प्रकार के संशोधन को लाने का मौका ही नहीं आता। पर, जब सरकारी अधिकारियों पर, राजस्थान के राज्य-कर्मचारियों पर इस काम का भार है और इनकी कार्य करने की जो नीति और पद्धति है उसके ऊपर हमें शक होता है तो शक होने के कारण इस प्रकार की सम्भावनाएँ इसमें हो सकती हैं कि अगर यह संशोधन नहीं किया गया तो इन राज्य-कर्मचारियों के द्वारा स्टेन्डिंग क्रॉप्स का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सकता है। उस इर्रिगेशन अफसर के पास ये अधिकार होंगे कि वह किसी भी खेत को एक्वायर कर सकता है। खेती के लिए चने का खेत ले लें आज। एक तरफ गन्ने का खेत काट रहा है तो दूसरी तरफ काश्तकार गेहूँ के खेत को बो रहा है, पर एक क्लॉज पास किया गया है, क्लॉज़ ५ जिसके जरिये से उक्त जमीन पर जो सिचाई किसी चैनल से होती है तो फलां तारीख के बाद में उसकी सारी की सारी सिचाई बन्द हो जावेगी।

तो जब यह नोटिफिकेशन निकाल देते हैं और उसके बाद में वह काश्तकार किसी प्रकार की खेती नहीं कर सकता है और न उसको कम्पेन्सेशन मिलता है, न वह कम्पेन्सेशन के लिए किसी प्रकार से अधिकृत कहा जा सकता है, न वह किसी प्रकार से माँग करे और यदि माँग करे तो इस क्लॉज़ के बाद में वह सारा का सारा अनुचित है। उस नोटीफिकेशन के इश्यू (issue) होने के बाद में वह किसी प्रकार की खेती नहीं कर सकता हैं। नाजायज खेती करता है तो उस फसल को, जिस फसल को वह नोटिस मिलने के बाद वहाँ पर बोता है उसको कटवा सकते हैं। आज हम देखते हैं कि काश्तकारों की हालत कितनी खराब है? काश्तकारों के लिए राजस्थान की सरकार नये-नये कानून बनाती है और कानून का ध्येय यह होता है कि काश्तकारों को किसी न किसी प्रकार से राहत पहुँचाना, किसी न किसी प्रकार से काश्तकारों को आर्थिक स्थिति को सुधारें, किसी न किसी प्रकार से काश्तकार के आर्थिक स्तर को ऊँचा करना है, यह वे मानते है। दूसरी तरफ यह मानते हैं कि काश्तकार जिसकी कि आजीविका जाती है, जिस खेत के जरिये से वह सारे १२ महीने का अपना बन्दोबस्त करता है उसको नये साधन जुटाने पड़ते हैं, उसकी खड़ी की खड़ी फसल, आप सारी की सारी नष्ट कर देते हैं और कहते हैं कि महज कम्पेन्सेशन देंगें और कम्पेन्सेशन के लिए भी कोई अवधि निर्धारित नहीं करते हैं। कम्पेन्सेशन इर्रिगेशन, एस. डी. ओ. के द्वारा रिकमन्ड करावेगा और एस. डी. ओ. भी देखेंगे कि कम्पेन्सेशन वाजिब है या गैर वाजिब है और जिसको कम्पेन्सेशन दिया जायगा वह भी वाजिब है या गैर वाजिब। कम्पेन्सेशन निर्धारित कर दिया, ऐसा काश्तकार को कहें उससे सहूलियत नहीं मिलती है। वह कलेक्टर के पास जायगा। कलेक्टर के पास उसकी अपील हो सकती है तो अपील करेगा। आज-कल जो कार्य-प्रणाली है उसके अनुसार यह माना जाता है कि इस प्रकार की धाराएँ बिल में होते हुए भी राजस्थान में ऊंचे अधिकारियों के पास अपनी अपील ले जा सकेगा तो उसमें तीन साल का समय लगेगा और तीन साल तक एक तरफ तो वह अपनी जमीन से बाहर कर दिया जाता है, दूसरी तरफ उसको किसी प्रकार की जमीन

Page No.72

[श्री भैरोंसिंह]

नहीं मिले और किसी प्रकार दूसरी जमीन मिले तो चाही की जगह बारानी मिले और बारानी की जगह और भी खराब जमीन मिलेगी। एक तरफ तो हम काश्तकारों का आर्थिक स्तर ऊंचा करना चाहते हैं और इस तरह से काश्तकारों को हम राहत पहुँचाने के लिए नाना प्रकार का काम करना चाहते हैं। माननीय चेयरमैन, मेरा निवेदन है कि इसमें कई प्रकार की दिक्कतें हैं। स्टेन्डिंग क्रोप को यां का यों ही रहने दें। वह एक, दो या तीन महीने में खत्म होगी। ६ महीने में कोई भी ऐसी क्रोप नहीं होती है राजस्थान में कि काटी नहीं जाती है। केवल गन्ने की खेती इस प्रकार की है जिसमें कि १२ महीने का समय लग सकता है।

नोटिस भी देते हैं तो तीन महीने पहले। तो नोटिस ज्यादा से ज्यादा (समय का) दें। उस फसल के काटने में फसल के मारकेट में ले जाने में समय लगता है और उसमें आयन्दा ६ महीने का समय लग सकता है। इस प्रकार कुल नौ महीने का समय लगता है। लेकिन नौ महीने के समय के अन्दर उसको पूरा कम्पेन्सेशन मिल जायगा और खेती का पूरा लाभ मिल जायगा, उसको आमदनी हो जायगी, उसको घर की व्यवस्था करनी होगी। उसको हटाना है और दूसरे स्थान पर जाकर आबाद होना है, जीवन निर्वाह के दूसरे साधन जुटाने हैं। इस प्रकार उसको गैर आबाद करेंगे और जिसको गैर आबाद करते हैं तो उसके साथ सहानुभूति का बर्ताव करना पड़ेगा और सहानुभूति का यही सही तरीका हो सकता है कि जो खेती वह बोता है उस खेती पर उसका पूरा अधिकार है और वह उस खेती का पूरा उपयोग करे और उस उपयोग के जरिये अपनी आमदनी को बढ़ाये। इसलिए मैंने अपना संशोधन रखा है। इस संशोधन से सरकार के काम में किसी प्रकार की रुकावट आने वाली नहीं है। आपने यह कहा कि रूल्स बनायेंगे, जिन रूल्स के जरिये आवश्यक चीजों का ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से जो होने वाला है, इन चीजों के लिये रूल्स बनेंगे। इन रूल्स के जरिये इस प्रकार के अख्त्यारात निर्धारित कर सकें तो इस चीज को नहीं मानते हैं कि निर्धारित रूल्स को इसके अन्दर ही उस प्रोविजन को मन्जूर कर लें ताकि खेती में किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। इसी आशय से मैंने यह सदन के सामने संशोधन रखा है। वे इस संशोधन को मन्जूर कर लें। इस संशोधन के द्वारा काश्तकारों को राहत पहुँचाना है और उस राहत को पहुँचाने में आप सहयोग दें।

श्री सभापति—श्री हरिकृष्ण व्यास। वे यहाँ उपस्थित नहीं हैं इसलिए उनके एमेण्डमेंट को ड्रोप्ड समझा जाता है।

(श्री हरिकृष्ण व्यास का एकाएक सदन में प्रवेश)

श्री सभापति—(श्री व्यास को संबोधित करते हुए) Can we drop it ?

श्री हरिकृष्ण व्यास--Yes, Sir.

Page No.73

श्री सभापति—(श्री हिम्मतसिंह अटरू) अब क्लॉज़ ६ में जो श्री भैरोंसिंह का अमेंडमेंट है उसको वोट के लिए रखा जाता है।

श्री भैरोंसिंह—I do'nt want to press it, I want to withdraw it.

श्री सभापति—क्या सदन की मरजी है कि वह इस एमेण्डमेंट को विथड्रा कर ले ?

(स्वीकृत)

संशोधन को विद्ड्रॉ करने की आज्ञा प्रदान हुई।

श्री भैरूँ सिंह—I withdraw my amendment.

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ स्वीकृत हो।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६ विधेयक का अंग स्वीकार हुआ।

क्लॉज़ ७.

(विराम)

इस क्लॉज़ पर कोई एमेंडमें ड नहीं है। इसलिए प्रस्तुत प्रश्न यह है कि यह स्वीकृत हो।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ८, श्री जवानसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Chairman Sir, I have two amendments to clause 8. Shall I put them separately or all at a time ?

श्री सभापति—एक एक करके रखें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Chairman, Sir, I beg to move......

श्री टीकाराम पालीवाल--How can they be moved all at a time ? They are separate.

श्री सभापति—एक क्लॉज़ ८ की सब क्लॉज़ (१) में है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो, Shall I proceed ?

श्री सभापति—Yes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Chairman, Sir. I beg to move the follwing amendments.

(1) Delete part (a) (b) and (d). Renumber part (c) as (a). Insert sub-clause (a), (b) and (d) as sub-clauses (b), (c) and (d) before the sub-clause (e)."

(2) Sub-clause (4)......"Delete sub-clause (4)"

अब इस एमेन्डमेंट पर हम विचार करते हैं। माननीय चेयरमैन मेरा यह खयाल है कि इसको बिल की जान कहा जाय और इस बिल की सबसे महत्त्वपूर्ण क्लॉज़ इसको कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरा खयाल है कि जो क्लॉज़ आज इस बिल में प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही खतरनाक उसूल को प्रस्तावित करता है। राजस्थान के लिए यह एक ऐसा उसूल प्रस्तावित करता है कि जिसका तात्पर्य यह होगा कि हमारे राज्य में डबल स्टेन्डर्ड्स प्ले करें, जिनका तात्पर्य होगा कि लगातार लोगों का नुकसान होता रहे, लेकिन नुकसान का मुआवजा उनको नहीं मिले; ऐसी परिस्थिति होगी। इसका तात्पर्य यह होगा :—

"Stoppage or diminution of percolation or floods"

इसलिए मैं अपने एमेन्डमेंट के निस्बत में दो शब्द कहूँ। क्लॉज़ में यह कहा गया है, माननीय चेयरमैन, कि इस प्रकार की कोई विकास, या सिंचाई योजना कार्यान्वित हो और उस योजना के कार्यान्वित होने के नतीजे में यदि "Stoppage or diminution of percolation or floods" हो तो जिन लोगों को उससें नुकसान होगा उन लोगों को कम्पेन्सेशन की माँग करने का कोई अधिकार नहीं होगा। मैं ऐसी एक छोटी-सी मिसाल बतलाऊँ। मेरा खयाल है कि उस इलाके को जानने वाले और उस इलाके के आने वाले कई माननीय सदस्य, यहाँ तक कि माननीय उप मन्त्रीजी तो कम से कम जानते हैं, उस जगह से उनका ताल्लुक है। एक छोटा-सा तालाब था, अभी भी है,

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जोधपुर के नजदीक, और आज से कुछ वर्षों पहले शहर में पीने के पानी की कमी हुई तो उस तालाब से जो नहरों को पानी गया था उन नहरों को डाइवर्ट कर दिया शहर में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए। नतीजा यह हुआ कि उस तालाब में पानी कम जाने लगा और वह करीब करीब सूखा पड़ा रहता है। इस प्रकार नये इरिंगेशन के कार्य का नतीजा इस इलाके में यह हुआ कि उस इलाके में दो गाँव थे जिनमें से एक का नाम था गौवां और दूसरे का था आंगां। नामों की ही तरह यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। यहाँ पर बहुत अच्छे गेहूँ होते थे और बागों में बहुत अच्छे बाग बगीचे थे, जिनमें फल व साग-सब्जी बहुत होती थी और सारे शहर को सप्लाई की जाती थी और इन्हीं कारणों से इन गाँवों के नाम इस प्रकार के पड़े थे। लेकिन, यहाँ के पानी के श्रोत को अलग ले जाने का नतीजा यह हुआ कि परकोलेशन बन्द हो गया और उस सारे इलाके के कुए सूखने लगे और आज उन गाँवों की हालत बिगड़ गई है; जो कल गौवां और बागों की हालत थी वे आज उजाड़ हो गये हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि इस प्रकार की परिस्थिति हो......

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह अटरू)—क्या कोरम पूरा है ?

श्री भैरोंसिंह—कोरम नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—I have come just now.

(सदन में कुछ और सदस्यों के आ जाने से कोरम पूर्ण होना)

श्री हरिकृष्ण व्यास—(भाषण जारी रखते हुए) मैं कह रहा था कि यदि किसी इलाके में पानी इकट्ठा होता हो और आस-पास में परकोलेट होता हो और एक नयी योजना के मुताबिक यदि उस पानी को डाइवर्ट किया जाय और नतीजे में उस सारे के सारे इलाके पर बुरा असर पड़े, उससे परकोलेशन पर असर पड़े और उस इलाके के लोगों का हित गारत हो जाय तो क्या उस इलाके के लोगों को यह अधिकार नहीं है कि जिस कार्य की वजह से आज उनकी यह हालत हो रही है उस कार्य के लिए जिम्मेवार राज्य की सरकार से यह माँग न करें कि हमें जो नुकसान उठाना पड़ा है उसका हमें मुआवजा या एवजाना मिलना चाहिये, इस प्रकार का उसूल सरकार को मानना चाहिये। ऐसा इसमें है। ऐसा क्यों मानना चाहिये इसकी वजह मैं आपको बतलाऊँगा। कुछ दिन पहले इसी विधान सभा ने एक कानून पास किया है और उसमें इस उसूल को माना है कि यदि एक इलाके में नहर जाय या सिंचाई का नया साधन उपलब्ध किया जाय तो वहाँ के लोगों से पानी का आबयाना तो वसूल किया ही जायगा लेकिन इसके अतिरिक्त बेटरमेंट कर और वसूल किया जायगा क्योंकि उस इलाके में सुधार हुआ है, उसके लिये पैसा लिया जाय। जो राज्य सरकार एक तरफ यह कहती है कि जहाँ पहले पानी नहीं था वहाँ अब पानी उपलब्ध किया गया है, जो इलाका सरसब्ज नहीं था, वह हराभरा बनाया गया है, इसलिये इस काम के लिये टैक्स

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दो, पैसा दो तो वही सरकार किस मुँह से कहेगी कि तुम्हारे इलाके से पानी छीन लिया गया है, तुम्हारा इलाका उजाड़ कर दिया गया है और इससे तुमको नुकसान हुआ है लेकिन इसके एवजाने में तुमको कुछ भी माँगने का अधिकार नहीं है ? क्या यह न्याय कहा जायगा ? मोरेलिटी, सामान्य कोमनसेन्स या इन्सानियत के नाते क्या यह ठीक चीज़ कही जायगी ? एक ओर तो आप किसी का फायदा करें तो उनसे रुपये वसूल करेंगे और दूसरी ओर किसी का नुकसान करेंगे तो कहेंगे कि तुम्हें चिल्लाने का कोई हक नहीं है। सारे हरेभरे इलाके को उजाड़ कर दिया और कहते हैं कि एवजाने के लिये चिल्लाने का कोई अधिकार नहीं है। यह कहाँ का न्याय है ?

इस सिलसिले में एक और चीज़ मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा और वह यह है कि जब हम कुछ उन्नति का कार्य करना चाहते हैं, कुछ नई-नई योजनाओं के जरिये राज्य के आम लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना चाहते हैं तब हमको यह मानकर चलना पड़ेगा कि उस बड़े काम में छोटे तबके के लोगों को नुकसान हो तो उसे पूरा कर दिया जाय। समाज का कर्त्तव्य है कि जिनका नुकसान हो उनको हरजाने से मुक्त करने के लिये उन्हें एवजाना दें। लेकिन इस कानून में, इस प्रकार की बंदिश रख दी गई है कि उनको कोई हक नहीं है, एवजाना माँगने का। मेरे अमेंडमेंट का मतलब यह है कि परकोलेशन कम हो रहा हो, फलड्स में कमी आई हो, उसके आगे क्लाइमेट पर असर पड़ता हो तो ये आम नुकसान की चीजें हैं। इन चीज़ों के लिये एवजाना मिलना चाहिये उन इलाकों के लोगों को। इसलिये मेरा यह अमेन्डमेन्ट है कि (ए) (बी) (सी) और (डी) में हरजाना नहीं मिलने का जो प्रोविजन है उसको हटाकर हरजाना मिल सके उस क्षेत्र में ऐसा क्लॉज लाना चाहिये। यह है पहली बात।

अब दूसरी बात जो है वह सब क्लॉज (४) से ताल्लुक रखता है। हम जो कानून बना रहे हैं, इस धारा में यह कहा गया है कि जिस प्रकार से इंडियन ईज़मेंट एक्ट या लिमिटेशन एक्ट के अनुसार किसी को एक्वायर करने का राइट या हक हो जाता है उस तरह को कोई अधिकार राज्य सरकार के खिलाफ किसी को इस धारा के अनुसार नहीं हो सकेगा, चाहे उसे वह कितने ही वर्षों तक उसे काम में लाया हो। जो हक रेवेन्यु लॉ में दिया हुआ है, जो हक सिविल लॉ में दिया गया है उस हक को अनायास, बिना सोचे-विचारे, एक सब क्लॉज ऐसी जोड़कर आप छीनना चाहते हैं, यह उचित नहीं है। विधान बनाने का यह तरीका नहीं है, यह तो अपनी जिम्मेदारी से बचने का कार्य है। हम पर इस काम की जिम्मेदारी है। हमें लोगों को कोई बात सही ढंग से बतानी चाहिये। मैं आपके जरिये पूछना चाहता हूँ माननीय चेयरमेन, कि हम लोगों को क्या कह कर बतायेंगे कि जो प्रोवीजन सिविल लॉ में है, रेवेन्यु लॉ में है उसके अनुसार कुछ अधिकार ३० वर्ष के बाद एक्वायर होते हैं, कुछ ४० वर्ष या कुछ ६० वर्ष के बाद एक्वायर होते हैं, जो भी हो कानून के अनुसार कुछ हक उपलब्ध अवश्य होते हैं; लेकिन आज हम जो नया कानून बनाने जा रहे हैं उसमें यह हक क्यों नहीं उपलब्ध होते, यह हम लोगों को कैसे समझायेंगे ? यह तो एक तरह की आर्बिट्रेरी चीज़ हुई। एडमिनिस्ट्रेशन के लिये मन्त्रीजी चाहे इसे अच्छा मानते हों, लेकिन दुनिया की नजरों में यह ठीक

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

नहीं है। आपको यह हठ और आर्बिट्रेशन नहीं करना चाहिये। मैंने कुछ दिन पहले आप से हठ का दान माँगा था तो आज मेरा ख्याल है कि और कोई निकल आयेंगे जो इस प्रकार के आर्बिट्रेशन का दान माँगलें। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपनी हठ छोड़ें और आर्बिट्रेशन छोड़ें। यह काम उसूल का है। इसको हम राजनीति की दृष्टि पर ही नहीं छोड़ सकते। हम नये उसूल कायम कर रहे है। जिनको आपके कामों से फायदा होता है उन पर तो आप ज्यादा कर का बोझा डालते हैं तो जिनका नुकसान होता है उनको भी आपसे मुआवजा माँगने का अधिकार है; तो दोनों के लिये प्रोवीजन बराबर होना चाहिये। दोनों ही तरह की स्थिति में समान नीति काम में लाने को न्याय कहते हैं। लेकिन जो अपना ही फायदा देखे उसको न्याय करने वाला नहीं कहा जा सकता, उसको तो मतलबी कहा जायगा। एक कहावत है :

"Rob Peter to pay Poll."

इस आशय का मेरा अमेन्डमेन्ट है। मुझे आशा है कि इस पर गौर करेंगे और इसे मान लेंगे। यदि मन्त्री महोदय नहीं मानें तो सदन के सदस्यों से मुझे उम्मीद है कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे और बतादेंगे कि मन्त्रीजी को इस प्रकार से राजस्थान में चाल नहीं चलने देंगे।

श्री भैरूँसिंह (दाँता रामगढ़)—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to clause 8 :—

"Delete parts (a) and (b) and renumber rest of the parts accordingly."

माननीय चेयरमैन अभी ऐसा ही संशोधन जोधपुर से आने वाले मेरे मित्र ने सदन में रखा और उसके सम्बन्ध में उन्होंने सदन को पूरी जानकारी करवाई। इस क्लॉज़ ८ में ऊपर लिखा है :

"8 Matters for which compensation shall not be or may be awarded.—"

सब क्लॉज़ १ में लिखा है :

" (1) No compensation shall be awarded for and damage caused by—"

इसके नीचे अब फिर (ए) (बी) (सी) (डी) और (इ) पार्ट्स हैं। माननीय चेयर मेन, इस क्लॉज़ में इन चीजों को विशेषरूप से रखना, यह इस बात की दलील है कि सरकार को मालूम अवश्य है, सरकार महसूस अवश्य करती है कि पार्ट (ए) और (बी), ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि इन चीजों के जरिये से उन लोगों को नुकसान अवश्य ही पहुँचेगा। यदि इस प्रकार से सरकार महसूस नहीं करती तो वह दो क्लॉज़ेज़ को इस क्लॉज़ के आगे बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करती।

नुकसान तो बहुत-सा होगा, एक चाही जमीन से बैरानी हो जायगी और बैरानी है वह बैरानी नम्बर दो और बैरानी नम्बर दो है वह बेकार हो जायगी। वहाँ मकान तोड़े जायंगे, और पीढ़ियों से जो रायज हैं चीजें, हक हकूक हैं, उन्हें नुकसान तो होगा ही, नुकसान तो और भी कई होने वाले हैं।

[श्री भैरूँसिंह (दाँता रामगढ़)]

लेकिन इन दो विशेष चीजों को कानून का अंग बनाने से मतलब यह है कि इन दो चीजों से उनको विशेष नुकसान होगा। जो नुकसान होने वाले हैं उनके बारे में मेरे पूर्व वक्ता ने काफी लम्बे विचार रखे हैं।

यह मानी हुई बात है कि जिस जगह पानी इकट्ठा होता है, जहाँ-जहाँ से होकर चैनल, नहर निकलती है, पानी निकलता है, जहाँ झील होती है उनके आस-पास जितने वासिंदे होते हैं, गाँव वाले होते हैं वे उस झील का फायदा, यदि प्रत्यक्षरूप से नहीं उठा सकते हों, तो अप्रत्यक्ष रूप से तो उन्हें फायदा जरूर मिलता है। वह फायदा मिलता है उसकी नमी के कारण से, आस-पास वाले कूओं में, उस झील, नहर या एकत्रित पानी के जरिये, पानी की वृद्धि होती है और इस रूप में उनको अवश्य फायदा होता है।

एक झील या नहर को बन्द कर दिया, झील को बिल्कुल बन्द कर दिया, उस झील या नहर के पानी को एक इलाके में से जिधर से कि पानी जाता रहा है उधर से बिल्कुल बन्द कर दिया तो जितने काश्तकार उधर के रहने वाले होंगे उनके कूओं का पानी बन्द हो जायगा, कूओं में पानी कम हो जायगा।

रेगिस्तान के इलाके में पानी की कमी है, हम महसूस करते हैं कि राजस्थान में पानी की कमी है और सिंचाई के साधन कम हैं। यह महसूस करते हुए भी आज सरकार ने इस प्रकार का क्लॉज बनाया है और मंशा भी जाहिर की है कि इस प्रकार की झील या नहर से किसी को नुकसान होगा तो उस नुकसान का किसी को कम्पेन्सेशन नहीं मिलेगा। हम मानते हैं कि उस झील या नहर के पानी को रोकने से आस-पास के कूओं का पानी कम हो जायगा, जमीन की नमी चली जायगी और कई काश्त के जो रास्ते हैं वे बन्द हो जायगे, वहाँ की जमीन बिल्कुल बेकार हो जायगी, चाही से बैरानी हो जायगी, बैरानी दर्जा अव्वल या इससे अच्छी किस्म की जमीन है तो वह बिल्कुल बेकार हो जायगी। परन्तु इसका कोई कम्पेन्सेशन नहीं रखा है। जब किसी काश्तकार की जमीन में से नहर निकाली जाय तो जमीन की एवज में जमीन दी जा सकती है, नहर ले जाने की हालत में किसी मकान को गिराना पड़े तो उस मकान के आधार पर उसे कम्पेन्सेशन मिल सकता है पर इस आधार पर जो उसकी जमीन बिल्कुल बेकार हो जाती है, उसके आधार पर उसको कोई कम्पेन्सेशन नहीं मिलता।

आज नहर के पास कोई एक गाँव आबाद है, किसी की जमीन में से नहर निकलती है तो उसको उस जमीन का कम्पेन्सेशन दे दिया जाता है। उसी नहर के लिये पड़ौस के गाँवों में जाकर पूछेंगे तो गाँव वाले लोग यही कहेंगे कि इस नहर को दूसरी ओर ले जाने से हमारे कूओं में पानी बिल्कुल सूख जायगा और उन कूओं से सिंचाई के आधार पर जिस जमीन को बो दिया जाता था उस जमीन की फसल सारी की सारी पानी बन्द कर दिये जाने के कारण से, कूओं में पानी कम हो जाने के कारण से बिल्कुल नष्ट हो जायगी, लेकिन फिर भी हम उन्हें कम्पेन्सेशन नहीं देंगे। कम्पेन्सेशन देने के लिये जहाँ जरूरत नहीं होती वहाँ तो कम्पेन्सेशन देते हैं और काश्तकारों को जहाँ

[श्री भेरूँसिंह]

नुक्सान होता है वहाँ उन्हें कम्पेन्सेशन नहीं देते। यदि नुक्सान नहीं होता तो इसे इस क्लॉज़ में रखने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसको रखने का मतलब यह है कि किसी के राइट्स को इससे नुकसान होगा; फिर भी उन्हें कम्पेन्सेशन नहीं दिया जायगा।

इस अमेंडमैंट के जरिये, इन दोनों सब क्लॉज़ेज़ से बड़ा जबरदस्त नुक्सान होगा, मैं निवेदन करूँगा कि इन दोनों सब क्लॉजेज को डिलीट कर दिया जाय।

श्री चाँदमल मेहता—The following proviso be added to sub-Clause (2) :

' Povided that the net profit shall be calculated on an yearly average income of the last ten years."

माननीय चेयरमैन इस क्लॉज़ नं० ८ में जहां मुआवजा देने का प्रोविजन है वहां इस तरह की बात बताई गई है कि कम्पेन्सेशन या तो मार्केट रेट से दे दिया जायगा या जहां मार्केट रेट्स अवेलेबल नहीं हों वहां नेट प्रोफिट का १२ गुना दे दिया जायगा। इससे मोर प्रोफिट (more profit) भी हो सकता है और किसी साल लोस भी हो सकता है। इसलिये मेरा यह अमेंडमेंट है कि नेट प्रोफिट कैल्कुलेट करने के लिये यह जरूरी है कि १० साल की प्रोडयूस को कैल्कुलेट किया जाय।

मैं समझता हूँ कि यह एक साधारण सी बात है और इसे माननीय मंत्री महोदय स्वीकार कर लेंगे।

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—माननीय चेयरमैन, दो-तीन प्रकार के अमेंडमेंट्स हैं। पहला क्लॉज़ ८ के सब क्लॉज (१) के (ए) और (बी) को डिलीट करने के बारे में कहा गया और यह समझाने की कोशिश की है कि इससे बहुत बड़ी हानि होने वाली है और उनके लिये यदि कम्पेन्सेशन नहीं दिया गया तो यह बड़ा अन्याय होगा।

मैं यह दावा नहीं करता हूँ कि इस प्रकार का कोई नुकसान होता ही नहीं, लेकिन एक बात जो ध्यान में रखने की है वह बहुत जरूरी है। कम्पेन्सेशन उसी नुकसान के लिये दिया जा सकता है जिसके बारे में सही-सही अन्दाजा लगाया जा सकता हो कि कितना नुकसान हुआ और इसमें कितने परसेन्ट नुकसान इसी कारण से हुआ है। यह कहा गया है कि कई जगह कूओं में पानी कम हो जायगा और किसानों को नुक्सान होगा। माननीय चेयरमैन, यह तो हम सब जानते हैं कि बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर यह बतलाया जाता है और लोगों की भी जानकारी में है कि पानी का लेवल कम हो गया है; कई ऐसी जगहें हैं जहां पर कहीं किसी प्रकार की नहर या नदी को रोका नहीं गया है लेकिन फिर भी कुछ अपने आप से प्राकृतिक कारणों से ही पानी की लेवल कम हो गई, जहां कूओं में पानी तो अब भी नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में यह मालूम करना बहुत कठिन होगा। यदि पानी कूओं में

[श्री टीकाराम पालीवाल]

कहीं कम हो भी जाता है तो यह मालूम करना बहुत कठिन होता है कि वह कभी किस हद तक के केनाल के डाइवर्सन करने से या किस हद तक प्राकृतिक कारणों से है और जहां इस प्रकार से किसी स्थिति में जहां ठीक-ठीक मालूम नहीं किया जा सकता है कि अमुक कमी का कारण है और उसी कारण से नुक्सान हुआ है तो वहां पर कम्पेन्सेशन कायम नहीं किया जा सकता। एक तो यह कठिनाई रहती है कि एमाउन्ट ऑफ कम्पेन्सेशन कितना हो, लोस इस कारण से हुआ और हुआ तो कितना हुआ, इसलिये इसको कम्पेन्सेशन के दायरे से अलग रखना ही जरूरी है।

इसी प्रकार बाढ़ आदि से नुक्सान की बात है। किसी प्रकार से, दैवी-प्रकोप से बाढ़ आदि आने के कारण नुक्सान होता है, जिस पर हमारे बस की बात नहीं होती। इस प्रकार कई प्राकृतिक कारण होते हैं जैसे कहीं वर्षा अधिक हो गई, फ्लड आ गया, साधारण वर्षा हुई, ऐसे कामों से भी नुक्सान होता है। इसलिये इसके लिये कोई भी मुआवजा देना सरकार के लिये सम्भव नहीं है। इन्हीं कारणों से अलग रखा गया है। ये कारण अब भी उतने ही सही हैं जितने उस समय जब कि सिलेक्ट कमेटी ने उन्हें देखा था। इस सदन के सदस्यों की प्रवर समिति ने इस विषय पर छान-बीन करके अपनी सिफारिशें दी हैं।

जैसा मैंने पहले कहा है, ये कानून पहले जो बने थे उन्हीं के आधार पर हैं और पहले के कानूनों को हमसे पहले, हमसे ज्यादा तजुर्बेकार लेजिस्लेचर ने उस पर विचार करके बनाये और अपनी सामुहिक बुद्धि का परिणाम रखा और उसी का आसरा लेकर हमने इसी प्रकार के कानून बनाये। प्रवर समिति ने इस पर गौर किया और उनको सही पाया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं माननीय सदस्यों की भावना की कद्र करते हुए भी, मुझे यही निवेदन करना पड़ता है कि वे जिस परिणाम की ओर हमें ले जाना चाहते हैं उस ओर जाना सम्भव नहीं। इसलिये हमारे सदन के लोगों ने इस कानून को ठीक समझा है और इसी कारण से सरकार इसमें कोई संशोधन करना उचित नहीं समझती और एमेन्डमेंट्स को सरकार मानने में असमर्थ है।

दूसरा संशोधन है क्लॉज ४ (१) के बारे में कि उसको बिलकुल डिलीट कर दिया जावे। मेरा कहना है कि वह भी बहुत जरूरी है और इसे भी सरकार मानने में असमर्थ है। यदि इस कारण को मान लिया जावे तो पांव-पांव पर ऐसी कठिनाइयें आवेंगी, एडमिनिस्ट्रेशन चल नहीं सकेगा।

लेकिन दूसरे संशोधन के बारे में मैं यह कहूँगा कि आगे रूल्स बनने अभी बाकी हैं। उनमें अगर इस प्रकार के रूल्स रखने जरूरी होंगे तो रख दिये जावेंगे। इस प्रकार अभी एक्ट में रखना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि १० वर्ष के बजाय ५ वर्ष का औसत काफी हो या १० वर्ष के बजाय १५ वर्ष के औसत की जरूरत हो। इसलिये मैं यह महसूस करता हूँ कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य अपने संशोधन वापिस ले लेंगे। माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा उसको मैंने ध्यान से सुना, लेकिन मैं इसको मानने में असमर्थ हूँ।

श्री चाँदमल मेहता—मैं अपना एमेंडमेंट वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--माननीय चेयरमैन, अभी मैं राजस्थान के मन्त्रीजी को सुन रहा था तो मुझे ऐसा नहीं मालूम होता था कि लोक-प्रिय, कल्याणकारी राज्य के कोई मन्त्री बोल रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई डाइंग हार्ट बोडी (dying heart body) बोल रहा हो। हमसे कहा गया कि कम्पेन्सेशन मुकर्रर करना कठिन है, क्योंकि फ्लड आदि आते हैं, इसलिए नहीं दिया जाता; ईश्वरीय प्रकोप होते हैं उससे नुकसान होता है, उसका नुकसान या कम्पेन्सेशन कभी किसी ने नहीं दिया है। कम्पेन्सेशन तो केवल राज्य के कार्य से अगर नुकसान हो तो उसका मान लिया जावे।

१९३६ में भारत की कौंसिल में एक एक्ट पेश हुआ था, माननीय चेयरमैन, वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट और उसमें यह अर्ज किया गया कि किसी कारण से अगर कोई मजदूर, जो काम करने के लिए जावे और काम करते समय उसके चोट लग जावे तो मालिक को उसका हरजाना देना चाहिये। तब उस समय के मिल एसोसियशन के सभापति दादाभाई माणकजी जो नागपुर मौजूदा मिल के मालिक थे, ने जो बातें कहीं और बोले थे वह बात यह थी कि रस्ते चलते आदमी गिर जाता है, टांग टूट जाती है तो कौन हरजाना देता है, सीढ़ियों पर से गिर जाता है तो कौन हरजाना देता है; फिर हमारे कारखाने में काम करते-करते यदि किसी को चोट आए तो हमें क्यों कहा जाता है कि कम्पेन्सेन्शन दिया जावे। जो बात १९३६ में दादाभाई माणकजी कह रहे थे वही बात आज १९५४ में टीकारामजी कह रहे हैं। ईश्वरीय प्रकोप के कारण तबाही होती है, बाढ़ आते हैं और नुकसान होता है, एटमबम भी गिरते हैं, लोग मर जाते हैं मगर आपके किसी कार्य की वजह से किसी को नुकसान होता है तो इस बात का आपके पास क्या उत्तर है? माननीय चेयरमैन, उस समय उस एक्ट के सम्बन्ध में कौंसिल के सदस्यों ने जो आज के मुकाबले में कम लिबरल थे, बहुमत से इस बात को कहा कि देवीप्रकोप की बात दूसरी है, लेकिन मनुष्य की गलती से अगर किसी को नुकसान होता है तो हरजाना अवश्य देना चाहिए। यह गलती असल में किसकी है, देवी-प्रकोप को छोड़िए, हमारे कार्य से नुकसान अगर होता है तो उसका मुआवजा होना चाहिए।

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरे मित्र ने मुझे सुना नहीं बीच में ही चले गए। मैंने कहा था कि (percolation) से नुकसान होता है तो सही तौर से जाँच नहीं की जा सकती है और इसीलिए एमाउन्ट ऑफ कम्पेन्सेशन एसेस (assessment of amount of Compensation) करना संभव नहीं। फ्लड आदि ऐसी चीजें हैं जिससे नुकसान होता है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। हमारे हाथ से जो नुकसान होता है उसके देने के लिए कहा जाता है कि दिया जाना चाहिए। उसके लिए मैंने कहा कि percolation के बारे में कोई अन्दाजा नहीं लगाया जाता। मैंने इसके बारे में कहा था कि अमुक जगह के कूओं के पानी का लेवल गिर गया, मगर वहाँ पर कोई केनल डाइवर्शन नहीं की गई, फिर भी पानी का लेवल गिर गया। ऐसी कई मिसालें हैं जहाँ कि कुओं के पानी का लेवल गिर रहा है। केनल डाइवर्सन से ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि कुछ पर्सेन्टेज पानी की लेवल गिर सकती है मगर वह कितना? वहाँ अमाउण्ट ऑफ कम्पेन्सेशन को ठीक तरह से असेस नहीं किया जा सकता है, यह मैंने कहा था। आपने इसको ठीक तरह से सुना नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे खुशी है कि आपको अपनी बात कटुता और व्यंग से रखी जाय, इससे कम से कम परेशानी होती है। किसी फेक्टरी में काम करने वाले मजदूर के मर जाने पर

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उसकी फेमिली को कम्पेन्सेशन दिया जाता है। उसके अंग प्रत्यंग के बेकार हो जाने पर कम्पेन्सेशन दिया जाता है, प्रकृति के सम्बन्ध में जो आपने कहा उसके सम्बन्ध में मैं आपको मिसाल दूँ। मनुष्य की जानकारी में है कि कुदरत क्या है? कोई दुनिया में फिलोसोफर हैं, कोई स्टेटिस्टियन है, कोई मैथेमेटीशियन हैं और आज कल सबसे ज्यादा मन्त्री लोग अकलमन्द माने जाते हैं,......

श्री टीकाराम पालीवाल—आप भूलते हैं। मनुष्य के जीव का कम्पेन्सेशन नहीं है। कम्पेन्सेशन दिया जाता है फेमेली के भरण-पोषण के लिए। वह इसलिए दिया जाता है कि चूँकि एक अर्निंग मेम्बर बिछुड़ गया। जीव की कीमत नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—धन्यवाद। मन्त्री महोदय ने अनजाने में ही मेरी बात का समर्थन किया है। जीव की कीमत नहीं होती। कम्पेन्सेशन देने का मौका जब आता है तब आजादी है वह यह है कि आजीविका कमाने वाला बिछुड़ गया है, जीव का हरजाना नहीं दे रहे हैं; किन्तु परिवार वालों की आजीविका के लिए और नुक्सान जो उसके बिछुड़ जाने से हुआ है वह पूरा कराके। फिर इस प्रकार से अगर एक इलाका उजड़ जायगा तो उससे कितना बड़ा नुक्सान होगा और क्या राजस्थान सरकार हरजाना दे पायगी? उसके साथ-साथ वहाँ की पैदावार कितनी कम होगी, जीवन का स्तर कितना कम होगा? पानी के लेवल के परकोलेशन से जो कमी होगी उसका पाँच परसेन्ट, प्रकृति की वजह से जो हालत गिरेगी उसका और अन्य वजह से १० पर्सेन्ट, तो इसका हिसाब लगाना कठिन होगा जैसा कि मनुष्य के जीवन की कीमत लगाना कठिन है। आप चाहते हैं कि लेबर का डिस्प्लेसमेंट हो, दूसरी जगह रिहेबीलीटेट करने के लिए। किन्तु डिस्प्लेसमेंट होने से मनःस्थिति को कितना नुक्सान होगा, सदियों से रहने वाले इलाके को छोड़ना पड़ेगा, नये इलाके में जाकर बसेगा उसके लिए तो उसको कुछ दिया जाय। इस बात के लिए हम नहीं कहते कि कम्पेन्सेशन दिया जाय लेकिन क्योंकि वहाँ उसके लिए नई परिस्थितियाँ होंगी। नुक्सान कितना होगा इसके लिये थियोरेटिकल आधार बनायें, तो जियोलोजिस्ट की आवश्यकता होगी। उसका क्या माली नुक्सान होगा, उसकी जिन्दगी का स्तर कितना गिर जायगा या उसको आगे के लिए कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी, इसका भी अन्दाजा लगाना पड़ेगा। आगे चल कर लिखा है कि अगर किसी जमीन की मार्केट-वेल्यु बढ़ गई है, वह विचार में ली जायगी, पर वह परकोलेशन की वजह से। लेबर का डिस्प्लेसमेंट हो और उसको फिर से बसाने का विचार किया जायगा, यह गलत बात कही जा रही है। हाँ, टेक्स जरूर लगाया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। देने की नीयत और बात है, जिम्मेदारी महसूस करना और सदाचारी होना भी दूसरी बात है। यह ठीक है कि वहाँ चेनल न लायी जाय। तो फिर किसको मालूम है कि वहाँ का वाटर लेवल क्या हो? यह सही बात है कि आप मोटर से जा रहे हैं, सामने किसी से टकरा गये, उस बेचारे के चोट आयी, फिर यह कहना बड़ा आसान है कि हमारी मोटर से चोट नहीं आयी, चाहे गड्डे में वह गिर जाती तो कोई नहीं जानता। आज पानी का डाइवर्शन हुआ, यदि वह प्रकृति द्वारा हुआ है तो दूसरी बात है किन्तु मैं आपको कहूँ कि एक दिन ऐसी हुकूमत भी आयगी कि जो प्रकृति के प्रकोप से अगर नुक्सान होगा तो सारा समाज

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मिल कर कहेगा कि आप फिक्र न कीजियेगा। लाउड स्पीकर में ६० हजार रुपया लगा और अगर मेरी छोटी-सी आवाज से टूट जाय तो उसके लिए उनको कोई फिक्र नहीं होगा, और आ जायगा। तो माननीय चेयरमेन, मैं अर्ज कर रहा था कि ह्यूमेनिटी क्या है? चोरी करें और बच कर निकल भागना चाहते हैं, बगलें झाँकते हैं। यह दुनिया के सामने अधिक समय तक रोकने जैसी बात नहीं है और इस रूप को मानने से इन्कार कर देने का मतलब इन्सान को एक इन्सान के नाते नहीं, एक डाकू की नीति अपनाते हैं उसके लिए जहाँ मौका पड़ा ले लिया, दूसरे दरवाजे बन्द हैं उसके लिए तो यह जो खतरनाक नीति अपनाई जा रही है इससे लाखों लोगों को नुक्सान होगा। फिर राजस्थान सरकार विचार करेगी, इसका तात्पर्य यह होगा कि मैं अपने अमेन्डमेंट को वापिस न लूँ। अतः मैं सदन के मत के लिए इसको उपस्थित करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—माननीय चेयरमेन, इस संशोधन के उत्तर में माननीय मन्त्री ने यह फरमाया कि यह हम मान कर भी चलें कि इस प्रकार की कार्यवाही से किसी व्यक्ति को नुक्सान हो सकता है तो भी यह असंभव है कि उस नुक्सान को किसी प्रकार से आँका जाय और उसके आँकने के बाद में किसी प्रकार से उसको कम्पेन्सेशन दिया जाय। माननीय चेयरमेन, हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी किसी भी कार्यवाही से किसी व्यक्ति को कोई विशेष नुक्सान होने वाला है तो यह जिम्मेदारी हमारी है, न कि उस व्यक्ति की जिसको कि हमारी कार्यवाही से नुक्सान होगा। इस बात की जिम्मेदारी हमारी है कि हम किस प्रकार ऐसे साधन जुटायें, इस प्रकार की कोई कार्यवाही करें जिस कार्यवाही के तरीके से नुक्सान होने वाला है उस नुक्सान का किस हद तक कम्पेन्सेशन दिया जाय, उस नुक्सान के हम आँकड़े तैयार करें। आज एक छोटा-सा गाँव बसा हुआ है, हमने किसी बाँध की पाल को खोल दिया और खोलने के बाद में पानी आगे चला गया, उससे लोगों को नुक्सान हुआ, घर-बार लोगों के बरबाद हो गये, उनको घर आबाद करने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ा और उसके बाद में पानी निकल गया, बाद में लोग उसमें आकर आबाद हो गये, पर हम यह कहेंगे कि नदी में कितना माल बह कर गया, इस पानी से कितना नुक्सान हुआ, जमीन पर से कितनी चीजें बह कर चली गईं जिससे उर्वरा भूमि सब नष्ट हो गई; हम अन्दाज नहीं लगा सकते; इसलिए उनको हम कम्पेन्सेशन नहीं दे सकते तो यह बात शर्म की है और किसी भी सरकार के लिए यह शोभा की चीज़ नहीं है कि वह किसी भी व्यक्ति को नुक्सान पहुँचाये।

अगर उसका अन्दाजा लगाने की सामर्थ्य नहीं तो मैं यह निवेदन करूँगा कि जनता को नुकसान पहुँचाने का उनको किसी प्रकार हक नहीं है। सरकार को चाहिये कि नुकसान के एवज में उनको कम्पेन्सेशन दे। अगर सरकार में इस प्रकार की सामर्थ्य नहीं है तो आपको इस प्रकार का काम करने का भी हक नहीं कि जिस काम के जरिये लोगों को बेघर-बार होकर दर-दर की भीख माँगना पड़े। अगर आपको तबाही भी करनी है तो सोच-समझ कर करनी चाहिये और तबाही के एवज में कम्पेन्सेशन दिया जाना चाहिये। आप कहते हैं कि परकोलेशन के जरिये से अन्दाज नहीं बन सकता कि कम्पेन्सेशन कितना दिया जाय। जब सेटलमेंट किया जाता है तब पानी नापते हैं कि

[श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)]

पानी कितना गहरा है, पानी कितनी ऊँचाई पर है। वह अधिकारी इन सब बातों को देखता है कि पानी ऊँचा और गहरा होने से सिंचाई पर उसका क्या असर पड़ता है। इन सब बातों को ध्यान में रख कर वह सेटलमेंट की रेट्स निर्धारित करता है। फिर पाँच साल के बाद फिर सेटलमेंट ऑफिसर जाता है तो वह फिर देखता है कि पानी कितना ऊँचा आया है, सिंचाई के लिए काश्तकारों को किस प्रकार की सुविधायें प्रदान की गई हैं? इस तरह से वह देखता है कि रेट्स रिवाइज़ की जॉय, तो फिर वह रेट्स घटाता-बढ़ाता है। अगर पानी की कमी हुई है, गहरा चला गया है और सिंचाई के अन्दर कठिनाई उत्पन्न हो रही है तो वह सोचता है कि सेटलमेंट में कमी किस प्रकार की जाय। पानी को देखकर जब हम असेसमेंट कर सकते हैं, नुकसान का अन्दाज लगा सकते हैं, नहर का रुख मोड़ने से नुकसान होता है यह अन्दाज कर सकते हैं। आज नहर में १० फीट गहरा पानी है, छः महीने बाद यदि आप उसको डाइवर्ट करके देखते हैं तो वह पचास हाथ गहरा चला गया है, उस नहर के मुखातिब होने के कारण पानी की कमी हुई है और पानी की कमी के कारण लगान की कमी हुई है। इसी आधार पर आप अन्दाज लगा सकते हैं कि परकोलेशन के आधार से जो कुछ लोगों को हानि हुई है वे कितने मुआवजे के हकदार हैं, इस बात का पता लगाया जा सकता है। जब आप कहते हैं कि नुकसान का मुआवजा हम नहीं दे सकते तो आपको इस बात का हक नहीं है कि आप किसी को बेघर बार कर सकें। ये दोनों चीजें इतनी जरूरी हैं कि मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिस चीज से लोगों को फायदा होता हो उस जगह पार्टी व्हिप का आदेश न मानकर जनता के फायदे के लिये जो कुछ भी किया जाता है उसका समर्थन करेंगे और मेरा साथ देंगे।

श्री सभापति—सदन के सम्मुख प्रश्न यह है कि श्री एच० के० व्यास का संशोधन स्वीकृत हो।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

अब सदन के सामने प्रश्न यह है कि श्री भैरोंसिंहजी का अमेन्डमेंट स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

अमेन्डमेंट ड्रोप हो गया।

श्री चाँदमल मेहता—माननीय चेयरमेन, मैं अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ।

श्री सभापति—क्या सदन की अनुमति है कि श्री चाँदमल मेहता अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लें।

(आज्ञा प्रदान हुई)

आज्ञा दी गई।

Page No.85

श्री चाँदमल मेहता—मैं अपना अमेन्डमेंट वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति—अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ९

श्री चाँदमल मेहता—माननीय चेयरमेन, मैं अपना अमेन्डमेंट मूव नहीं करना चाहता।

श्री भैरोंसिंह (चि० सं० १६)—I also do not want to move my amendment, Sir.

श्री सभापति—क्या सदन की अनुमति है कि क्लॉज़ ९ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १०

श्री चाँदमल मेहता—माननीय चेयरमेन, मेरा अमेन्डमेंट इस प्रकार है जो क्लॉज़ १० में प्रोवीज़ो बढ़ाने का है।

"Provided that the decision of the Collector shall be appealable to the Commissioner whose order shall be final."

चेयरमेन महोदय, क्लॉज़ १० में जिस बात की चर्चा की गई है उसमें आगे यह प्रोवीज़न नहीं है कि इसकी अपील हो सकती है या नहीं। कम्पेन्सेशन देने का जो महत्वपूर्ण सवाल है उसके लिए अपील होना आवश्यक है। इस लिहाज से मैंने यह प्रोवीज़ो जोड़ने का संशोधन रखा है। इस लिहाज से कलेक्टर की अपील कमिश्नर के पास हो। यह बहुत आवश्यक है। मुझे आशा है माननीय मन्त्री इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री टीकाराम पालीवाल—माननीय चेयरमैन, मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस बिल के क्लाज ६१ के पार्ट 'बी' की ओर दिलाऊंगा।

"The State Government may from time to time make rules to regulate the following matters—

Page No.86

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(a) The proceedings of any officer who, under any provision of this Act, is required or empowered to take action in any matter;

(b) cases in which, and the officers to whom, and conditions subject to which, orders and decisions given under any provision of this Act, and not expressly provided for as regards appeal, shall be appealable; .."

रूल्स में आ जायगा।

श्री चाँदमल मेहता—माननीय चेयरमेन, आज तक जितने भी एक्ट पास हुए हैं अगर उनको देखा जाय तो पता चलेगा कि जहाँ तक अपील के रखने का प्रोवीजन है, हर एक्ट में ही उसका प्रोविजन मिलता है, रूल्स में नहीं। एक भी नजीर आप बताइये जिसमें इस प्रकार का प्रोवीजन एक्ट में न देखकर रूल्स में दिया गया हो। इसलिए मैं माननीय मन्त्री से कहूँगा कि इस प्रोविजन को आप एक्ट में रखिये, ऐसी चीजें रूल्स में रखी नहीं जातीं। इसलिए फिर एक बार प्रार्थना करता हूँ कि इस पर वे पुनः विचार करें।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं माननीय सदस्य से फिर से निवेदन करूंगा कि यह सोचने का विषय है, अपील का अधिकार कामश्नर का हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को; ये दोनों बातें काफी सोचने की हैं। इसलिए इस पर ज्यादा जोर देना अच्छा नहीं होगा।

श्री चान्दमल मेहता—इसको पोस्टपोन कर दीजिये कल तक के लिये।

श्री टीकाराम पालीवाल—आपका जो आशय है वह रूल्स में कवर हो जायगा।

श्री चान्दमल मेहता—माननीय चेयरमेन, जहाँ तक मैं इस विषय में सोच पाया हूँ यह सोचने की बात है। किसी भी एक्ट को आप सदन के सामने रखते हैं तो उस पर काफी और सब दृष्टियों से सोच लिया जाना चाहिये। किसी भी चीज को बगैर सोचे-समझे नहीं रखा जाना चाहिये। इसलिये मैं माननीय मन्त्री से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस क्लॉज़ को पोस्टपोन कर दें और कल फिर इसको लिया जाय।

श्री टीकाराम पालीवाल—बहुत सोच-समझ कर यह बिल आया है। आपने जो कहा है वह रूल्स में प्रोवाइड किया जायगा। अपील प्रोवाइड की आयगी अन्डर रूल्स।

श्री चान्दमल मेहता—माननीय चेयरमेन, मैं अपना अमेन्डमेंट वापिस लेने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूँ।

श्री सभापति—क्या सदन की यह आज्ञा है कि श्री चाँदमल मेहता अपना अमेन्डमेंट वापिस लें?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

Page No.87

श्री चाँदमल मेहता—मैं अपना अमेन्डमेंट वापिस लेता हूँ।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १० विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १० विधेयक में अंग रूप से स्वीकृत हुआ।

(विराम)

खण्ड ११ तथा १२.

(विराम)

इन पर कोई संशोधन नहीं है। अतः प्रश्न यह है कि खण्ड ११ तथा १२ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड ११ तथा १२ विधेयक में अंग रूप से स्वीकृत हुए।

(विराम)

क्लॉज़ १३

श्री भैरोंसिंह—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amend-ments to clause 13 :—

"[1] Insert the words :—

'and be paid immediately within a period of one month there after except where the non-payment of such sum is caused by the wilful neglect or refusal of the claiment to receive the same,' after the last word 'of' of sub-clause (1); (2) "sub-clause [2] be deleted."

चेयरमैन महोदय, इस क्लॉज में यह रक्खा गया है कि जो कुछ सरकार की अभी तक की कार्यवाही से किसी को कोई नुकसान होगा और उस नुकसान की एवज में जो मुआवजा मिलेगा वह कब ड्यू होता है। इसके लिए सरकार ने यह रक्खा है कि जो भी सम (रकम) मुआवजे के रूप में किसी व्यक्ति को दी जाने वाली है वह रकम कम्पेन्सेशन का क्लेम किया जावे उसके बाद में ३ महीने गुजरने पर वह ड्यू समझी जावेगी।

Page No.88

[श्री भैरोंसिंह]

अभी जब इस सदन में चर्चा हो रही थी तो इस बात की आशंका माननीय मन्त्रीजी को भी हुई और जिन्होंने संशोधन पेश किया उन्हें भी हुई और शंका है भी कि इस प्रकार की कार्यवाही से लोगों को काफी नुकसान होगा और इसके एवज में जो कम्पेन्सेशन दिया जावेगा उसको देने में देरी भी होगी और उस देर से जो नुकसान होने वाला है, वह नुकसान भी लोगों को होगा। इसी बात को दूर करने के लिए कि लोगों को जो नुकसान हो उसका कम्पेन्सेशन जल्दी से जल्दी मिल जावे ताकि उसके जरिये से उस नुकसान को लोग इग्नोर करके जल्दी से जल्दी रिहैबिलिटेट हो जावें इसलिये मैंने संशोधन रक्खा है कि जब कम्पेन्सेशन ड्यू हो जावे तो उसके बाद में जल्दी से जल्दी कम्पेन्सेशन दे दिया जावे, फिर लेने वाला ही जान-बूझ कर लेने में देरी करे तो भले ही करे, नहीं तो सरकार पर यह पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिये कि जब से कम्पेन्सेशन ड्यू हो उस दिन से लेकर एक महीने के अन्दर वह कम्पेन्सेशन दे दे। सरकार जब कम्पेन्सेशन डिटर्मिन कर देती है और इस निश्चित् बात पर पहुँच जाती है कि इस व्यक्ति को इतना नुकसान हुआ और इतनी कम्पेन्सेशन की रकम देनी है तो इसके बाद में कम्पेन्सेशन की रकम देने में अगर ढील की जाती है तो वह ढील किसी भी प्रकार से न्यायसंगत नहीं कही जा सकती। पर इस ढील के जरिये से उस व्यक्ति को नुकसान होगा। अव्वल तो उसको उस जगह से हटाकर उसके साथ अन्याय किया, पर उस अन्याय से यह तसल्ली जरूर वह ले लेगा कि सरकार ने यह सारी कार्यवाही एक विशेष अच्छी मंशा से, सरकारी विकास-योजनाओं को कार्यान्वित करने को गरज से की है। तो हम इस कार्यवाही को इस अर्थ में बर्दाश्त कर सकते हैं, पर एक दफा बर्दाश्त कर लें इस बात को तो, साथ ही सरकार का यह कर्त्तव्य भी हो जाता है कि जिसको वह नुकसान पहुँचाया गया है उसको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत प्रदान करें और इसका मार्ग सबसे अच्छा यह हो सकता है कि उस नुकसान के बदले में जो कम्पेन्सेशन देना हमने डिटर्मिन किया है, किसी एक केस में कम्पेन्सेशन देने वाले हैं तो वह उसको बस जल्दी से जल्दी पहुंचे और इस आशय का मेरा यह संशोधन है कि जब रकम ड्यू हो जावे तभी सरकार के जिम्मे वह रकम समझ ली जावे। इसके बाद एक महीने के अन्दर सारी की सारी कम्पेन्सेशन की वह रकम सम्बन्धित व्यक्ति तक पहुँचा दी जावे ताकि उसे उस रकम से ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिल सके।

दूसरा संशोधन सब क्लाज (२) को डिलीट करने का है। माननीय चेयरमैन, जिस वक्त मेरा यह संशोधन स्वीकार हो जाता है तो इसकी जरूरत नहीं रहती। यह है उसको व्याज देने की सहूलियत देने सम्बन्धी। अगर रकम उसको काफी समय बाद दी जावे यानि महीना, दो महीना, तीन महीना या सात-आठ महीने भी लग जावें तो उसको उस रकम पर व्याज दिया जावे लेकिन जब हम इस चीज को मानते हैं कि किसी भी हालत में यह रकम खुद न ले तो किसी भी हालत में रकम नहीं दी जावे या दी जाती है तो एक महीने में दे दी जाती है तो व्याज का सवाल नहीं रहता। अगर एक महीने की अवधि बना लें तो व्याज देने का वास्ता नहीं रहता। इसलिए सब क्लॉज (२) को डिलीट करने का मैंने संशोधन रक्खा है। इसलिए मैंने दोनों संशोधन माननीय मन्त्रीजी की स्वीकृति के लिए सदन के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किये हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—चेयरमेन महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना की तो बहुत कद्र करता हूँ पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने, जो कुछ वह चाहते हैं, उसके बारे में बहुत साफ नहीं सोचा।

जो संशोधन वे करना चाहते हैं उससे लाजमी तौर से हर हालत में किसान को लाभ ही होगा, ऐसा कहा नहीं जा सकता। यदि मान भी लिया जावे थोड़ी देर के लिए इस संशोधन को तो इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि इससे कानून में यह भी लिख दिया जावेगा कि एक महीने में कम्पेन्सेशन की रकम मिल जानी चाहिये। इससे अधिक कुछ परिणाम इससे नहीं होगा और सरकार यह प्रयत्न करेगी कि एक महीने में यह रकम दे दी जावे। लेकिन इसमें जो कठिनाइयाँ हैं जिनमें से बहुत सी को हम जानते भी हैं, पर फिर भी बहुत सी ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं, ऐसी किन्हीं कठिनाइयों के कारण यदि किन्हीं कुछ केसेज में पेमेन्ट समय पर नहीं हुआ तो इसका क्या परिणाम होगा? तो इसके बारे में माननीय सदस्य कुछ नहीं कह रहे हैं और आखिर गवर्नमेंट इसके औचित्य को मानती है कि अमुक समय के बाद ड्यू हो जावेगा, उसको देना है। इसके मानी यह हैं कि ड्यू होते ही गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य मानती है उसको देना। अब वह एक महीने में दिया जावे या उसके बाद और इसमें अगर एक महीने से अधिक लग जावे, यहाँ किसी को यह नहीं मानना चाहिये कि जान-बूझ कर देरी करना चाहती हो। गवर्नमेंट को कई दफा जल्दी-जल्दी देने की इच्छा रखते हुए भी अनिवार्य कारणों से देरी हो सकती है और इसके बाद मौजूदा एक्ट हैं। इस देरी की गवर्नमेंट अपने ऊपर जिम्मेदारी लेती है और देरी के लिए व्याज देने की अपनी जिम्मेदारी मानती है जिससे उस व्यक्ति को लाभ हो सकता है।

पर जैसा मेरे माननीय सदस्य चाहते हैं वैसा संशोधन कर दिया जावे तो अगर किन्हीं अनिवार्य कारणों से कानून में लिख जाने के बावजूद भी अगर देरी हो जावे तो इसका परिणाम क्या होगा? जो व्याज मिलता है वह भी नहीं मिलेगा। इस तरह से असल में जो किसानों का हित करना चाहते हैं वह हित-सम्पादन नहीं होगा। उसको कई दिक्कतें हो जावेंगी।

जहाँ तक सरकार की तरफ से प्रयत्न करने की बात है वह तो अगर यह संशोधन, यह अवधि भी न रक्खें एक महीने की, तब भी अपने कर्त्तव्य को निभावेगी। सरकार का कर्त्तव्य इस कानून के अनुसार जिस दिन ड्यू हो जाता है, तुरन्त बाद ही एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, दो महीना, तीन महीना जितना भी जल्दी से जल्दी हो सके वह ड्यू दे देना चाहिए। पर साथ ही सरकार ने यह माना है कि अगर ड्यू डेट के बाद नहीं दिया गया है तो व्याज चालू हो जाता है। मेरे खयाल से इन सब बातों को सुनने के बाद माननीय सदस्य अपना संशोधन वापिस लेना जरूरी समझेंगे।

श्री भैरूँ सिंह (१६)—माननीय चेयरमेन, मेरे संशोधन के विषय में मुझे इस आश्वासन पर कि सरकार कम्पेन्सेशन को देने में कभी किसी प्रकार की कोई देरी नहीं करेगी, वापिस लेने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन माननीय मन्त्री जी ने यह फरमाया कि इस संशोधन से काश्तकार को

[श्री भैंरू सिंह]

नुकसान हो सकता है। जिस वक्त से उस कार्यवाही का कोई असर होगा और असर से जो नुकसान होगा, नुकसान की एवज में जो कम्पेन्सेशन मिलेगा यदि सरकार उसको एक महीने में नहीं दे सकी, तो फिर क्या?

न्यायसंगत तो चीज़ यह होती है कि जब हम किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाते हैं, किसी की जमीन पर, किसी की सम्पत्ति पर जब सरकार किसी भी नीयत से, चाहे सम्पत्ति पर अधिकार करने से ज्यादा लोगों को फायदा होता है या कम लोगों को किसी जमीन पर कब्जा करने से आस-पास वाले ज्यादा लोगों को फायदा होता है, पर न्यायसंगत तो यह बात होगी कि जिस सम्पत्ति से, जिस जमीन से और जिसको जिसके जिस अधिकार से आप अलग करें पहले ही उसको प्रबन्ध करके कम्पेन्सेशन दे दें, फिर उसकी सम्पत्ति पर अधिकार करें, पर यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं और सरकार के सामने यदि परिस्थितियाँ ऐसी आ जावें कि जिससे वह कम्पेन्सेशन ऐसे काम के लिए पहले नहीं दे सकती, डिटर्मिनेशन में देरी हो जावे और इसके कारण उन विकास-योजनाओं में दिक्कत पैदा हो जावे, यदि इन कारणों से हम उस जमीन को या उस चीज को उस समय ही लेना जरूरी समझें और कम्पेन्सेशन तय न कर पाए या पहले पेमेन्ट न कर सकें और बाद में देने की योजना बनावें तो उससे भी उसको नुकसान हो सकता है।

तीन महीने की अवधि तो इस बात के लिए निर्धारित की गई है कि तीन महीने के बाद में जो कुछ होगा वह उस रकम के लिए निर्णय कर सकते हैं। उसके बाद में रकम कितनी होगी, मुआवजा कितना होगा, उसका एसेसमेंट (assessement) होगा और एसेसमेंट होने के बाद में और कोई कार्यवाही नहीं होगी, फिर महज कार्यवाही है पेमेन्ट के लिए; ट्रेजरी या तहसील को ऑर्डर देना, सम्बन्धित अधिकारी के पास ऑर्डर भेज देना कि अमुक स्थान के लिए इतना कम्पेन्सेशन तय किया है, वह दे दिया जाय, मैं समझता हूँ कि उसमें किसी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार के मामलों का निर्णय तो उसी वक्त कर दिया जाय। मैं आपको बताऊं कि जिन काश्तकारों को जो नुकसान होगा वह एक महीने में दे दें नहीं तो गवर्नमेंट कई प्रकार के कानून बनाती है और गवर्नमेंट की तरफ से बारबार आश्वासन मिलता है कि गवर्नमेंट के कानूनों पर पूरी तरह से अमल होगा, राजस्थान सरकार और राजस्थान विधान सभा में जो कानून बनते हैं उन कानूनों का अमल होगा और उस अमल के जरिये से उन गरीब किसानों को फायदा मिले, उसके जरिये जिनको कि नुकसान पहुँचता है। कानून का अमलदरामद किसानों के ऊपर ही नहीं, सरकार के ऊपर भी उसका अमल होगा, सरकार भी उसके उत्तरदायित्व को वहन करेगी, लेकिन यह कम्पेन्सेशन अगर काश्तकार को एक महीने में सरकार नहीं दे तो काश्तकार को व्याज से कोई फायदा नहीं मिलता है। व्याज और कम्पेन्सेशन दो चीजें हैं। काम्पेन्सेशन आप उसको नहीं देंगे और २० साल बाद में आप उसको देंगे और उससे कहेंगे कि तुमको ३ पर्सेन्ट व्याज के रूप में इनकम मिलती रहेगी २००) रु० और उसका खर्चा होता है ५००) रु०; तो ३००) रु० काश्तकार को घाटा है। सरकार कहती है कि व्याज मिल रहा है और तीन साल बाद कम्पेन्सेशन मिल जायगा, तुमको कम्पेन्सेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सरकार की आर्थिक स्थिति खराब है, कुछ विकास

[श्री भैरूँसिंह]

योजनाएं हैं, सरकार का पैसा विकास-योजनाओं में लग रहा है, इसलिए मजबूरी है; तो वह ब्याज देना ठीक रहेगा और वह किसी तरह से पेमेन्ट से बच जायेंगे और वह कहेंगे कि ब्याज से लाभ होने वाला है। लेकिन किसान को रकम सीधी एक साथ दी जाती है तो फायदा मिलेगा। उसका ५००) रु० का नुकसान किया, किसी का आपने घर उजाड़ दिया और उसको दूसरा घर बनाने के लिए आप रुपया देंगे, लेकिन १२ महीने बाद में देंगे, महज तुम ब्याज लेते रहो तो ब्याज वह किस तरह से फायदा पहुँचाने वाला हुआ? एक ऐसा आदमी है जिसको कि कम्पेन्सेशन देना है, जिसका कि नुकसान हुआ है, उसे ब्याज किसी हालत में फायदा पहुँचाने वाला नहीं। अकेले पेमेन्ट से ही उसको फायदा पहुँचेगा। यदि कम्पेन्सेशन के ८००) रु० हुए और उसको ८००) रु० का ब्याज देने के स्थान पर उसको यदि ५००) रु० नकद देंगे तो वह ब्याज सहित मिलने वाली रकम से ५००) रु० ज्यादा कारगर हो सकता है और उसके कारगर होने के कारण से ही उसको विशेष फायदा हो सकता है। इस आशय से मैंने यह संशोधन रखा था। माननीय मन्त्री महोदय ने या तो उसको गलत समझा है या उनको नियत इस प्रकार की बन गई है कि जितने भी संशोधन पेश किये जाँय उनको किसी न किसी तरह से अस्वीकृत करें, उनके मानने की कोई आवश्यकता नहीं है और संशोधन को अस्वीकार करें। मैं दुबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों को जिनको कि नुकसान होगा आपको इस कार्यवाही से राहत पहुँचाना है तो सरकार को उसके लिए कानून बना देना चाहिए कि जिस वक्त रकम कम्पेन्सेशन की जो कुछ वह सोचे, उसका एक महीने में पेमेंट होना चाहिए। यदि इस प्रकार का कानून बन जायगा तो एक महीने में पेमेन्ट होगा और पेमेन्ट नहीं रुक सकेगा। माननीय मन्त्री महोदय कोशिश करेंगे और अपने अधिकारियों को इस प्रकार के आदेश देंगे। आपने कहा कि जो कुछ सोचा उसका एक महीने के बाद में पेमेन्ट नहीं हो, महज इस दिक्कत से कि एक महीने के बाद में पेमेन्ट नहीं होगा इस प्रकार से संशोधन को मन्जूर नहीं करें, यह कोई खास दलील नहीं है। मैं फिर निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय दुबारा सोचकर इस संशोधन को स्वीकार कर लें तो ज्यादा उत्तम रहेगा।

श्री टीकाराम पालीवाल—माननीय अध्यक्ष, मैंने यह नहीं कहा कि सरकार एक महीने में देगी नहीं। मैंने कहा कि किन्हीं कारणों से एक महीने के अन्दर नहीं दिया जा सकता है, तब क्या स्थिति हो। नहीं दिये जा सकने की स्थिति आ सकती है। सरकार की कठिनाई हो सकती है और लेने वाले को भी कठिनाई हो सकती है। सरकार के काम को मैं जानता हूँ, देरी लग जाती है और अड़चन होती है। मान लीजिये कि बहुत से लोगों को पेमेन्ट करना है तो डिसबर्समेंट ऑफिसर (disbursement officer) कई दफा उस समय पर नहीं पहुँच सकते हैं, ऑडिट के हिसाब में कहीं कुछ थोड़ी देर लगती है, तो दूसरी तरफ लेने वाले की भी मजबूरी हो सकती है। वह मजबूरी इसके मायने के अन्दर नहीं आती है जो आपने लिखा है, "Will be paid immediately within the period of one month thereafter except where the non-payment of such sum is caused by the wilful neglect or refusal of the claimant to receive the same." अगर उसका 'विलफुल निगलेक्ट' या 'रिफ्यूजल' नहीं है, 'विलफुल निगलेक्ट' और 'रिफ्यूजल' के कारण उसमें नहीं होता है तब तो मानना ठीक है, तब तो फायदा नहीं मिले तो उसका दोष है,

[श्री टीकाराम पालीवाल]

लेकिन ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि जिसमें उसका 'विलफुल नेगलेक्ट' नहीं और 'रिफ्यूजल' भी नहीं हो, लेकिन उसकी मजबूरी भी हो जिससे वह रिसीव (प्राप्त) नहीं कर सकता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिये कि एक आदमी बाहर यात्रा को गया। वहाँ जाकर बीमार हो जाता है। अब it is not a wilful neglect nor it is a refusal; लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण वह लेने में असमर्थ है। तो इस प्रकार से सरकार की ओर से कुछ कठिनाई हो सकती है उसके डिबर्समेंट में। उन सब स्थितियों में ज्यादा अच्छा यह है कि उसको ब्याज मिल जाय। बाकी यह कहना बार-बार कि उन बेचारों को बरबाद किया, यह किया, वह किया, यह बातें शायद कहने को होती हैं, लेकिन सभा को यह नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ काम होने वाला है वह आम तौर से जनता के फायदे की चीज़ होने वाली है। जनता में भी गरीब किसानों के बारे में होने वाला है जिनके बारे में बार-बार कहा जाता है कि वे गरीब हैं। अब यह ठीक है कि उन गरीबों के बहुत बड़े फायदे के लिए कहीं-कहीं किन्हीं गरीबों को इन्कन्वीनियेन्स (असुविधा) भी हो उसके लिए कम्पेन्सेशन प्रोवाइड किया गया है, और उसमें कहीं कोई यह मन्शा नहीं है कि जानबूझ कर उसमें देरी की जाय या यह बहाना किया जाय कि डेवलपमेंट वर्क्स चल रहे हैं, विकास योजनाएं चल रही हैं, इस समय रुपया देने की बचत नहीं है, फिर कभी देंगे। वे ऐसी बातें, जहाँ कम्पेन्सेशन बहुत बड़े-बड़े लोगों को देना होता है; जैसे जागीरदारों के कम्पेन्सेशन के बारे में हो, वहाँ (ऐसी बातें) हुआ करती हैं। इनके बारे में, छोटे किसानों के बारे में जहाँ कम्पेन्सेशन की बात है सरकार की मन्शा बिल्कुल साफ है। उसका इरादा यह है कि वह जल्दी से जल्दी दिया जायगा। उसमें इस प्रकार से एक महीने की अवधि लगाने से कोई विशेष फायदा नहीं है। ब्याज का लाभ वैसे हो जायगा। यह पूरी तरह सोच-समझ कर, पूरे कन्सीडरेशन (Consideration) के बाद बिल ड्राफ्ट किया गया है और उसमें इस सन्शोधन की आवश्यकता नहीं मालूम होती है। मैं उसको किसानों के लिए लाभ का नहीं मानता हूँ। इसलिए वह इस (संशोधन) को वापिस ले लें।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह अटरू)—क्लॉज नं० १३ पर श्री भैरोंसिंह जी का ऐमेंडमेंट है। इसके सम्बन्ध में मत दें।

(अस्वीकृत)

एमेंडमेंट ड्रॉप हो गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

[श्री सभापति]

अब समय कम रह गया है और जो अमेंडमेंट हैं वे काफी समय लेंगे, इसलिए आज की कार्यवाई स्थगित की जाती है। कल ५ बजे दुबारा आप आवें।

(सदन की कार्यवाही ८ बज कर ५० मिनिट रात्रि पर कल दिनांक २५-५-५४, के ५ बजे मध्यान्होत्तर तक के लिए स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,　　　　मनसाराम पुरोहित

जयपुर,　　　　सचिव,

दिनाँक—२४ मई, १९५४　　　　राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो सम्बन्धित सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गए जिनके प्रकाशन की सम्बन्धित मन्त्री महोदयों की अनुमति है)

प्रश्न

६६४. (५७/आर. एम.) श्री गुरुदयाल सिंह संधु, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ४१—क्या कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) पदमपुर फार्म के लिए कितनी भूमि अलॉट है ? उसको पानी किस हिसाब से दिया जाता है ?

(ख) खरीफ १६५३ में इस फार्म से कितनी आय हुई ?

(ग) पदमपुर फार्म में खरीफ १६५३ में कितनी ईख बोई गई और उस पर कितना खर्च हुआ और कितनी आय हुई ?

उत्तर

(क) पदमपुर फार्म का क्षेत्रफल ७८'१२५ एकड़ है। उसमें पानी नहर से उसी हिसाब से दिया जाता है जिस हिसाब से अन्य काश्तकारों को मिलता है।

(ख) खरीफ सन् १६५३ की फसल से पदमपुर फार्म में ४४००) रु० के लगभग आय हुई है।

(ग) पदमपुर फार्म पर खरीफ, १६५३ में नई ईख नहीं बोई गई। पिछले साल ईख १/३ एकड़ में बोई गई थी, उसी से दोबारा फसल ली गई। इस पर २८) रु० व्यय और ८२) रु० आय हुई।

प्रश्न

६६६. (६२/इ. एम.) श्री जगतसिंह झाला, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ६४—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या सरकार के ध्यान में है कि डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ की जनता ने ६ हजार रुपये नये माध्यमिक शाला के भवन निर्माण में व्यय किये और सरकार ने इतनी ही सहायता देने का आश्वासन दिया था ?

(ख) क्या सरकार से मिलने वाली रकम रु० १५००) जो इस वर्ष निश्चित हुई है वह दे दी गई है या नहीं ?

(ग) यदि दे दी गई तो कब व नहीं दी गई, तो क्यों नहीं ?

(घ) बकाया रकम को देने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

Page No.95

उत्तर

(क) इस भवन को पूरा करने के लिए ६००० रु० देने का आश्वासन नहीं दिया गया।

(ख) नहीं दी गई।

(ग) कतिपय अर्थ विभाग सम्बन्धी नियमों की कठिनाई के कारण यह रकम नहीं दी जा सकी।

(घ) आगामी वर्ष में देने का विचार है।

प्रश्न

६६७. (७७/इ. एम.) श्री विश्वम्भरनाथ जोशी, एम. एल. ए. डिवीजन नम्बर २१—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

मंडावर-महुआ रोड का मिडिल स्कूल हाई स्कूल कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

सरकार ने इस विषय में कोई निर्णय नहीं किया है।

प्रश्न

672. Shri Bishambhar Nath Joshi, M. L. A., (Div. No. 21)— Will the Minister for Education be pleased to state :—

Is the Government prepared to take early steps to start a full fledged first rate Agricultural College in Rajasthan ?

उत्तर

Government are considering this Question and are Corresponding with the Central Government.

प्रश्न

673. (79/E. M.) Shri Bishambhar Nath Joshi, M. L. A. (Div. No. 21)— Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) What is the total number of Primary Schools opened throughout Rajasthan by the Government during the year 1953 ?

(b) Will he further state the number of Upper Primary Schools raised to Middle Schools and also the number of Middle Schools raised to High Schools in Rajasthan during the year 1953 ?

उत्तर

(a) 1247.
(b) 45 and 10.

प्रश्न

६७४. (६६/एल. एल. एम.) श्री तेजपाल, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १५२—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

उन टाउन बोर्ड नोटीफाइड एरिया और पंचायत बोर्ड जिनके पास अपनी सड़कों के निर्माण के लिये पैसों की समुचित व्यवस्था नहीं है उन जगहों की सार्वजनिक सड़कों के शीघ्र निर्माण के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

सरकार प्रति वर्ष ऐसे कार्यों के लिये कुछ धन राशि स्वीकृत करती है। इस वर्ष भी ऐसे कार्यों के लिये ६ लाख रक्खे गये थे।

कलेक्टर की सिफारिश आने पर उन पर विचार विनिमय के पश्चात् ये कार्य कराये जाते हैं। अभी तक उक्त स्थानों के लिये कोई माँग सरकार के समक्ष नहीं आई।

प्रश्न

६७८. (८२/ई. एम.) श्री रघुवीरसिंह, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १२०—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या बराऊ (सब-डिवीजन खेतड़ी जिला झुन्झूनू) में एक प्राईमरी स्कूल है जो कि एक धर्मशाला में लगता है, जिसके कारण कि लोगों को विवाहोत्सव के समय में बड़ी असुविधा होती है ?

(ख) क्या सरकार का शीघ्र ही बराऊ प्राईमरी स्कूल के लिये इमारत बनवाने का इरादा है ?

उत्तर

(क) जब किसी गाँव में नया स्कूल खोला जाता है तो स्कूल के भवन का प्रबन्ध ग्राम निवासियों की ओर से होता है। बराऊ जिला झुंझुनू के ग्राम निवासियों ने स्कूल को धर्मशाला में स्थापित करवाया।

(ख) हमारी नीति यह है कि ऐसे स्कूलों के भवन की व्यवस्था गाँव वाले स्वयं करें।

प्रश्न संख्या ६७६

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या पृथक राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या राजस्थान बनने से पूर्व बीकानेर स्टेट में कृषि उपज पर जकात लगती थी ?

(ख) अगर लगती थी तो किस हिसाब से लगती थी ?

(ग) यदि नहीं लगती थी तो क्या आज भी गंगानगर जिले में जो कृषि उपज पर जकात लग रही है सरकार को लगाने का अधिकार था ?

(घ) अगर था, तो कैसे ?

उत्तर

राजस्थान बनने से पूर्व बीकानेर राज्य में कृषि की उपज पर नीचे लिखे अनुसार जकात यानी कस्टम्स् ड्युटी ली जाती थी किन्तु बीकानेर सतलज नहर से सिंचित इलाके में काश्त के स्थायी अधिकार (proprietory Rights) के बेचान की शर्त नम्बर १७ के अन्तर्गत इस नहरी इलाके की उपज पर जकात वसूल नहीं की जाती थी :—

(१) सरसों ५ आना प्रति मन निर्यात कर

(२) तिल ६ आना प्रति मन, निर्यात कर

(३) तारामीरा ५ आना प्रति मन निर्यात कर

राजस्थान बनने के पश्चात् खाद्यान्नों को छोड़ कर कृषि की उपज पर जो जकात वसूल की जाती है उसका समावेश राजस्थान कस्टम्स टेरिफ में है और यह जकात गंगानगर जिले की उपज पर भी ली जाती है।

नहरी इलाके की उपज के सम्बन्ध में भूतपूर्व बीकानेर राज्य ने जो जकात सम्बन्धी रियायत दी थी वह अनिश्चित काल के लिये थी और २५ वर्ष तक वहाँ के काश्तकारों ने उसका उपभोग किया। राजस्थान कस्टम्स् टेरिफ के जारी होने के पश्चात् यह रियायत स्वतः ही बन्द हो गई और सरकार के विचार से उसका जारी रखना आवश्यक व उपादेय नहीं है। यहाँ यह भी उल्लेख कर देना उचित होगा कि राजस्थान बनने के कुछ वर्ष पूर्व स्वयं बीकानेर राज्य के सिविल सप्लाईज विभाग द्वारा कृषि की उपज पर यानी राज्य में गेहूँ, बाजरा, चना, जव तथा गुड़ के यातायात पर १ आना मन सुपरविजन चार्ज एवं सरसो, तारामीरा और तोरिया के राज्य से बाहिर भेजने पर ४ आना प्रति मन सरचार्ज वसूल किया जाता था। यह ४ आना मन का सरचार्ज कस्टम्स् निर्यात कर ही का एक प्रकार से रूपान्तर था। यह दोनों चार्जेज राजस्थान बनने के पश्चात् बन्द हो गये।

सरकार को राजस्थान (रेगुलेशन ऑफ कस्टम्स् ड्युटीज़) ऑर्डीनेन्स, सन् १६४६ के अन्तर्गत कस्टम्स् कर लगाने का अधिकार है।

प्रश्न

६६०. (६३/ई. एम.) श्री महादेवप्रसाद, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ६२—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) इस वर्ष राजस्थान सरकार ने नये स्कूल कितने खोले हैं और उनमें संस्कृत पाठशालाओं की संख्या क्या है ?

(ख) आगामी वर्ष कितने नये स्कूल खोले जायेंगे तथा उनमें संस्कृत पाठशालाओं की संख्या क्या होगी ?

उत्तर

(क) इस चालू वर्ष में राजस्थान में कुल १२४७ नये स्कूल खोले जा चुके हैं उनमें संस्कृत पाठशाला कोई नहीं खोली गयी।

(ख) आगामी वर्ष में करीब १५०० नये स्कूल खोले जाने की योजना है, लेकिन अभी तक यह निर्णय नहीं किया गया कि इसमें से कितनी संस्कृत पाठशालाएं खोली जावेंगी।

प्रश्न

६६१. (६४/ई. एम. श्री महादेवप्रसाद, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ६२—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) हाई स्कूल तथा कालेजों में इस वर्ष कितने नये अध्यापकों की नियुक्ति हुई एवं उनमें मध्यमा, शास्त्री तथा आचार्य परीक्षोत्तीर्ण कितने अध्यापक रक्खे गये ?

(ख) संस्कृत अध्यापकों को प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) शालाओं में भेजने की क्या व्यवस्था है ? यदि कोई व्यवस्था नहीं है तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(क) इस वर्ष इस विभाग में ३१६ नये अध्यापक व २२ नई अध्यापिकायें हाई स्कूल तथा कॉलेजों में अस्थाई रूप से नियुक्त किये गये, जिनमें २ मध्यमा तथा १ शास्त्री की नियुक्ति हुई है।

(ख) ऐसे संस्कृत अध्यापकों को भी जो ट्रेनिंग में भेजे जाने के लिये न्यूनतम योग्यता (minimum qualification) की शर्त को पूरा करते हैं दूसरे अध्यापकों की भाँति ट्रेनिंग में भेजा जाता है।

प्रश्न

६९७. (९९/ई. एम. श्री नारायणलाल, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ११०— क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सीकर जिले में सन् ५२ व ५३ में कितने नये स्कूल खोले गए ?

(ख) उनमें कितने नये अध्यापक लिये गए ?

(ग इसमें हरिजन अध्यापक कितने लिये गये ?

उत्तर

(क) सन् १९५२-५३ में ११ व १९५३-५४ में ८८

(ख) ९९.

(ग) ९.

प्रश्न

७०३. (१०१/ई. एम.).श्री अर्जुनसिंह, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ४— क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) शिवगंज जिला सिरोही के हैडमास्टर की बदली इस साल के अधबीच में क्यों की गई है ?

(ख) वहाँ अभी तक हैडमास्टर नहीं भेजने का क्या कारण है ?

(ग) क्या यह बदली किसी आदमी की शिकायत से की गई ? अगर हाँ, तो क्या उसकी जाँच पड़ताल की गई ?

उत्तर

(क) शिवगंज जिला सिरोही के हैडमास्टर की बदली साल के मध्य में विभागीय हित में की गई थी।

(ख) नये हैडमास्टर की नियुक्ति की जा चुकी है और उन्होंने वहाँ पर अपना कार्यभार सम्भाल लिया है। लड़कों की पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वहाँ के हैडमास्टर का पद कभी रिक्त नहीं रहा।

(ग) नहीं। यह बदली किसी आदमी की शिकायत से नहीं गई परन्तु विभागीय हित में की गई थी।

प्रश्न

७१०. (६१/एल. एल. एम.) श्री महादेव प्रसाद, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ६२—क्या स्वायत्तशासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) बगड़ नगरपालिका को सरकार कितनी सालाना सहायता प्रदान करती है ?

(ख) बगड़ नगरपालिका की सालाना क्या आय है ?

(ग) बगड़ नगरपालिका को सन् ५३-५४ में बगड़ से कितनी आय हुई ?

(घ) बगड़ नगरपालिका को जो सरकार से सहायता दी जाती है वह किसके पास जमा रहती है ?

(ङ) क्या यह सही है कि जो बगड़ नगरपालिका में आय व व्यय होता है उसकी जानकारी नगरपालिका के किसी सदस्य को नहीं दी जाती ?

उत्तर

(क) रु० २०००-०-० ।

(ख) सन् १९५२—५३ में सरकारी सहायता सहित रु० २७४६-०-० की आय हुई थी ।

(ग) सन् १९५३—५४ में आखिरी जनवरी तक रु० ५२४-१४-६ आय हुई ।

(घ) बोर्ड के पास ।

(ङ) सरकार के समक्ष ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं हुई ।

प्रश्न

७१६. (११५/इ. एम.) श्री शम्भुसिंह, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १३६—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) भीलवाड़ा जिले के कस्बा रायपुर में हाई स्कूल खोलने के वास्ते जनता कितने वर्षों से प्रयत्नशील है ?

(ख) क्या हाई स्कूल की इमारत जनता द्वारा बनाई जा चुकी है ?

(ग) अब तक हाई स्कूल क्यों नहीं खोला गया ?

(घ) बजट में उक्त स्कूलों के लिये कितनी रकम रखी गई है ?

(ङ) क्या इस वर्ष हाई स्कूल खुल जाने से मिडिल स्कूल के विद्यार्थी उसमें प्रवेश कर सकेंगे ?

उत्तर

(क) भीलवाड़ा जिले के कस्बा रायपुर में हाई स्कूल खोलने की मांग जनता द्वारा गत वर्ष से आ रही है।

(ख) जब मैं रायपुर गया तो इमारत का कुछ भाग तैयार हो चुका था।

(ग) आर्थिक कारणों से।

(घ) बजट में हाई स्कूल खोलने के लिये स्थान विशेष के लिये रकम निर्धारित नहीं की जाती।

(ङ) हाई स्कूल खोलने का प्रश्न अभी विचाराधीन है। यदि इस वर्ष हाई स्कूल खुली तो निश्चय ही मिडल में पास होने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दे दिया जायगा।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ६८६ का उत्तर देखिये)

सूचि (क) और (ख)

क्रम संख्या	नाम नगरपालिका	निर्वाचन तिथि	राजपत्र में प्रकाशन को तिथि
१.	सिरोही	२६-४-५३	४-७-५३
२.	सोजत	२०-४-५३	४-७-५३
३.	फलोदी	२७-८-५३	२४-१०-५३
४.	बाडमेर	७-५-५३	२७- ६-५३
५.	डूँगरगढ़	८-६-५३	२१-११-५३
६.	रतनगढ़	२० अप्रेल १६५३	२०- ६-५३
७.	गजसिंहपुर	२८-७-५३	६- २-५४
८.	निम्बाहेड़ा	२५-१०-५३	१६- १-५४
६.	झालावाड़	२६-११-५३	२७- २-५४
१०.	प्रतापगढ़	२६-१०-५३	२६-१२-५३
११.	केशवरायपाटन	५-१०-५३	२६-१२-५३
१२.	राजसमंद	१०- ४-५३	४- ७-५३
१३.	टेंगू	१- ८-५३	१४-११-५३
१४.	डूँगरपुर	२२- ५-५३	८- ८-५३
१५.	सागवाड़ा	१६- ५-५३	८- ८-५३
१६.	गलियाकोट	१४- ५-५३	८- ८-५३
१७.	कपासन	१७-११-५३	१६- १-५४
१८.	खेरली	२० सितम्बर, १६५३	१६-१-५४
१६.	नरायना	११-५-५३	१५-८-५३
२०.	चाक्सू	२५-१०-५३	१३-२-५४
२१.	बांदीकुई	२०-८-५३	६-२-५४
२२.	बयाना	२६-१०-५३	२७-२-५४
२३.	वैर	२८-१०-५३	६-३-५४
२४.	किशनगढ़	३१-१०-५३	१६-१-५४
२५.	बेराठ	२०-६-५३	२३-१-५४
२६.	तिजारा	१६-४-५३	२०-६-५३
२७.	नवलगढ़	२५-८-५३	६-१-५४
२८.	राजगढ़ । अलवर ।	१३-४-५३	२७-६-५३
२६.	उदयपुर । शेखावाटी ।	२५-६-५३	६-१-५४
३०.	लक्ष्मणगढ़	२१-७-५३	१२-१२-५३

Page No.103

क्रम संख्या	नाम नगरपालिका	निर्वाचन तिथि	राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
३१.	श्रीदासर	२१-७-५३	३-१०-५३
३२.	संगरिया	३०-६-५३	२३-१२-५३
३३.	नापासर	२५-३-५३	१२-६-५३
३४.	मीनासर	१- ७-५३	१२- ६-५३
३५.	मीनमाल	१४- ८-५३	३-१०-५३
३६.	तारानगर	१६- ७-५३	१०-१०-५३
३७.	भुसावर	३०-१०-५३	६- ३-५४
३८.	अलवर	४- १-५४	प्रकाशित करवाई जा रही है।